खण्ड-354, अंक-9
सोमवार, 26 माघ, शक संवत् 1903
(15 फरवरी, 1982 ई0)

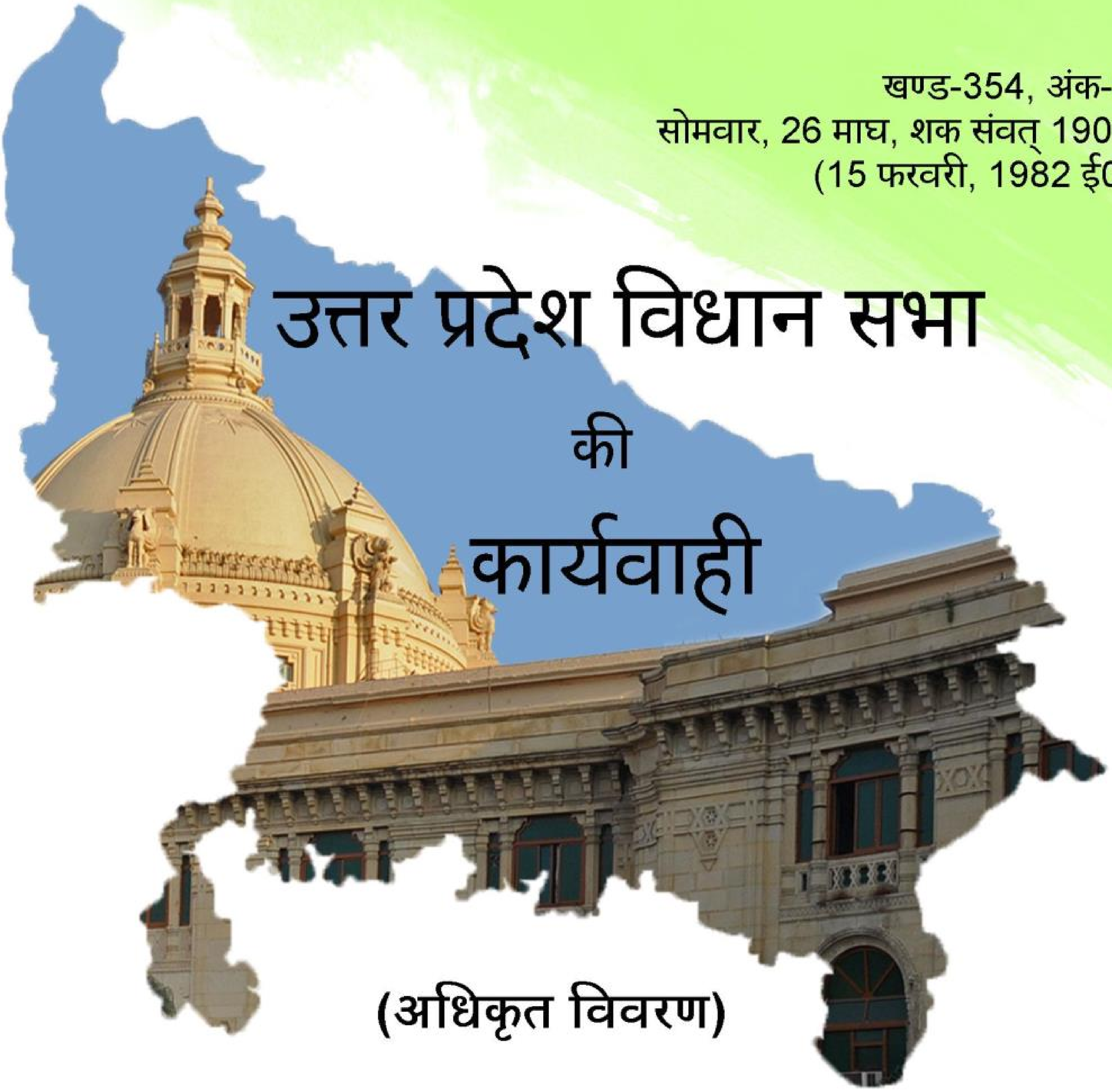

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 354 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1341–1344
सदन में कोरम का अभाव ..	1344
प्रश्नोत्तर ..	1344–1400
जिला कारागार, कानपुर में अल्प वयस्क बंदियों का पतित अपराधियों द्वारा वासना का शिकार बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1400
आटो ट्रैक्टर फैक्ट्री, प्रतापगढ़ के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री श्याम सिंह बिसेन द्वारा की गयी अनियमितताये व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1401–1402
प्रदेश की नगरपालिकाओं के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किए जा रहे आन्दोलन तथा भूख हड़ताल की घोषणा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1402–1403
तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद के कतिपय ग्रामों में ग्राम प्रधानों द्वारा ग्राम समाज की भूमि की चोरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1403–1404
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)— ..	1404
जिला अधिकारी, लखनऊ तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	1404–1406
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1406–1410
सदन की समितियों तथा स्थायी समितियों में सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) .	1410–1412
दस्यु सरगना श्री छबिराम द्वारा खुलेआम मैनपुरी जनपद के ग्राम हरनागरपुर में घूमने तथा पुलिस द्वारा पकड़ने की कार्यवाही न किए जाने सम्बन्धी वक्तव्य को टाले जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	1412–1413
आज प्रस्तुत होने वाले बजट में मदों का विश्लेषण न दर्शाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	1414–1415
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना ..	1415–1416
1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या 19-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) ..	1447–1464

वित्तीय वर्ष 1981–82 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किए गए) .. 1465

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. 1465

बस्ती से चलकर लखनऊ आने वाली बस के लूटे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 1465–1473

विधान सभा सदस्य, श्री अकबाल हुसैन की रिहाई की सूचना .. 1473

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) .. 1473–1478

नस्थियां .. 1479–1493

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 15 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बज कर 5 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--305

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अब्दुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
इन्द्रजीत श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 फ्रांसिस श्री (नाम निर्देशित सदस्य)
कन्हैया लाल महेन्द्रू श्री, (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुइसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण भगन सिंह, श्री (बार बंकी)
कृष्ण वीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)

जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिकानाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
पिन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवटी देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज श्री (बस्ती)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवतीदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंडलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)

मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहमद असीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन खां) (गोरखपुर)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (राय बरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पांडेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री, (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पांडेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद सिंह, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रुल्हा सिंह' श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि वर्मा, श्री (मथुरा)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरीगढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)

वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुलतानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपूर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद सरोज, श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्र, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेशवत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द्र निमेष, श्री (मेरठ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदन में कोरम का अभाव

(सदन में पांच मिनट बाद गणपूर्ति होने पर)

श्री रियासत हुसैन--

सत्ता पक्ष बीमार हो गया, कोरम में 6 मिनट लग गये, आज मेडिकल डिपार्टमेन्ट का बजट है ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 15 फरवरी, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बीज भण्डार धर्मापुर, जिला जौनपुर के इंचार्ज के विरुद्ध गबन का आरोप

*श्री ऊबल (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीज भण्डार धर्मापुर, जिला जौनपुर के इंचार्ज ने सन् 1974 में पचासों हजार रुपए का गबन किया था ? यदि हां, तो अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि उक्त गबन से सम्बन्धित फाइल गबन अनुभाग (कृषि विभाग) में पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको निकलवाने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

कृषि मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

जी नहीं ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते हैं।

*2--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

बिलगांव ग्राम समूह योजनान्तर्गत ग्रामवासियों के प्रयोग हेतु स्वच्छ जल की व्यवस्था

*3--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के विकास खण्ड महुवा के ग्राम धुरौंदा स्थित तालाब व पेय नलकूप का जल विषाक्त है और ग्रामवासी इन्हीं का जल पी रहे हैं ? यदि हां, तो स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

जी हां ।

जी नहीं, वे इनका जल नहीं पी रहे हैं ।

उन्हें स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु बिलगांव ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत लगाये गये चार जल स्तम्भों तथा एक भूस्तरीय हरिजन पेयजल कूप, जो पहले से ही निर्मित था, द्वारा ग्रामवासियों के प्रयोग के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था कर दी गई है । हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत इस ग्राम में एक कुआं भी वर्ष 1977–78 में बनवा दिया गया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जिन संदर्भित स्थानों का नाम लिया गया है वह स्थान इस गांव से कितनी दूर हैं और वहां पानी लेने की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इसमें दूरी तो नहीं लिखी है, लेकिन निवेदन है कि उस गांव के पास में 4 टैप लगा दिये गये हैं जहां पानी उपलब्ध है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जहां वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है वह स्थान बहुत दूर है । लोग दूर पानी लेने जाते हैं । इस ग्राम में सम्प्रति पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या माननीय मन्त्री जी स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यहां पर एक कुआं है, जिसमें स्वच्छ जल उपलब्ध है, एक दूसरा हैण्डपम्प लगाना विचाराधीन है, उम्मीद है शीघ्र ही इसका निर्माण हो जायगा ।

जी० टी० रोड, मुजफ्फरनगर से रेनबो स्टील फैक्ट्री तक सड़क को पक्का कराने पर विचार

*4—श्री हरिवंश सहाय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् मुजफ्फरनगर के टेंडर नोटिस दिनांक 15–7–81 द्वारा जी० टी० रोड, मुजफ्फरनगर से रेनबो फैक्ट्री तक एक लाख तीन हजार रुपये की लागत से सड़क को पक्की कराने के लिए व्यय करना प्रस्तावित है ? क्या यह सही है कि यह सड़क सार्वजनिक नहीं है बल्कि किसी व्यक्ति की फैक्ट्री तक ही जाती है ? यदि हां, तो इस प्रकार सार्वजनिक संस्था के धन से किसी व्यक्ति विशेष की सुविधा के लिए खर्च करने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दंडित करने पर विचार करेगी ?

नोट—प्रश्न संख्या 3 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की रुचि पर लिया गया ।

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

यह मार्ग सार्वजनिक है किसी प्रभावशाली व्यक्ति की फैक्ट्री तक ही नहीं जाता है । मार्ग के सार्वजनिक होने के कारण इस सम्बन्ध में किसी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो मार्ग है रेनबो फैक्ट्री तक ही बना है, इसके बीच में कोई अन्य सड़क, कोई गांव, अन्य स्थान नहीं है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, यह सड़क रेनबो स्टील फैक्ट्री तक ही नहीं बनी है बल्कि उनसे आगे भी 150 मीटर के करीब जाती है और इस सड़क के आस-पास रेनबो फैक्ट्री ही नहीं है बल्कि लगभग नौ फैक्टरियां और हैं । इसके साथ ही साथ यहां पर एक पावर हाउस सब स्टेशन है ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रेनबो फैक्टरी की जो सड़क बनी है और उसमें जो जमीन ली गई है किन-किन काश्तकारों की किस नम्बर की जमीन है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, यह जमीन गांव पंचायत की है और गांव पंचायत के प्रधान की रिक्वेस्ट पर और तमाम वहां पर जो फैक्टरियां हैं उनके मालिकों के रिक्वेस्ट पर इस जमीन को जो गांव सभा का रास्ता है, बनाया गया है ।

श्री मोहन सिंह--

मेरे पास स्पेशल टेन्डर नोटिस कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर है । इसमें दूसरा आइटम है पक्का करना सड़क जी0 टी0 रोड तक और रेनबो फैक्टरी तक 1 लाख तीन हजार रुपये । आप स्वयं अपने टेन्डर नोटिस में कहते हैं कि यह सड़क रेनबो फैक्टरी तक बनी है और माननीय मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं कि रेनबो तक ही नहीं बनी है आगे तक जा रही है । मैं जानना चाहता हूं मेरी सूचना को सत्य मानते हुये कि जब जिला परिषद् ने टेन्डर नोटिस दिया है और सड़क रेनबो स्टील फैक्टरी तक गई है, इस संदर्भ में क्या जांच करा के जिन लोगों ने आपके माध्यम से असत्य सूचना सदन को दी है, उनको दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसको दिखवा लिया जायगा और जांच करा ली जायगी । वैसे मेरे पास निश्चित सूचना यह है कि यह सड़क फैक्टरी रेनबो से भी 150 मीटर आगे बननी स्वीकृत हुई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित जमीन किस गांव की है और उसका जो रजिस्टर है उसमें क्या डाटा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह भूमि गांव सभा सुजड़ू परगना व तहसील और जिला मुजफ्फरनगर की है । माननीय सदस्य अगर चाहें तो गांव सभा के प्रधान का पत्र पढ़ दूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर को मैंने सही मान लिया, उन्होंने गांव का नाम बता दिया, इसका रजिस्टर में डाटा क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वह सूचना भी है हमारे पास । खसरा नं0 1821, 1866, 1886 के अन्तर्गत यह जमीन आती है ।

प्रधान, ग्राम सभा जोगराजपुर, जिला शाहजहांपुर का मनोनयन

*5--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर, विकास खंड खुटार की ग्राम सभा जोगराजपुर के प्रधान की मृत्यु व उप प्रधान के पंच चुने जाने पर हुई रिक्ति के बाद न्याय पंचायत के पंच को कार्यवाहक प्रधान ग्राम सभा घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त नियुक्ति को अवैध करार देकर नियमानुसार मनोनयन प्रधान, ग्राम सभा जोगराजपुर का करायेगी ।

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । विस्तृत जानकारी तथा विधिक राय अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्राप्त की जा रही है ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत यह स्पष्ट नियम है कि कोई भी व्यक्ति जब न्याय पंचायत का सदस्य हो जाता है तो वह गांव सभा का सदस्य नहीं रहता है और न वह प्रधान ही बन सकता है इसलिए फिर कौन सी ऐसी विधिक राय की आवश्यकता माननीय मंत्री जी को पड़ी और जिसको कि वे अभी तक नहीं ले पाये ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, यह प्रश्न कुछ कांप्लीकेटेड हो गया है । इसमें 2-3 बातें इन्वाल्व हो गई हैं । एक तो यह कि जो यह फकीरे था वह न्याय पंचायत का पंच मनोनीत हो गया था तो वह उप-प्रधान पद पर कैसे बना रहा । दूसरे वह न्याय पंचायत के पंच के पद पर मनोनीत हो जाने के बाद गांव पंचायत की सदस्यता से स्वयं

अलग हो जाता है और चूंकि फकीरे ने त्याग-पत्र दे दिया अतएव वह न्याय पंचायत का भी सदस्य नहीं रहा । इस प्रकार वह न तो गांव पंचायत का सदस्य रहा और न ही न्याय पंचायत का सदस्य रहा । तब उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के सामने यह मामला गया और उनसे यह पूछा गया कि इस मासले में क्या निर्णय लिया जाय । इसलिये विधिक राय लेने की आवश्यकता पड़ी । अब उसके बाद इस मामले में जैसे न्याय विभाग की राय होगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह मामला कुछ कांप्लीकेटेड है इसलिए जब तक विधिक राय नहीं ले ली जाती है और आप किसी सुनिश्चित राय पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक क्या मंत्री जी जो नियुक्ति वहां पर की गई है उसको रद्द करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य रखें । प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के सामने यह मामला चला गया है और ज्यादा समय उसमें नहीं लगेगा, दो-चार महीने में निर्णय हो जायेगा और इस अवधि के अन्दर मामले को पटाक्षेप कर दिया जायेगा और जो न्याय संगत होगा, किया जायेगा ।

जनपद मेरठ के राजकीय कृषि फार्म दौराला में गन्ने की फसल को हानि तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

*6—श्री किरन पाल सिंह—(अनुपस्थित)

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मेरठ के राजकीय कृषि फार्म दौराला की 550 एकड़ भूमि पर पिछले खरीफ की कोई फसल नहीं बोई गई तथा लगभग 50 एकड़ भूमि पर गन्ने की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से हुआ ? इससे प्रदेश को कितनी धन की हानि हुई तथा इसके लिए कौन दोषी है ? दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

राजकीय कृषि फार्म दौराला की 884.44 एकड़ भूमि वर्ष 1978 में गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर को हस्तान्तरित की गई थी जिसमें 542.98 एकड़ उपजाऊ भूमि थी । उपरोक्त भूमि में से 470.33 एकड़ भूमि को कृषि विभाग के एक अन्य परिक्षेत्र से बदले जाने की प्रत्याशा में पन्तनगर विश्वविद्यालय द्वारा उक्त भूमि पर खरीफ की कोई फसल की बुवाई नहीं हो सकी । विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार गन्ने की फसल केवल 50 एकड़ क्षेत्र में बोई गई थी जो नष्ट नहीं हुई । भूमि के हस्तान्तरण किये जाने तक इसमें खेती स्पष्टतया विश्वविद्यालय द्वारा की जाती थी और ऐसा न किये जाने के परिणामस्वरूपजो हानि हुई उसकी ओर विश्वविद्यालय का ध्यान आकर्षित करते हुये उपयुक्त कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा विश्वविद्यालय से की गई है ।

पंचायतों, क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों के चुनाव

*7—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि पंचायतों, क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों के चुनाव कब तक कराये जायेंगे क्या यह भी सही है कि अध्यक्ष, जिला परिषद् एवं क्षेत्र समिति के चुनाव सीधे मतदान द्वारा कराये जायेंगे, जिसमें 18 वर्ष की आयु के लोग भी भाग लेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों, यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

पंचायतों, क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों के चुनाव मार्च, 1982 से नवम्बर, 1982 के मध्य सम्पन्न करा दिये जायेंगे ।

यह सही नहीं है कि अध्यक्ष, जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति के चुनाव सीधे मतदान द्वारा कराये जायेंगे जिसमें 18 वर्ष की आयु के लोग भाग लेंगे क्योंकि इसके लिये उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अब तो गांव पंचायतों के चुनावों की घोषणा कर दी है, मैं जानना चाहता हूं कि पंचायतों के जो चुनाव रुके गये हैं और माच से जून तक 6 राउन्ड में चुनाव करा लेने का निश्चय किया है उसके सम्बन्ध में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इन चुनावों को 6 राउन्ड में न कराकर 1/2 महीने में समाप्त कराने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, यह सम्भव नहीं हो पायेगा क्योंकि इन चुनावों के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था शासन को करनी पड़ती है, शांति व्यवस्था भी देखनी पड़ती है और लम्बा इन्तजाम करना पड़ता है । मान्यवर, पहले भी 1972 में गांव सभाओं और पंचायतों के जो चुनाव हुए थे वे 5 राउन्ड में कराये गये थे ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा वर्तमान में ब्लाक प्रमुख और जिला परिषद् के सदस्य की आयु सीमा 30 वर्ष है और आज इस आयु सीमा से कम उम्र के बहुत से उत्साही नवयुवक हमारे यहां हैं, इसलिये क्या माननीय मंत्री जी प्रमुखों और जिला परिषद् के सदस्यों की आयु सीमा को कम करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ऐसा कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी इन चुनावों को कराने से पहले विचार करेंगे कि कुछ ग्राम सभाओं में रेवेन्यू विलेजेज थे जिनकी आबादी 250 से कम थी और वे चुनावों के मामले में दूसरी ग्राम सभाओं से अटेच थे किन्तु अब उनकी आबादी बढ़ गई है इसलिए ऐसी ग्राम सभाओं के चुनाव वे अलग से कराने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्रीमन्, अब चूंकि प्रक्रिया शुरू कर दी गई है इसलिए यह करना सम्भव नहीं है ।

[सोमवार 15 फरवरी, 1982 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

स्थान शिवपुर, जिला वाराणसी में मेसर्स इन्डियन पोटाश लि0 के गोदाम में आग लगने की सूचना

*1—श्री ऊदल—(अनुपस्थित)

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान शिवपुर, जिला वाराणसी की 4 फर्टीलाईजर की गोदामों में ता0 9-8-81 को आग लग गई जिससे करीब 3 करोड़ रुपये की आयातित खाद जलकर राख हो गई ? क्या यह भी सत्य है कि जून, 1981 में भी कई करोड़ की खाद शिवपुर स्टेशन तथा गोदामों में खुले रखने की वजह से वर्षा में भीग कर बह गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

वाराणसी जिले में शिवपुर में मेसर्स इन्डियन पोटाश लि0 का एक गोदाम है जिसमें प्राप्त सूचना के अनुसार 9-8-81 को आग लगी । यह कम्पनी भारत सरकार की ओर से आयातित उर्वरकों का भण्डारण करती है । अतः इस प्रश्न का सम्बन्ध भारत सरकार से है न कि प्रदेश सरकार से ।

श्री मित्रसेन—

सिर्फ पोटाश के ही गोदाम में आग लगने की खबर है या और भी कहीं आग लगी, यह भी इनको मालूम है ?

श्री अध्यक्ष—

यही तो आपने पूछा है कि पोटाश के गोदाम में आग लगी थी, इसका उत्तर आ गया ।

पंचायत राज निदेशालय को सुदृढ़ बनाने सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

*2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पंचायत राज निदेशालय को सुदृढ़ बनाने के सिलसिले में प्रश्नकर्ता सहित 6 विधायकों का एक पत्र अक्तूबर, 1981 में मुख्य मन्त्री के पास भेजा गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ऐसा कोई पत्र शासन अथवा निदेशालय स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इस सिलसिले में मैं आपकी भी मदद चाहूंगा और ऐसा कोई तरीका निकाल लिया जाय जिससे कम से कम शासन यह न कह सके कि पत्र प्राप्त नहीं हुआ । एक तरीका जो हम लोगों की समझ में आया वह हमने किया अपने कार्यालय के रजिस्टर में पत्र चढ़ा कर माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में वह रिसीव कराया वह 21 अक्तूबर को रिसीव हुआ लेकिन यहां जबाब आ गया कि कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ । मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि आखिर इस तरह का जबाब देना कहां तक उपयुक्त है । करण 218 में गलत बयानी का आरोप लगाते हुए मैं आवश्यक कार्यवाही की मांग करूंगा और इसकी लिखित सूचना बाद में भेज दूंगा ।

श्री बलराम सिंह यादव--

यह माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय का रजिस्टर कैसे प्राप्त हुआ यह समझ में नहीं आया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

यह मेरे कार्यालय का रजिस्टर है जिसमें पत्र चढ़ा कर भेजा गया और मुख्य मंत्री कार्यालय के किसी व्यक्ति ने रिसीव किया है ।

श्री त्रिवेनी--

अध्यक्ष महोदय, क्या किसी को अधिकार है कि उसके कार्यालय का रजिस्टर लाकर हाऊस में दिखा सकते हैं ।

(व्यवधान)

अगर उनके कार्यालय का रजिस्टर है तो क्या वह अपने कार्यालय का रजिस्टर हाऊस में पेश कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक अपने कार्यालय के रजिस्टर का सवाल है उस रजिस्टर में कोई ऐसा सामान जो हमारे लिए घातक न हो ला सकते हैं । जहां तक वर्मा जी आपके पत्र व्यवहार का सम्बन्ध है मैं इसमें क्या संरक्षण दे सकता हूं । आपने पत्र लिखा, वह उत्तर देंगे । यहां से सम्बन्धित जो है उसमें उन्होंने इनकार कर दिया कि प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या यह सही है कि जिस पत्र का जिक्र मैंने किया माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में 21 अक्तूबर को प्राप्त किया गया और उसके हस्ताक्षर इस रजिस्टर में कराये गये हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, पहला तो मेरा निवेदन यह है कि यह जो डाकूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं यह आपकी सम्पत्ति हो गयी कृपया इसको मंगा लें । दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य का है इसकी जांच करा लेंगे अगर आपका पत्र आया है तो इस सम्बन्ध में जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने कहा तो वह रजिस्टर ले लें मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि इस रजिस्टर में पत्र को स्वीकार किया गया है मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में उस पर ऐक्शन लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह उन्होंने स्वयं बता दिया कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री बलराम सिंह यादव—

मैं कह चुका हूं कि इसकी जांच करूंगा ।

विकास क्षेत्र सल्टौवा, गोपालपुर, जनपद बस्ती के बी0 डी0 ओ0 के विरुद्ध चावल का ब्लैक करने की दर्ज रिपोर्ट तथा जांच

*3—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 को विकास क्षेत्र सल्टौवा गोपालपुर, जनपद बस्ती के बी0 डी0 ओ0 को पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत 103 कुन्तल चावल खाद्य निगम से निकाल कर एक व्यापारी से ब्लैक करते रंगे हाथ गोरखपुर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था ? क्या उक्त घपलेबाजी की जिले के उच्च अधिकारी द्वारा दिनांक 4–5 जनवरी को जांच कराई गयी थी ? यदि हां, तो जांच अधिकारी की रिपोर्ट क्या है ? तथा दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 को विकास क्षेत्र सल्टौवा गोपालपुर के बी0 डी0 ओ0 श्री विभूति राय 103 कुन्तल चावल जो कि पुष्टाहार योजना का था खाद्य निगम से निकाल कर एक व्यापारी के हाथ ब्लैक करते हुये गोरखपुर पुलिस द्वारा पकड़े गये थे । मामले की प्रारम्भिक जांच तत्कालीन जिला विकास अधिकारी बस्ती द्वारा दिनांक 4–5 जनवरी, 1981 को की गयी । इस प्रारम्भिक जांच में दोषी पाये जाने के कारण सम्बन्धित बी0 डी0 ओ0 को निलम्बित किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस बी0 डी0 ओ0 ने 103 बोरी चावल व्यापारी के हाथ बेचा उस बी0 डी0 ओ0 और व्यापारी के विरुद्ध कौन सी रिपोर्ट दर्ज की गयी और उस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

(अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के लिए मंत्री जी पत्रावली देखते रहे ।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया बातचीत न करें । एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई हो तो बता दें कि दर्ज हुई है और फिर उसे देखकर बता दीजिएगा ।

श्री बलराम सिंह यादव—

एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई है और पुलिस केस भी दर्ज हुआ है । वह बताता हूं अभी देखकर, उसमें समय लगेगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप देखकर बता दीजिएगा, हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

(कुछ क्षण बाद)

मंत्री जी, माननीय गोपी नाथ वर्मा का इसी नत्थी में जो दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 पर है, के सम्बन्ध में एफ0 आई0 आर0 मिली है या नहीं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

(काफी देर तक पत्रावली में ढूंढते हुए) एफ0 आई0 आर0 कौन सी बड़ी महत्वपूर्ण है । जब हम कह रहे हैं कि उसमें एफ0 आई0 आर0 लाज हुई है और उसके आधार पर ही जांच हो रही है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता था कि रिपोर्ट क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

रिपोर्ट में वही है जो आपने प्रश्न किया है । यदि आप ज्यादा जानकारी चाहेंगे तो आप मेरे कक्ष में आ जाइये और देख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

इसकी जो प्रारम्भिक सूचना है, उसको आप दिखा दीजिये ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, इसे स्थगित करा दीजिये यह बड़ा जरूरी प्रश्न है, मान्यवर ।

*4—श्री श्याम नारायण तिवारी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

प्रदेश के आलू उत्पादकों को उचित लाभ देने हेतु उठाये गए ठोस कदम

*5—श्री रामनारायण सिंह (अनुपस्थित) तथा श्री राधे श्याम पटेल (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आलू उत्पादकों को उचित लाभ देने हेतु उत्पादन व्यय आलू के न्यूनतम मूल्य एवं शीतगृह में भण्डारण किराये में उचित सन्तुलन रखने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाये गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

5—सरकार द्वारा आलू का न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है। उत्पादन व्यय तथा शीतगृह में भंडारन किराए का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है अतः इनमें उचित संतुलन के लिए ठोस कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

एग्रो द्वारा उर्वरक क्रय में दुहरे भुगतान की वसूलयाबी से हानि तथा ब्याज की वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही

*6—श्री रामलाल वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के पहले सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगे कि दुहरे भुगतान के कारण निगम को ब्याज स्वरूप सम्भावित 4.99 लाख रुपए की हानि के लिए कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

दुहरे भुगतान के कारण ब्याज स्वरूप सम्भावित 4.99 लाख रुपये की हानि के लिए इलाहाबाद बैंक, हजरतगंज शाखा लखनऊ एवं फूड कारपोरेशन आफ इंडिया उत्तरदायी हैं।

ब्याज की वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अध्यक्ष, महोबा सहकारी मत्स्यजीवी समिति लि0, महोबा, जिला हमीरपुर के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

*7—श्री बलवीर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित अध्यक्ष महोबा सहकारी मत्स्यजीवी समिति, लि0 महोबा, जिला हमीरपुर का कोई प्रार्थना-पत्र माह अक्तूबर, 1981 में उन्हें मिला जिसके सम्बन्ध में उन्होंने निदेशक, मत्स्य पालन विभाग से आख्या मांगी है, क्या वह आख्या प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

जी नहीं।

परन्तु महोबा सहकारी मत्स्य जीवी समिति लि0 महोबा के बारे में प्रश्नकर्ता महोदय का एक पत्र दिनांक 18-9-1981 शासन को प्राप्त हुआ था। चूंकि उक्त समिति से सम्बन्धित मामला मुंसिफ महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है अतः फिलहाल इस मामले में कोई कार्यवाही करना उपयुक्त नहीं समझा गया है।

मण्डी समितियों व मण्डी परिषद के खिलाफ दायर हाईकोर्ट व सर्विसेज ट्रिब्यूनल के वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति

*8—श्री मारकण्डेय चन्द्र—

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि मन्डी समितियों व मण्डी परिषद के खिलाफ दायर हाईकोर्ट व सर्विसेज ट्रिब्यूनल के वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति फरवरी सन् 1981 में इस शर्त पर की है कि समस्त वादों

की पैरवी नियुक्त अधिवक्ताओं से ही कराएगी ? क्या यह सही है कि नियुक्त अधिवक्ताओं के अतिरिक्त बाहरी अधिवक्ताओं को भी केस दिए गए हैं ? यदि हां, तो किसको कितने और किस आधार पर दिए गए ?

श्री भानुप्रताप सिंह--

जी हां ।

यह सही है कि प्रश्नगत आदेश परिषद् द्वारा निर्गत किए गए थे । यह व्यवस्था परीक्षण के आधार पर तदर्थ रूप से की गई थी । यह भी सही है कि जिलाधिकारी की संस्तुति पर कुछ समितियों के वकीलों की नियुक्ति बाहर से की गई है । आवश्यकतानुसार लोक सेवा अधिकरण में पैनल में नामित वकीलों से अलग वकीलों की नियुक्ति परिषद् के वादों की पैरवी के लिए की गयी है । ऐसा गुणावगुण के आधार पर किया गया है । प्राप्त सूचना के आधार पर समितियों के 4 केस तथा लोक सेवा अधिकरण के 2 केस अन्य एडवोकेटों को दिए गए हैं ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

मंत्री जी के मूल उत्तर के सन्दर्भ में, क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मण्डी परिषद् में अधिवक्ताओं का पैनल इसीलिए बनाया गया था कि मंडी समिति के सचिव लोग हाईकोर्ट और सर्विस ट्रिब्युनल में केसों की पैरवी में, वकीलों को बहुत अधिक धनराशि देकर केसेज की पैरवी कराते थे और उनसे कमीशन लेते थे ? और मंडी परिषद् ने जब इसका निर्णय ले लिया और पैनेल बनाकर उसके अधिवक्ताओं की फीस निश्चित कर दी तो सचिव उससे परेशान हैं और वह इसी कारण से बाहर के वकीलों से पैरवी करा रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अब जो प्रश्न किया कि कौन क्या कमीशन ले रहा है, इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है लेकिन जो पैनल बना है उसमें जो लोग हैं उनको एक निश्चित रकम दी जाती है । यह बात सही है कि बाहर के वकीलों को भी लिया जाता है लेकिन यह तभी होता है जब जिलाधिकारी और दूसरे अधिकारी यह महसूस करते हैं कि पैनल के लोगों के पास काम की अधिकता है या अन्य किसी कारण से वे वादों की ठीक से पैरवी नहीं कर पाते हैं । इसलिए दूसरे वकीलों की नियुक्ति की जा रही है ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंडी परिषद ने जो पैनल में अधिवक्ताओं को हाई कोर्ट और ट्रिब्युनल के लिए नियुक्त किया है उनकी फीस क्या है और जिनको सचिव ने बाहर से नियुक्त कराया उनकी फीस क्या है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि परिषद् ने जो पैनल में वकील नियुक्त किए हैं, उनको कितने केसेज दिए और यदि केसेज की अधिकता के कारण दूसरे वकीलों को नियुक्त किया गया तो बाहर के वकीलों को कितने केसेज दिए गए ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जो पैनल है उसके 4 वकीलों को प्रति केस 500 रुपया दिया जाता है और जो श्री अशोक निगम हैं, उनको प्रति केस 1 हजार रुपया दिया जाता है। बाकी को क्या दिया जाता है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री फखरे आलम—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो मंडी समिति के मुकदमें हों उनको हाई कोर्ट के स्टेन्डिग कौंसिल से और सर्विसेज ट्रिब्युनल में हो उनको वहां के स्टेन्डिग कौन्सिल से करायेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

आपने जो प्रश्न किया है इस सम्बन्ध में कोई निश्चित धारणा नहीं बनी है, लेकिन हम आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। जब कोई चीज प्रकाश में आयेगी, आदेश होंगे तभी बताया जा सकता है।

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

मान्यवर, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने यह जानना चाहा था कि जो पैनल के बाहर के वकील हैं, उनकी क्या फीस है ? उसका उत्तर नहीं दिया गया।

श्री भानुप्रताप सिंह—

बाहर के वकीलों को जो नियुक्त किया जाता है, उनको क्या फीस दी जाती है, उसकी मुझे इस समय जानकारी नहीं है।

*9—श्री हुकम सिंह—

[18-1-82 को तारांकित प्रश्न संख्या-19 द्वारा उत्तरित]

*10—श्री नन्दकिशोर सिंह—

[5 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

विकास खण्ड बुलन्दशहर, गांव धमेड़ा कीरत में कुयें का निर्माण कार्य

*11—श्री किरन पाल सिंह (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड, बुलन्दशहर, स्थित गांव धमेड़ा कीरत के हरिजनों को पीने के पानी के लिए जो कुआं पिछले ढाई वर्ष से बन रहा था अभी उसका निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो किन कारणों से और कुएं का कब तक निर्माण पूरा हो जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

विकास खण्ड बुलन्दशहर, जनपद बुलन्दशहर में स्थित गांव धमेड़ा कीरत में हरिजनों के लिए पीने के पानी के कुए का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

जिला परिषदों में लिपिक एवं स्टेनोग्राफर की नियुक्ति में हिन्दी व अंग्रेजी की टाइप व शार्टहैन्ड का ज्ञान

*12—श्री हरिवंश सहाय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषदों में लिपिक एवं स्टेनोग्राफर की नियुक्ति में हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी का टाइप तथा शार्ट हैण्ड जानना जरूरी है ? यदि हां, तो जिला परिषद् में अंग्रेजी टाइप का काम क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

अपरिहार्य कारणों से शासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु हिन्दी व अंग्रेजी की टाइप व शार्ट हैन्ड का ज्ञान होना आवश्यक है । इसलिये जिला परिषद् सेवा नियमावली में इसका प्राविधान किया गया है ।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् में अंग्रेजी टाइप राइटर और शार्ट हैण्ड के कौन कौन से काम होते हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

शासन को रेडियोग्राम व टेलीप्रिंटर द्वारा भेजे जाने वाली महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिये वे सभी सम्वाद अभी केवल अंग्रेजी भाषा में ही निःसृत किये जा सकते हैं । कोर्ट में प्रति शपथ-पत्र दायर करने के लिए और पूर्व में अंग्रेजी के पत्र व्यवहार की प्रतिलिपियां आदि बनाने हेतु जिनकी बहुधा शासन अथवा कोर्ट में आवश्यकता पड़ती रहती है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक बार नहीं अनेकों बार इस प्रकार की राजाज्ञा जारी हुयी है कि यहां पर प्रशासन की भाषा हिन्दी है । गत वर्ष इसी सदन में जब एक रेडियोग्राम अंग्रेजी का पढ़कर सुनाया गया तो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया था । और आपके पीठ से भी यह निर्देश हो चुके हैं कि रेडियोग्राम आदि में भी अंग्रेजी का प्रयोग न किया जाये । तो जब सब स्तर पर यह प्राविधान है कि हिन्दी का ही प्रयोग किया जाये, और हिन्दी को राज्य भाषा माना जा चुका है, तो जिला परिषदों में अंग्रेजी की जानकारी को भी अनिवार्य रखने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैंने अभी बतलाया कि यह काम अंग्रेजी में ही होते हैं, इसलिये वह आवश्यक है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थायीकरण

*13--श्री सत्य पाल सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में जिन तीन अधिकारियों को अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थायी किया गया है, उनके स्थायीकरण में क्या आधार रखा गया है ? क्या उनसे सीनियर अधिशासी अभियन्ता विभाग में हैं ? यदि हां, तो उन्हे क्यों नहीं स्थायी किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत तीन अभियन्ताओं का अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थायीकरण किया गया है। स्थायीकरण विभाग में संविलयन तथा सेवा विवरण एवं चरित्र पंजिका के आधार पर किया गया है।

जिन तीन अधिकारियों का अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थायीकरण किया जा चुका है उनसे वरिष्ठ कोई अधिशासी अभियन्ता इस समय विभाग में कार्यरत नहीं है।

अतः इनसे वरिष्ठ किसी अधिशासी अभियन्ता के स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्य पाल सिंह--

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन तीन अधिशासी अभियन्ताओं की नियुक्ति की गयी है उनके नाम क्या-क्या हैं और क्या उनकी चरित्र पंजिका में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि भी थी ? तथा उनकी नियुक्ति कब की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

नाम हैं सर्वश्री एम0 आर0 सिद्दीकी, आर0 बी0 श्रीवास्तव, एम0 एल0 शर्मा। इनका लोक सेवा आयोग से अनुमोदन प्राप्त हुआ था 1962, 1962 और 1970 में।

श्री सत्य पाल सिंह--

कोई प्रतिकूल प्रविष्टि भी है चरित्र पंजिका में इन लोगों की ?

श्री बलराम सिंह यादव--

अगर यह होती तो सम्भवतः इनका स्थायीकरण ही न होता।

श्री सत्य पाल सिंह--

वरिष्ठता के आधार पर जो सूची तैयार की गयी थी उनमें चौथे नम्बर पर किसका नाम था ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, यह सभी इन्जीनियर्स दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये हुये हैं। इनके मूल विभागों से केवल इन्हीं तीनों के लिये सहमति प्राप्त हुई थी। इसके अलावा और जितने भी अधिशासी अभियन्ता हैं उनके बारे में उन्हें लेने के बारे में सहमति नहीं प्राप्त हुई थी।

उप निदेशक, भूमि संरक्षण विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियों का आधार

*14—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, भूमि संरक्षण विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ने 1 जुलाई, 1980 से 1 नवम्बर, 1981 तक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर गढ़वाल मण्डल में कितनी नियुक्तियां की हैं और यह भी सही है कि इन नियुक्तियों में उन्होंने शासकीय नियमों की अवहेलना कर गढ़वाल मण्डल से बाहर के लोगों को नियुक्ति दी है ? यदि हां, तो क्या यह नियुक्तियां निरस्त की जायेंगी और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

13 नियुक्तियां की हैं।

जांच की जा रही है ?

जांचोपरान्त नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों के बारे में यह आवश्यक है कि अभ्यर्थियों के नाम जिले के सेवायोजन कार्यालय से मंगाय जायें। यह जो 13 नियुक्तियां की गयी हैं इनके नाम सेवायोजन कार्यालय से नहीं आये थे और उनकी नियुक्तियां बाहर से की गयी हैं क्या यह सही है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्तियां की गयी हैं, जिनका नाम सेवायोजन कार्यालय में नहीं है और उनका नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, इस बात की मुझे निश्चित जानकारी नहीं है कि उनके नाम, जिनकी नियुक्तियां की गयी हैं, सेवायोजन कार्यालय में हैं या नहीं। लेकिन 13 व्यक्तियों के नाम मेरे पास हैं, जिनकी नियुक्तियां की गयी हैं, उनका पता मेरे पास नहीं है। उनका नाम पढ़े देता हूं

(1) जगत सिंह धनई,

(2) सत्य नारायण ध्यानी,

(3) भरत राय,

(4) सूरज मणि नौटियाल,

(5) अरुण कुमार जुयाल,

(6) अंगद राय,

(7) केदार सिंह,

(8) सुमेर सिंह,

(9) हरीश कुमार,

(10) राम सरन नौटियाल,

(11) रमेश चन्द्र जोशी,

(12) राम पाल सिंह चौहान,

(13) जगदीश सिंह ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि भूमि संरक्षण विभाग, उप निदेशक कार्यालय, गढ़वाल मंडल में अपने अधीन सभी भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालयों में कतनी नियुक्ति इस दौरान की गयी हैं ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह नियुक्तियां उप निदेशक, भूमि संरक्षण कार्यालय की हैं कि उनके अधीन सभी भूमि संरक्षण कार्यालयों की हैं ? यदि ये नियुक्तियां सभी भूमि संरक्षण कार्यालयों की नहीं हैं, तो इसकी मंत्री जी जांच करायेंगे कि इस दौरान कितनी नियुक्तियां हुई हैं, जिनके नाम सेवायोजन कार्यालय में नहीं हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, आदरणीय विधायक जी ने जो शिकायत की थी उस पर जांच के आदेश दे दिए गये थे और जो सूचना हमारे पास उपलब्ध थी, वही सूचना हम इस वक्त दे पाये और बाकी जो आप लिखकर दे देंगे तो उस पर जांच करवा ली जायगी ।

श्री बिहारी लाल दोहरे--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो नियुक्तियां की हैं, उसमें 18 प्रतिशत रिजर्वेशन का ध्यान रखा गया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, हमने तो इसमें कोई नियुक्ति की नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, नियुक्तियों के सम्बन्ध में सामान्य व्यवस्था और नियम यह है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियां लोकल ही की जायगी और उनके लिए इम्पलायमेंट इक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है । मान्यवर, मैं यह जानना

चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जांच के आदेश दिये और जांच के बाद उसकी क्या कोई रिपोर्ट सरकार को इस बात की मिली है कि उनमें कौन-कौन से लोग क्षेत्र के बाहर के थे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसकी पूरी जांच रिपोर्ट मेरे पास नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप देखें कि किस तरह से मंत्री लोगों के पास शासन की ओर से सूचनायें गलत आ रही हैं । मान्यवर, नियमों की अवहेलना करके नियुक्तियां कर ली गयी, मान्यवर, यह 18-11-81 का प्रश्न है, 3 महीने हो गये, तीन महीने के बाद भी स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है । मान्यवर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह बड़ा गम्भीर मामला भ्रष्टाचार का है । मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें अन्यथा नियुक्तियों के मामले में यही भ्रष्टाचार रहेगा ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा है कि जांच करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जांच आज करेंगे, मान्यवर, आज से 3 महीने पहले इस सवाल की सूचना शासन को मिली थी, मान्यवर, पढ़ने से स्पष्ट मालूम होता है कि बाहर के व्यक्तियों को ले लिया गया है । तो फिर रिपोर्ट क्यों नहीं आयी, मान्यवर?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, 25-9-1981 को माननीय सदस्य ने पत्र लिखा था, मान्यवर, उसी वक्त जांच के आदेश दे दिये गये थे । मान्यवर, अभी तक जांच की रिपोर्ट आई नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आज 5-6 महीने जांच के आदेश हुये हो गये । यह शासन की शिथिलता का नंगा उदाहरण हमारे सामने है । या तो प्रशासनिक अधिकारी मंत्री जी पर हावी हैं कि 5 महीने के बाद भी पूरी रिपोर्ट नहीं आ रही है । क्या इस शिथिलता एवं अनियमितता के लिये मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, गुप्त जी ने जो प्रश्न किया उसमें एक बात तो यह कही कि प्रशासनिक अधिकारी मेरी सरकार पर हावी हैं । इस वक्त तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी कम से कम मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता है और जो आपने मूल प्रश्न उठाया है वह पहले ही अपने मन से सारी चीजें मैं कर चुका हूं और आपको निश्चित जानकारी शीघ्र ही करा दूंगा और यदि गलत नियुक्तियां हुई हैं तो निरस्त करा दूंगा ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि इस सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र सितम्बर के महीने में प्राप्त हुआ ओर सितम्बर के बाद 28-11-1981 को प्रश्न के जरिये इसको किया गया। प्रश्न का जवाब आधा आया है। क्या मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि जो शिकायती पत्र था उन शिकायतों का जवाब इस सवाल के जरिये इस सदन में न आने का क्या कारण है क्या इसकी जांच करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जो पत्र माननीय सदस्य ने लिखा है वह कृषि निदेशक को लिखा है और उस पत्र को सुना दूं तो जो प्रश्न आप कर रहे हैं, नहीं कर सकते। जैसी आज्ञा हो वैसा करूं।

श्री अध्यक्ष--

जांच की जा रही है। जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यह आश्वासन हो गया है। इसके बाद तो आप स्वतः जांच करेंगे। आश्वासन समिति के आप चेयरमैन हैं।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई।

श्री रियासत हुसैन--

हमें तो पता भी नहीं था उस पत्र का। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि एक शिकायती-पत्र सितम्बर में प्राप्त हुआ था। हम नहीं चाहते हैं कि उनके कन्टैक्स क्या हैं ? मेरा प्रश्न केवल यह है कि सितम्बर के महीने में शिकायती पत्र प्राप्त हो गया। फिर उस पत्र को कबर किया गया प्रश्न के जरिये से। इस अरसे में स्पष्ट रूप से मंत्री जी जवाब नहीं दे पाये इसकी जांच करायेंगे कि क्या कारण है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री बिहारी लाल--

जो बात मैंने पूछा था उसको मंत्री जी ने घुमा दिया। मंत्री जी ने कहा कि अफसर उनके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं मंत्री जी ने यह भी कहा कि नियुक्ति हमने नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके विभाग के अधिकारी जो हैं, हमारे प्रदेश के नेता मुख्य मंत्री और श्रीमती इन्दिरा गांधी जो 18 प्रतिशत की बात कर रहे हैं, उसमें हरिजनों की कितनी नियुक्ति की गई हैं और अगर हरिजनों की नियुक्ति नहीं हुई, तो कैसे हुई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि जांच चल रही है तो कौन अधिकारी जांच कर रहे हैं और जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

(उत्तर न मिलने पर)

यह शासन खोखला है । शासन में भाई भतीजावाद चल रहा है । इसलिये मैं सदन का त्याग कर रहा हूं । विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है ।

(श्री विद्या सागर नौटियाल सदन त्याग कर चले गये)

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

मन्त्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसलिये मैं मंत्री जी के व्यवहार से सदन का त्याग कर रहा हूं ।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट सदन त्याग कर चले गये)

जनपद मुजफ्फरनगर में कृषि विभाग द्वारा उतरवाई गई खाद की रैक तथा क्षति की जांच

*15—श्री वीरेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर में अप्रैल, 1981 में एक खाद की रैक कृषि विभाग ने उतरवाई थी ? जिसमें 1,80,000 (एक लाख अस्सी हजार) की क्षति दिखाई गयी थी, कुछ कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने विभागीय निर्देशों के अनुरूप समिति गठित किए बिना उस स्टाक की डिलवरी ली ? क्या शासन की जानकारी में यह भी आया है कि स्टाक को माल गोदाम से बफर गोदाम के रास्ते में आने वाले धर्मकांटों पर न तुलवा कर गोदाम से आगे तुलवाया गया ? क्या उक्त धर्मकांटा केवल इसी खाद को तोलने हेतु लगाया गया था, जो तुरन्त उखाड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्या कृषि मन्त्री इस मामले की सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां ।

स्टाक कृषि विभाग का न होने के कारण इन्वाइस अभी तक अप्राप्त है । अतः वास्तविक क्षति का मूल्यांकन सम्भव नहीं है ।

प्रश्नगत रैक बिना पूर्व सूचना के आयी थी जो शासन के निर्देशानुसार तुरन्त उतरवाई गयी जिसके फलस्वरूप समिति का गठन सम्भव न हो सका ।

जी हां ।

जी नहीं ।

मामला विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वेटरनरी कालेज, मथुरा में छात्रों का दाखिला तथा हरिजनों हेतु आरक्षण कोटा

*16—श्री कन्हैया लाल (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वेटरनरी कालेज, मथुरा में पिछले 6 वर्षों में कुल कितने छात्रों का दाखिला किया गया ? एवं इनमें हरिजन छात्र कितने थे ? क्या यह बात सही है कि उक्त कालेजों में दाखिले के समय हरिजनों के प्रतिशत का कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार उसे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय को वर्ष 1975 में हस्तान्तरित वेटेरनरी कालेज मथुरा में पिछले छः वर्षों में बी0 बी0 एस0 सी0 एण्ड ए0एच0 में 250 छात्रों तथा एम0 बी0 एस0 सी0 (पूर्वार्द्ध) में 134 छात्रों को प्रवेश दिया गया ।

इनमें बी0 बी0 एस0 सी0 एण्ड ए0 एच0 में एक हरिजन छात्र को प्रवेश मिला था ।

बी0 बी0 एस0 सी0 एन्ड ए0 एच0 कक्षा में प्रवेश हेतु हरिजन जाति के अभ्यर्थियों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षित हैं ।

वर्तमान परियोजना अधिकारी (कृषि) गोरखपुर, श्री राजेन्द्र सिंह के कार्यकाल में गबन

*17—श्री पन्ने लाल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान परियोजना अधिकारी कृषि गोरखपुर श्री राजेन्द्र सिंह के कार्यकाल में दरहटा बीज भन्डार पर दो लाख अड़तालिस हजार, भटहर बीज भन्डार पर पैंसठ हजार, बफर गोदाम कूड़ा घाट पर, सत्तर हजार, सहजनवां बीज भन्डार पर एक लाख पचास हजार नौगढ़ बीज भंडार पर दस हजार एवं ककरही बीज भन्डार पर इक्कीस हजार के गबन का आरोप हुआ है ? इस सम्बन्ध में इनके विरुद्ध क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

वर्तमान परियोजना अधिकारी (कृषि) गोरखपुर श्री राजेन्द्र सिंह के कार्यकाल में दरहटा बीज भन्डार पर रुपये 2,54,143·99 भटहट बीज भन्डार पर रु0 54,497 71 तथा बफर गोदाम कूड़ाघाट पर रु0 66,817·42 के गबन/क्षति के मामले प्रकाश में आये हैं ।

सहजनवा बीज भंडार के प्रभारी द्वारा अभिलेख लेकर फरार होने के कारण वास्तविक गबन/क्षति की धनराशि ज्ञात नहीं हो सकी हैं ।

नौगढ़ तथा ककरही बीज भंडार पर कोई गबन नहीं है ।

परियोजना अधिकारी के पर्यवेक्षीय उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु श्री के0 एन0 श्रीवास्तव संयुक्त कृषि निदेशक (व्योरो) को प्रारम्भिक जांच हेतु आदेशित किया गया है ।

श्री पन्ने लाल—

मान्यवर, जब सदन के सामने गबन के मामले प्रकाश में आये हैं तो क्या मंत्री जी उस परियोजना अधिकारी (कृषि) को तत्काल हटा कर जांच करायेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां, उनको हटाकर जांच करायेंगे ।

कृषि बीज गोदाम, नवतनवां में निम्नस्तरीय डी0 ए0 पी0 खाद का वितरण

*18—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, 1981 में कृषि बीज गोदाम, नवतनवां में निम्न स्तरीय डी0 ए0 पी0 खाद वितरण सम्बन्धी जन प्रतिनिधियों की शिकायतें जिलाधिकारी, गोरखपुर उप निदेशक (कृषि) गोरखपुर तथा जिला परियोजना अधिकारी (कृषि) को मिली है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी नहीं नवम्बर, 1981 में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई ।

विश्वविद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में अनुसूचित एवं जनजाति के विद्यार्थियों के आरक्षण पर विचार

*19—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें 15 अगस्त से 22 अगस्त, 1981 के बीच दि शेड्यूल्ड कास्ट्स आयलिप्ट यूनियन की ओर से कोई आवेदन-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि प्रदेश के तीन कृषि विश्वविद्यालयों में एम0 एस-सी0 एजी0 व पी0 एच0 डी0 में अनुसूचित एवं जनजाति के विद्यार्थियों को आरक्षण दिया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

विश्वविद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में आरक्षण सम्बन्धी प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए विश्वविद्यालय स्वयं सक्षम हैं । अतः प्रश्नगत सुझाव कृषि विश्वविद्यालयों को उपयुक्त कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, इस बात को देखते हुये कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी बी0 एस-सी0 एजी0, एम0 एस0 सी0 एजी0 में प्रवेश नहीं पायेंगे और पी0 एच0 डी0 में प्रवेश नहीं पायेंगे तो वह अध्यापक नहीं बन पायेंगे, इसलिये मंत्री जी इस स्थिति को देखते हुए क्या स्पष्ट आदेश विश्वविद्यालयों को देंगे कि भर्ती में आरक्षण लागू किया जाय ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, सरकार अपनी हैसियत भर गरीब और पिछड़े लोगों के लिये जो कर सकती है, वह करेगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय मंत्री जी का जवाब तो खैर हुआ नहीं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी ओर से विश्वविद्यालयों को लिखेगी, एम0 एस-सी0

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

ए0जी0 व पी0 एच0 डी0 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण नहीं हुआ तो अध्यापक वे कभी बन सकेंगे, तो क्या सरकार निर्देश देगी कि इसमें भी अनसूचित जाति एवं जनजाति के लिये आरक्षण करें ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि जो भी सरकार की हैसियत है या क्षमता है उसके अनुसार विश्वविद्यालयों के लिये इस विषय में अगर निर्देश दे सकते हैं, जरूर देंगे ?

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, शासन की नीति है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को आरक्षण दिया जाय, अगर ऐसी नीति है तो क्या सरकार निर्देश देगी कि नीति का पालन किया जाय ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं इसकी जानकारी कराऊंगा कि क्या हम निर्देश दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो हमें खुशी होगी कि हम उन लोगों की कुछ मदद कर सकेंगे ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन व मांगें

**1--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री गौरी शंकर भैय्या, श्री राम गोविन्द, श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री मित्रसेन, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री जमुना प्रसाद, श्री राम सागर, श्री लल्लू सिंह चौहान, श्री थम्मन सिंह गहलौत, श्री राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री भीखालाल तथा श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत 21 जनवरी, 1982 को प्रदेश के करीब 50 हजार ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं किसानों ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में लखनऊ में प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो इनकी मांगें क्या हैं एवं सरकार उन मांगों के विषय में क्या करने जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

(1) जी हां ।

(2) 21 जनवरी, 1982 को ग्राम्य विकास विभाग के कतिपय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया था ।

ग्राम्य विकास विभाग के खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम्य विकास अधिकारी संगठनों द्वारा की गयी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :--

(1) खंड विकास अधिकारी का संशोधित वेतनमान 690-1,420 रु0 न कर सभी खंड विकास अधिकारी को श्रेणी-2 (850-1,720 रु0)

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

का संशोधित वेतनमान दिया जाय । इसके अतिरिक्त 50% सेलेक्शन ग्रेड 1320–1900 रु0 में दिया जाय ।

(2) अतिरिक्त जिला विकास अधिकारियों को श्रेणी–2 के सेलेक्शन ग्रेड से अधिक वेतन दिया जाय अथवा 100 रु0 विशेष वेतन दिया जाय ।

(3) उप विकास आयुक्तों को पी0 सी0 एस0 के बराबर 1,840–2,400 रु0 का वेतनमान दिया जाय ।

(4) जिला विकास अधिकारियों/उप विकास आयुक्त के पदों पर 50 प्रतिशत सलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(5) ग्राम्य विकास विभाग एवं क्षेत्रीय विकास विभाग के सभी पद विभागीय अधिकारियों को दिए जायं ।

(6) पी0 सी0 एस0 में खण्ड विकास अधिकारी के 35 प्रतिशत पद रखे जायं ।

(7) एक प्रान्तीय ग्राम्य विकास सेवा की स्थापना की जाय ।

(8) स्थानापन्न खंड विकास अधिकारी का नियमितीकरण ।

(9) ग्राम्य विकास एवं समन्वय निदेशालय का गठन ।

(10) ग्राम्य विकास अधिकारी का वेतनमान सुपरवाइजर कानूनगो से किसी भी दशा में कम निर्धारित न किया जाय ।

(11) ग्राम्य विकास अधिकारियों के कुल पदों के 50 प्रतिशत को विशेष वेतनमान दिया जाय ।

(12) बहुधंधी एवं जटिल कार्य करने के फलस्वरूप ग्राम्य विकास अधिकारियों को विशेष वेतन दिया जाय ।

(13) इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव––

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सम्बन्धित मांगों के सिलसिले में जैसा कि मन्त्री जी ने कहा है कि सहानुभूति–पूर्वक विचार किया जा रहा है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी और कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव––

मान्यवर, इस पर शासन शीघ्र ही निर्णय लेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये मांगें उसी दिन दीं, उसके पहले भी समय–समय पर मांगें देते रहे हैं । तो शासन द्वारा कोई कमेटी बनायी गयी है इसकी जांच के लिए ?

यदि हां, तो वहां क्या विचार हो रहा है और वे मांगें क्या हैं जिनको शासन ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

समन्वय निदेशालय की जो मांग है, उसको सिद्धान्ततः शासन ने स्वीकार कर लिया है और अन्य मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री मित्रसेन--

जो प्रदर्शन हुआ, उसमें 11 मांगों का जिक्र किया गया है जिसकी घोषणा कर दी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इनमें किन-किन मांगों पर सिद्धान्त रूप से शासन सहमत है और उन पर घोषणा कब तक कर दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उनकी मांगों के सम्बन्ध में वेतन आयोग को पुनः लिखा गया है और उसके बाद उनकी मांगों के सिलसिले में मामला मंत्रिमन्डल में लाया जायेगा, वहीं पर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वही पुराना वेतन आयोग या कोई दूसरा है ? क्या वह अभी जिन्दा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वही वेतन आयोग है, जो एनामिलीज आदि आती हैं, उनको रेफर कर दिया जाता है ।

लखनऊ जनपद के बलरामपुर, सिविल तथा टूड़ियागंज अस्पताल में निलम्बित किये गये डाक्टर व चार्जशीट

**2--श्री मुख्तार अनीस तथा श्री फखरे आलम--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि जुलाई सन् 1980 में लखनऊ जनपद के बलरामपुर, सिविल तथा टूड़ियागंज अस्पतालों के कुछ डाक्टरों को निलम्बित किया गया था ? क्या यह सही है कि डेढ़ वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने पर भी उनके विरुद्ध अभी तक कोई चार्जशीट नहीं लगायी जा सकी है ? यदि हां, तो क्या ब्योरे से सारे तथ्य सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

जी हां, जुलाई, 1980 में चार चिकित्साधिकारी निलम्बित किए गए थे । सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है । जांच का परिणाम ज्ञात होने पर ही चार्जशीट देने पर विचार हो सकता है ।

ब्योरे देना जनहित में न होगा ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मन्त्री जी ने ऐसा जवाब दिया कि कोई जवाब नहीं है । डेढ़ साल हो गये वे सस्पेंड कर दिये गये हैं । क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट

: रेंगे कि इन सब डाक्टरों के नाम क्या हैं और किस तारीख को सस्पेंड किये गये तथा इन्क्वायरी कौन आफिसर कर रहा है ?

श्री लोकपति--

श्रीमन् डाक्टरों के नाम हैं—डाक्टर सी0 एम0 मिश्रा, एस0 के0 श्रीवास्तव, और एक हैं आर0 कुंवर, ये जुलाई, 1980 में निलम्बित किये गये थे, 26-7-80 को।

श्री फखरे आलम--

आपने डाक्टरों के नाम बता दिये और तिथि बता दी लेकिन तीसरी चीज नहीं बतायी कि कौन आफिसर जांच कर रहा है, इसको तो न बताना जनहित में नहीं है ?

श्री लोकपति--

सतर्कता विभाग से जांच हो रही है।

श्री फखरे आलम--

सतर्कता विभाग कर रहा है तो मान्यवर, जिसे पिया चाहे वही सुहागन...

श्री अध्यक्ष--

सतर्कता विभाग कर रहा है और उसमें कौन कर रहा है, यह कोई आवश्यक नहीं है।

श्री मोहन सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि, नियमानुसार जिस किसी भी राज्य कर्मचारी/अधिकारी को निलम्बित किया जाता है, 6 महीने के अन्दर चार्जशीट दी जानी चाहिए, काफी अर्सा हो गया क्या इनको चार्जशीट दी है ? यदि दी है, तो वह क्या है ?

श्री लोकपति--

पहली सूचना के अन्तर्गत यह चारों अधिकारी दोषी पाये गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, 6 महीने में चार्ज शीट दी जानी चाहिए, मैं फिर मोहन सिंह जी के प्रश्न को दोहरा रहा हूं, जो चार्जशीट दी गई है, वह क्या है ? मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूं कि आपने क्या किया है, निलम्बित किया है या नहीं ? सबसे पहले जो दोषी पाये गये हैं, उनको चार्जशीट दी गयी है या नहीं और यदि दी गई है, तो वह क्या है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री फखरे आलम--

6 महीने के अन्दर कोई चार्ज शीट नहीं बन पायी है और सरकार उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं बना पा रही है तो क्या इसका लाभ उनको देने की कृपा की जायेगी ?

श्री लोकपति--

मैंने पहले ही उत्तर दिया है कि पहली जांच के अन्तर्गत वे अपराधी पाये गये थे और आरोप वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कंडक्ट रूल्स के अन्तर्गत ऐसी इनक्वायरी एक साल के अन्दर खतम कर देनी चाहिये और मन्त्री जी को भी मंत्रिमंडल में आये डेढ़ साल से ज्यादा हो गये, फिर भी वे इसकी इनक्वायरी अभी तक नहीं करा पाये, जिससे उनका हर्ससमेंट हो रहा है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उनको सस्पेंशन एलाउंस दो तिहाई, तीन चौथाई या एक तिहाई वेतन का कब से दिया जायेगा ?

श्री लोकपति--

पहली बात तो यह कि मंत्री बने हुए मुझे दो साल से ज्यादा हो गये । दूसरी बात यह कि उनको सस्पेंशन एलाउंस दिया जा रहा है । उनके वेतन का तीन चौथाई दिया जा रहा है, एक डाक्टर कुंवर का प्रार्थना-पत्र अभी तक नहीं आया है । आने पर उनको भी दे दिया जायेगा ।

श्री मोहन सिंह--

राष्ट्रपति शासन में भी आप मन्त्री थे क्या ? मन्त्री बने आपको दो साल से अधिक कैसे हो गया ।

(हंसी)

श्री सूबेदार सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है, इससे स्पष्ट है कि जब सतर्कता विभाग जांच कर रहा है तो उनके खिलाफ कोई प्राइमाफेसीकेस बना होगा । तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ प्राइमाफेसी केस क्या है और किस अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है ?

श्री लोकपति--

मैंने बतलाया कि 1980 के जुलाई मास में समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था । भारत सरकार के अन्तर्गत जो कंटिबयूटरी हेल्थ स्कीम है उसी में भारत सरकार के कर्मचारियों को फालस प्रिस्क्रिप्शन्स पर दवाइयों में घपले करने के विषय में आरोप थे ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि समाचार-पत्रों के आधार पर जो जो आरोप आपको मिले थे उनमें से कौन-कौन से आरोप सही पाये गये ?

श्री अध्यक्ष--

बतलाया तो कि सतर्कता विभाग इसकी जांच कर रहा है ।

श्री सूबेदार सिंह—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार की जांच चलती है, वह लम्बे समय तक चलती है, जिसके लिये सरकार अभी तक कोई समय निर्धारित नहीं कर पाई है जिससे उसे परेशानी होती है, जनता को भी होती है और सरकारी धन का दुरुपयोग भी होता है, क्या शासन की तरफ से कोई ऐसा निर्णय किया जायेगा कि अमुक समय के अन्दर इनक्वायरी पूरी हो जाय और उसकी रिपोर्ट पर जो भी फैसला हो वह एक निर्धारित तिथि के अन्दर हो जाय ?

श्री अध्यक्ष—

यह जनरल प्रश्न है ।

श्री लोकपति—

शासन का निर्णय है कि 6 महीने में जांच पूरी कर ली जाय और न हो तो उसका समय बढ़ा दिया जाता है । यह अलग-अलग केस पर निर्भर करता है । किसी केस में विलम्ब होता है और किसी केस में शीघ्र हो जाता है ।

अतारांकित प्रश्न

क्योलड़िया पशु चिकित्सालय में पशुधन विकास अधिकारी तथा उपस्थित अन्य व्यक्तियों के बीच गाली-गलौज व मारपीट की घटना की दर्ज रिपोर्ट

श्री चेतराम गंगवार—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि जिला बरेली में ब्लाक भदपुरा के पशु चिकित्सालय के इंचार्ज चिकित्सक (बी0ए0एस0) को दिनांक 13 नवम्बर, 1981 को वहां की जनता ने बुरी तरह पीटा और जिसकी रिपोर्ट भी उन्होंने 20 नवम्बर, 1981 को थाना हाफिजगंज पर लिखाई? यदि हां, तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मार-पीट का कारण क्या था ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित दिनांकों की किसी घटना की जानकारी तो प्राप्त नहीं हुई है । यह ज्ञात हुआ है कि पशुधन विकास अधिकारी, क्योलड़िया पशु चिकित्सालय द्वारा थाना हाफिजगंज में दिनांक 16 नवम्बर, 1981 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 16 नवम्बर, 1981 को क्योलड़िया पशु चिकित्सालय पर उपचार व चिकित्सकीय परामर्श हेतु लाये गये घोड़ा जो आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत दिनांक 12 नवम्बर, 1981 को क्रय किया गया था, के बारे में पशुधन विकास अधिकारी और घोड़ा को लाने वाले व्यक्तियों के अलावा घटनास्थल पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों के बीच विवाद हुआ जिसमें पशुधन विकास अधिकारी के साथ गाली-गलौज व मारपीट की गई ।

नोट :—(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया ।)

जनपद शाहजहांपुर में टूरिस्ट होटल खोले जाने की योजना

2—श्री सिकन्दर अली खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर में टूरिस्ट होटल खोले जाने की योजना सरकार के विचाराधीन थी ? यदि हां, तो क्या वह समाप्त कर दी गई है ? यदि नहीं, तो उसे कार्यान्वित करने में विलम्ब के कारण क्या है ?

पर्यटन मंत्री (श्री विद्याभूषण)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के कतिपय गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निर्माणाधीन कुओं में घटिया किस्म की ईंट लगवाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

3—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक के मोहनपुर गिरन्ट और पियारेपुर अचकवा ग्रामों में हरिजन बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निर्माणाधीन कुओं में विकास खंड कटेहरी के कर्मचारियों द्वारा घटिया किस्म का ईंट लगवाने के सम्बन्ध में जनता पार्टी के भूतपूर्व एम0एल0ए0 तथा 'भ्रष्ट अधिकारियों को इंगित करो' आन्दोलन की संघर्ष समिति के संयोजक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित दिनांक 30 जून, 1981 को रजिस्टर्ड पत्र शासन को मिलगया है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

4—श्री राम आसरे वर्मा—

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

विकास खंड कटेहरी, ग्राम सभा रामपुर बनेथू में पेयजल राहत कार्य में लगाये गये हैन्ड-पाइप की जांच तथा तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

5—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में जनता पार्टी के भूपपूर्व एम0एल0ए0 श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी ने दिनांक 22 सितम्बर, 1981 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को एक शिकायती-पत्र भेजकर पेय जल राहत कार्यों में लगाये गये हैन्ड पम्प में किए गए भ्रष्टाचार की जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी

(विकास), फैजाबाद के माध्यम से कराने का विरोध किया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास), फैजाबाद के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और जांच का परिणाम क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

इन मामले के पूरे तथ्य एवं विवरण निम्न प्रकार हैं :—

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, भू0 पू0 एम0 एल0 ए0, जनता पार्टी का दिनांक 22 सितम्बर, 1981 का एक शिकायती-पत्र जनपद स्तर पर प्राप्त हुआ था । प्रश्नगत शिकायती-पत्र में यह उल्लेख है कि ग्राम सभा रामपुर बनेथू, विकास खंड कटेहरी में पेयजल राहत कार्य में लगाये गये हैन्ड-पाइप की जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) से न कराई जाये ।

उक्त हैन्ड-पाइप तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) के समय में लगवाया गया था । हैन्ड-पम्प लगाने में किये गये भ्रष्टाचार की प्राथमिक जांच परगनाधिकारी, अकबरपुर श्री राजेन्द्र पान्डेय द्वारा जिलाधिकारी के आदेश से कराई गई थी । जांच में यह पाया गया कि प्रश्नगत मामले में पाइप की लम्बाई 20 फीट थी जबकि बोरिंग मैकेनिक, जिसने यह हैन्ड पम्प लगवाया था, ने कागजात में इसकी लम्बाई 40 फीट दिखाई थी ।

जांच की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । इस मामले में पाई गई अनियमितता के सम्बन्ध में बोरिंग मैकेनिक तथा सहायक विकास-अधिकारी (लघु सिंचाई) को आरोपित कर दिया गया है । इन दोनों कर्मचारियों के मामले में विभागीय जांच अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी नियुक्त किये गये हैं । विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने पर ही दोषी कर्मचारी को दन्डित करना सम्भव होगा ।

6—श्री राम आसरे वर्मा—

[6ठें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

स्व0 हरिश्चन्द्र सक्सेना, लिपिक, जिला परिषद् की पारिवारिक पेंशन का भुगतान

7—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिश्चन्द्र सक्सेना, लिपिक, कार्यालय जिला परिषद्, सीतापुर, जिनकी सेवारत रहते वर्ष 1973 में मृत्यु हो गयी थी, के परिवार को अभी तक आनुतोषिक एवं पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उनको कब तक भुगतान कर दिया जायगा और अब तक भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, स्वर्गीय हरिश्चन्द्र सक्सेना, लिपिक, जिला परिषद् ने अपनी मृत्यु के पूर्व सेवा-निवृत्ति लाभ नियमावली के नियम-3 के प्राविधानों के अनुसार स्वयं ही विकल्प प्रस्तुत नहीं किया था। इस कारण जिला परिषद् द्वारा मामले में शासन के निर्देश मांगे गए। शासन द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के पश्चात् सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सम्पूर्ण औपचारिकतायें स्व0 सक्सेना की धर्मपत्नी द्वारा ही पूर्ण की जा सकती थीं जोकि समय से उपलब्ध न हो सकी। इस कारण मामले में विलम्ब हुआ। अतः किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। अब सभी औपचारिकतायें पूरी करके पेंशन पत्रादि परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश को भेजे जा चुके हैं। उनकी स्वीकृति प्राप्त होते ही उसके पेंशन आदि का भुगतान कर दिया जावेगा।

देवरिया जनपद में कृषि रक्षा अधिकारी का रिक्त पद

8—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद में कृषि रक्षा अधिकारी का पद विगत दो वर्षों से रिक्त है ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण-3 द्वारा कृषि रक्षा अधिकारी के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में स्थगन आदेश पारित करने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी है।

उप निदेशक, कृषि रक्षा के पद पर नियमित नियुक्ति

9—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उप निदेशक, कृषि रक्षा के पद पर विगत दो वर्षों से नियमित नियुक्ति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची अन्तिम न हो सकने के कारण नियमित नियुक्ति नहीं हो सकी है।

देवरिया, कृषि रक्षा केन्द्र पर रबी में कीट नियंत्रण के लिए रसायनों का पर्याप्त स्टाक

10—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या कृषि मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिला कृषि रक्षा केन्द्र पर रबी में कीट नियंत्रण के लिए रसायनों का पर्याप्त स्टाक है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

11--श्री दीप नरायन वन महन्थ--

[छठें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

12--श्री दीप नरायन वन महन्थ--

[छठें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सचिव, कृषि उत्पादन मंडी, शाहजहांपुर का नालियों को पक्का कराने, पानी की निकासी, खड़ंजा बनाने के सम्बन्ध में पत्र

13--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, तिलहर, शाहजहांपुर ने पत्रांक कृ0 उ0 म0 स0-240, दिनांक 9-12-81 उप निदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मंडी समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा है, पत्र की प्रमुख बातें क्या हैं ? शासन ने उसमें क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो यह कार्यवाही कब तक करा दी जायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रश्नगत पत्र मुख्यतः तिलहर के प्रधान मंडी स्थल पोटरगंज में नालियों के पक्का कराने, पानी की निकासी व सड़कों पर खड़ंजा बनाने के सम्बन्ध में है ।

उक्त निर्माण कार्यों के लिए निविदायें आमंत्रित की गयीं परन्तु कोई निविदा प्राप्त न होने के कारण अभी तक निर्माण कार्य कराया नहीं जा सका है ।

शाहजहांपुर जनपद, कस्बा तिलहर में नगरपालिका की इमारत में देशी शराब का ठेका

14--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के कस्बा तिलहर में देशी शराब का ठेका इस वर्ष नगरपालिका, तिलहर की उसी इमारत में खोला गया है जिस इमारत से सन् 1978 में शिकायतों के आधार पर हटवाया गया था ? यदि हां, तो पुनः इस इमारत में ठेका खुलवाने के लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषी लोगों को दंडित कर इस इमारत से शराब की दुकान हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री गोवरधन तिवारी)--

शाहजहांपुर जनपद के कस्बा तिलहर में देशी शराब का ठेका इस वर्ष नगरपालिका तिलहर की उसी इमारत में खोला गया है जिस इमारत में 1978 तथा उसके पहले था । वर्ष 1978 में शिकायतों के आधार पर इस इमारत से ठेका नहीं हटाया गया बल्कि शासन के आदेश के अनुसार कि स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गयी दुकानों व गुमटियों को शराब की दुकानों के लिए प्रयोग न किया जाय, इस ठेके को तिलहर कस्बे में ही अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का प्रयास किया गया लेकिन जन-विरोध के कारण सफलता नहीं मिली तथा मद्य निषेध समाप्त होने के बाद 1980-81 में भी यह दुकान इसी इमारत में खोली गई और वहीं चल रही है। पुनः इस इमारत में ठेका खुलवाने के लिए कोई दोषी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । इस इमारत से शराब की दुकान हटाना फिलहाल जनहित में सम्भव नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, शाहजहांपुर द्वारा फर्जी डिप्लोमा दाखिल कर नौकरी प्राप्त कर लेने सम्बन्धी पत्र

15—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा शाहजहांपुर ने कोई व्यक्तिगत प्रत्यावेदन पत्रांक सी0 आई0 व्य0 प0 भ—81 दिनांक 23-11-81, जो आयुक्त एवं सचिव कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश को किसी अधि0 अभि0 द्वारा फर्जी डिप्लोमा दाखिल कर नौकरी प्राप्त कर लेने के विषय में भेजा गया है ? यदि हां तो शासन ने उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की है तथा उस पत्र में स्पष्ट तथ्य क्या हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, उक्त शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ।

इसमें उल्लिखित तथ्यों की छानबीन की जा रही है । अतिरिक्त सूचनायें लघु सिंचाई विभाग से मांगी गई हैं ।

इस पत्र में उल्लिखित तथ्य यह है कि श्री कालूराम झूठी सूचनायें तथा दावे प्रस्तुत करके अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्ता सेवा के पद पर पहुंचे हैं एवं इनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था का तकनीकी डिप्लोमा नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर में आई0 आर0 डी0 तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में निर्बल व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य

16—श्री राम चरण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर में 1980-81 में आई0 आर0 डी0 या स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में सरकार ने कितने निर्बल वर्ग या सबल वर्ग के लोगों को ऋण देने का लक्ष्य रखा था ? उनकी संख्या क्या थी ? कितने लोगों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया ? अगर लक्ष्य के अनुरूप ऋण नहीं दिया गया तो क्यों ? क्या जनपद मिर्जापुर का अग्रिणी बैंक, इलाहाबाद बैंक है ? अगर हां, तो इस बैंक ने कितना ऋण सबल व निर्बल वर्ग को इस योजना के अन्तर्गत दिया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद मिर्जापुर में आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत 7615 तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में 843 निर्बल व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा था ।

संख्या उपरोक्तानुसार थी ।

आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत 475 तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 16 लोगों को लाभान्वित किया गया ।

अवशेष परिवारों को ऋण आवेदन-पत्रों पर आपत्ति के कारण ऋण वितरित नहीं किया जा सका ।

जनपद मिर्जापुर का अग्रणी बैंक इलाहाबाद बैंक है ।

ब्लाक द्वारा पूर्ण ऋण वितरण के आंकड़े शासन स्तर पर उपलब्ध नहीं रहते हैं । निर्बल वर्ग के उपरोक्त संख्या के परिवारों को 1529710 रुपये की ऋण धनराशि एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में और 22500 रुपये के ऋण स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में वितरित की गयी ।

17—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[6ठे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कृषि प्रशिक्षण केन्द्रों में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को आरक्षण दिये जाने की सुविधा

19—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा कृषि प्रशिक्षण केन्द्रों में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को आरक्षण की सुविधा दिए जाने से सम्बन्धित एक पत्र दिनांक 14-8-81 को शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी नहीं,

बल्कि एक पत्र 24-8-81 को शासन को प्राप्त हुआ है ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

त्रिलोचन महादेव, जनपद जौनपुर में शराब की दुकान हटवाने की मांग

19—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या आबकारी मंत्री को मालूम है कि जनपद जौनपुर का त्रिलोचन महादेव नामक स्थान अत्यधिक धार्मिक महत्व का है और क्या यह भी सत्य है कि इस स्थान पर शराब की दुकान चलाई जाती है ? क्या क्षेत्रीय जनता की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर सरकार इस स्थान से शराब की दुकान तुरन्त हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोवरधन तिवारी—

जनपद जौनपुर में त्रिलोचन महादेव नामक धार्मिक स्थान स्थित है । त्रिलोचन महादेव में वर्ष में एक बड़ा तथा एक साधारण मेला लगता है । त्रिलोचन महादेव से एक किलोमीटर की दूरी पर प्रश्नगत शराब की दुकान त्रिलोचन बड़ा गांव में स्थित है । वह दुकान 20 वर्ष से सुचारु रूप से चली आ रही है । इस दुकान की स्थिति के विरुद्ध इसके पहले कोई शिकायत या जन-विरोध नहीं रहा है । वर्तमान स्थान से शराब की दुकान हटाने से राजस्व की हानि होगी और साथ ही उक्त क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री को प्रश्रय मिलेगा । इस स्थिति में शराब की इस दुकान को अन्यत्र हटाना सम्भव नहीं है ।

भाटपार रानी एवं भटनी में लागू मंडी शुल्क तथा बकाया की वसूली हेतु कार्यवाही

20--श्री हरिवंश सहाय--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत भाटपार रानी एवं भटनी में मंडी टैक्स कब से लागू है ? लागू की तारीख से 31-12-81 तक कितना टैक्स किसके ऊपर कितना लगाया गया तथा उसमें से कितना भुगतान मिला ? बकाए की वसूली हेतु कौन सी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

भाटपार रानी एवं भटनी में दिनांक 1-8-76 से मंडी शुल्क लागू है । 1-8-76 से 31-12-81 तक भाटपार रानी में 26 फर्मों पर कुल 3,41,409.60 रु0 भटनी में 4 फर्मों पर 7,809.56 रु0 टैक्स लगाया गया जिसका विवरण संलग्न है । इसमें से भाटपार रानी में 1,62,098.42 रु0 तथा भटनी में 7,809.56 रु0 वसूल हुआ । बकाया राजस्व देयों की भांति वसूल करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1479 पर ।)

ग्राम गुराईपुर, सीतापुर में सम्पर्क मार्ग के निर्माण पर विचार

21--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सीतापुर के विकास खंड परसेंडी के ग्राम गुराईपुर को किसी भी सड़क से मिलाने के लिए कोई भी सम्पर्क मार्ग निर्धारित नहीं है ? यदि हां, तो रास्ता देने तथा उसे बनवाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । यह प्रस्ताव राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला स्टियरिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ भेज दिया गया है ।

कोंच के पशु चिकित्सक डाक्टर महेन्द्र कुमार त्यागी के विरुद्ध आरोपों की जांच तथा स्थानान्तरण की मांग

22--श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में विधायकों, जिला अधिकारी जालौन, उपनिदेशक पशुपालन, झांसी और आयुक्त, झांसी मंडल द्वारा कोंच के पशु चिकित्सक डाक्टर महेन्द्र कुमार त्यागी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा वहां से उनका स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में कोई पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

उप निदेशक, पशुपालन, झांसी तथा विधायकों के पत्र प्राप्त हुए थे । डाक्टर त्यागी के विरुद्ध लगाये गये आरोप पशुपालन विभाग द्वारा की गई जांच में सिद्ध नहीं हुये । स्थानान्तरण के प्रस्ताव पर विचार किया गया, परन्तु स्थानान्तरण करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत गूल/नालियों व सड़कों के निर्माण से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

23—श्री किरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में तहसील महाराजगंज में भूमि सरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत गूल, नालियों व सड़कों के निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को लेकर जनवरी, 1981 से माह नवम्बर, 1981 तक कितनी शिकायतें शासन को व स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं ? क्या इसमें ग्राम खेमपिपरा, सोनरा, नंदाभार, सेंदुरिया, कृतपियरा से सम्बन्धित शिकायत हैं ? यदि हां, तो अब इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद गोरखपुर में तहसील महाराजगंज में भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत गूल/नालियों व सड़कों के निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को लेकर जनवरी, 1981 से नवम्बर, 1981 तक 16 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें ग्राम खेमपिपरा, सोनरा, नन्दाभार, सेंदुरिया, कृतपियरा से सम्बन्धित कोई शिकायत नहीं है ।

विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र गैरसैंण, जिला चमोली में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां

24—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र गैरसैंण, जिला चमोली में 1 नवम्बर, 1981 तक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कितनी नियुक्तियां हुई ? क्या यह सही है कि इन नियुक्तियों में उप निदेशक पशुपालन विभाग गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ने शासकीय नियमों की सरासर अवहेलना कर चमोली जनपद से बाहर के लोगों को नियुक्ति दी है ? यदि हां, तो क्या ये नियुक्तियां निरस्त की जायेंगी और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भानु प्रताप सिंह—

तृतीय श्रेणी के तीन तथा चतुर्थ श्रेणी के अठारह पदों पर नियुक्तियां की गई । चूंकि नियुक्तियां नियमानुसार की गई हैं । अतः नियुक्तियां निरस्त करने अथवा किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई मण्डी के स्थल तथा निर्माण पर विचार

25—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की मण्डियों के निर्माण हेतु स्थलों के चयन के सिलसिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 30-4-78 को हुई बैठक में हरदोई मण्डी के स्थल का सर्वसम्मत निर्णय कैनाल रोड निकट आशा नगर के लिए हुआ था ? यदि हां, तो अब तक निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां। तत्पश्चात् एक अन्य स्थल पर निर्माण का सुझाव प्राप्त हुआ इन दोनों स्थलों में से अन्तिम चयन मण्डी परिषद् स्तर पर विचाराधीन है। निर्माण कार्य स्थल के चयन को अन्तिम रूप न दे सकने के कारण शुरू नहीं हो सकता था।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन खंड-2, लखनऊ में सिविल अवर अभियन्ता तथा सिविल सहायक अभियन्ताओं से कराया गया कार्य

26--श्री खैरुल बशर--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन खंड-2, लखनऊ में अवर अभियन्ता यांत्रिक सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के होते हुए भी रिग मशीनों एवं अन्य यांत्रिक कार्यों को सिविल अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन खंड-2, लखनऊ में अधिकांश कार्य (यांत्रिक) अवर अभियन्ता एवं (यांत्रिक) सहायक अभियन्ताओं द्वारा ही कराया जा रहा है, परन्तु कुछ कार्य अनुभवी यांत्रिक अवर अभियन्ता एवं यांत्रिक सहायक अभियन्ताओं की कमी के कारण अनुभवी सिविल अवर अभियन्ता एवं सिविल सहायक अभियन्ताओं से कराया जा रहा है चूंकि दोनों ही, अभियन्त्रण सेवा के हैं, इसलिये दिये गये कार्य को करने में सक्षम हैं।

27-29--श्री राम आसरे वर्मा--

[6ठें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 9, 10, 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फर्रुखाबाद में निर्मित सहकारी डेरी में शीघ्र उत्पादन प्रारम्भ करने सम्बन्धी सुझाव

30--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद में निर्मित सहकारी डेरी में शीघ्र उत्पादन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में शासन को कोई सुझाव 3-7-80 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस डेरी द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किये जाने में क्या कठिनाई है और कब तक उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्रम हेतु खाद्यान्न योजनान्तर्गत गोरखपुर जनपद में धनराशि का आवंटन

31--श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1980-81 में गोरखपुर जनपद में शासन द्वारा खाद्यान्न योजना में अवशेष धनराशि का उपयोग बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सम्पर्क मार्गों के निर्माण में करने का निर्देश है ? यदि हां तो

क्या विकास खंड नौतनवां, विकास खंड लक्ष्मीपुर, विकास खंड कौड़ीराम व पिपरौली बाजार भी बाढ़ से ग्रस्त है और उपरोक्त मद से इस वर्ष वहां कितने किलोमीटर सड़कें बनाने की स्वीकृति पंचायत राज्य अधिकारी गोरखपुर ने दिया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं । श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में गोरखपुर जनपद में कोई धनराशि का आवंटन नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक विकास अधिकारी (कृषि रक्षा) को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किये जाने विषयक कृषि निदेशक के आदेशों का स्थगन

32- श्री नन्द किशोर सिंह---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश दिनांक 19-4-1979 संख्या 1732-1219-1200-76 के आधार पर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश ने अपने आदेश दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 द्वारा सहायक विकास अधिकारी (कृषि रक्षा) को सेलेक्शन ग्रेड श्रेणी वेतनमान का आदेश पारित किया था और शासनादेश दिनांक 24-11-80 के अनुपालन में उक्त आदेश को स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कारण क्या थे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां । सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किये जाने विषयक कृषि निदेशक के आदेशों के विरुद्ध शासन को प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ था । प्रत्यावेदन पर अन्तिम निर्णय होने तक कृषि निदेशक द्वारा पारित आदेशों का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया है ।

जिला परिषद् के, अलीगढ़ के चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों की समाप्त सेवायें एवं भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के मामले में कार्यवाही

33--श्री बाबू सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 17 अप्रैल, सन् 1975 से 5 नवम्बर, 1979 तक कार्यरत जिला परिषद्, अलीगढ़ के चिकित्सालयों में कितने चिकित्साधिकारियों की सेवायें जिला परिषद्, अलीगढ़ द्वारा समाप्त की गई हैं, तथा किन कारणों से ? जिन पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के आरोप नहीं हैं क्या उन्हें पुनः सेवा में लेने पर मंत्री जी विचार कर रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला परिषद्, अलीगढ़ के चिकित्सालयों में 17 अप्रैल, 1975 व 5 नवम्बर, 1979 के बीच कार्य कर रहे चिकित्साधिकारियों में से केवल एक की सेवायें समाप्त की गयी थीं । भ्रष्टाचार व अन्य अनियमितताओं के कारण उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी थी । इन्हीं कारणों से लोक सेवा आयोग ने इनकी नियुक्ति का अनुमोदन भी प्रदान नहीं किया था । इनकी सेवायें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही समाप्त की गयीं जिसके विरुद्ध उन्होंने लोक सेवा अधिकरण में याचिका प्रस्तुत की है जो अधिकरण के विचाराधीन है । अतएव, शासन द्वारा इसको पुनः सेवा में लेने हेतु विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

43—श्री बाबू सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 17 अप्रैल, सन् 1975 से 5 नवम्बर, 1979 तक कार्यरत जिला परिषद्, अलीगढ़ के चिकित्सालयों में कितने चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के मामलों में कार्यवाही की गई ? उन पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के क्या-क्या आरोप थे ? तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला परिषद् के चिकित्सालयों में उल्लिखित अवधि में निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के आरोप निम्नांकित कार्यवाही की गई :—

(1) एक चिकित्साधिकारी को चिकित्सालय से अनुपस्थित रहने व अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति व्यवहार ठीक न करने पर चेतावनी दी गई व एक वर्ष की वेतन वृद्धि रोकी गई ।

(2) एक अन्य चिकित्साधिकारी को चिकित्सालय से अनुपस्थित रहने का दोषी पाये जाने के कारण नियमित प्रक्रिया के अनुसार अनुपस्थिति के दिनांकों का बिना वेतन अवकाश स्वीकृत किया गया ।

(3) एक अन्य चिकित्साधिकारी को चिकित्सालय से बहुधा अनुपस्थित रहने, चिकित्सालय का सामान स्वयं अपने पास रखकर इसका आरोप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर लगाने, गरीबों से अनधिकृत रूप से पैसा वसूलने का दोषी पाया गया । उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान इनके कार्य को असंतोषजनक पाया गया तथा मेडिको लीगल कार्य करने से वंचित कर दिया गया व चेतावनी दी गयी । इन सभी बातों का उल्लेख इनकी चरित्रपंजी में भी किया गया । लोक सेवा आयोग द्वारा इनकी नियुक्ति का अनुमोदन न दिये जाने के कारण निर्धारित प्रक्रिया द्वारा इनकी सेवायें समाप्त की गई ।

अवशेष मजदूरी भुगतान हेतु खंड विकास अधिकारी, गगहा को खाद्यान्न का आवंटन तथा तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री हरि प्रसाद पान्डेय के विरुद्ध कार्यवाही

35—श्री पन्ने लाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड, गगहा, जनपद गोरखपुर में खाद्यान्न योजना का 89 टन गेहूं माह जुलाई, 1979 से पड़ा है, जो सड़ रहा है ? इस खाद्यान्न का उपयोग क्यों नहीं किया गया तथा इसका चार्ज इस समय किसको मिला है ? पहले किस अधिकारी के चार्ज में था ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध मंत्री जी आवश्यक कार्यवाही के आदेश देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

अवशेष मजदूरी भुगतान हेतु खंड विकास अधिकारी, गगहा को दिनांक 25-4-80 को 400 मी0 टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया था जिसमें से

मजदूरी वितरण के पश्चात् 55-864 मी0 टन खाद्यान्न अवशेष रह गया था। यह खाद्यान्न लगभग 18 माह तक भण्डार-गृह में रखे रहने के कारण खराब हो चुका था, अतः इसे नीलाम कर दिया गया।

यह खाद्यान्न पहले तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री हरि प्रसाद पान्डेय के चार्ज में था। इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु जांच कार्यवाही की जा रही है तदनुसार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

36—श्रीमती गौरी देवी—

[11-2-82 को तारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा के लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर कार्यवाही

37—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या अधिकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति, 1981-82 के प्रतिवेदन [भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित] की सिफारिश क्रमांक 46, 50, 51 तथा 59 पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोवरधन तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

खंड विकास अधिकारियों की पदोन्नति तथा आरक्षण कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में कार्यवाही

38—श्री हरिबंश सहाय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13 जनवरी, 1978 के बाद से अब तक कितने खंड विकास अधिकारियों को प्रथम श्रेणी में प्रोन्नत किया गया तथा उसमें से कितने अनुसूचित तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ? इनमें से कितने ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति पाये, कितने आरक्षण के आधार पर ? यदि आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया तो अब कोटा पूरा किया जावेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

13 खन्ड विकास अधिकारियों को श्रेणी-1 (रु0 800—1450 के वेतनक्रम) में पदोन्नति किया गया। इनमें से अनुसूचित जाति का कोई नहीं है। पिछड़ी जाति का एक अधिकारी है जिसे ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नत किया गया।

आरक्षण का कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उद्यान (हार्टीकल्चर) विभाग में एप्रूव्ड कर्मचारी वर्ग (1) व अधिकारी श्रेणी 2 के अनुमोदित कर्मचारियों की पदोन्नति

39—श्री झिलमिल राम—

क्या कृषि मंत्री प्रश्नकर्त्ता के प्रथम सत्र 1981 के दूसरे सोमवार के निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि श्रेणी दो के 6 रिक्त पदों में कितने स्थान प्रोन्नति द्वारा अब तक भरे गये और रिक्त पदों को प्रोन्नत न किए जाने का क्या कारण है ? क्या यह भी सत्य है कि 47 वर्ग 1 के श्रेणी दो में प्रोन्नति किए गये अधिकारियों में 16 वर्ग दो के ऐसे कर्मचारी हैं जो वर्ग 1 में अनुमोदित नहीं हैं और उनकी श्रेणी दो में तदर्थ प्रोन्नति कर दी गई ? यदि हां, तो प्रोन्नतियों में विभागीय निर्धारित नीति क्या है ? क्या सरकार वर्ग एक के अनुमोदित कर्मचारियों की पदोन्नति करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

कोई नहीं । तीन पदों पर नियमित चयन हेतु अधियाचन आयोग को प्रेषित किया जा चुका है तथा शेष तीन पदों हेतु आयोग को अधियाचन भेजा जा रहा है । जी नहीं । वर्ग 1 के 44 स्थायी कर्मचारियों को श्रेणी–2 में तदर्थ रूप से पदोन्नत किया गया है जिसमें ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो वर्ग 1 में अनुमोदित तथा स्थायी न हो । वर्ग 1 के अनुमोदित कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु ग्रेड–2 का कोई पद इस समय रिक्त नहीं है । पद उपलब्ध होने तक पदोन्नति सम्भव नहीं है ।

श्री विशुन कुमार गोयल, कृषि रक्षा अधिकारी, आलमबाग, लखनऊ, के विरुद्ध शिकायती–पत्र तथा भण्डार के रसायनों का सत्यापन

40—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विशुन कुमार गोयल कृषि रक्षा अधिकारी, कृषि रक्षा केन्द्र आलमबाग, लखनऊ के विरुद्ध दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को श्री शारदा प्रसाद सिंह कनिष्ठ कृषि रक्षा सहायक कृषि रक्षा केन्द्र, आलमबाग ने कोई शिकायती पत्र कृषि निदेशक को दिया है ? यदि हां, तो उसमें कौन–कौन से आरोप हैं ? उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां ।

शिकायत में निम्नलिखित तीन प्रमुख आरोप हैं :—

(क) बफर गोदाम के चार्ज के हस्तान्तरण में काफी विलम्ब होना ।

(ख) बफर गोदाम आलमबाग में भारी गबन का होना ।

(ग) भण्डार में मिलावटी रसायनों का होना । आरोपों पर जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

41—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि श्री गोयल के द्वारा गत तीन वर्षों में कृषि रक्षा अधिकारी, लखनऊ तथा उनके लेखा कर्मचारियों द्वारा जनपद के किन-किन भण्डारों का कब-कब निरीक्षण किया गया ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

श्री गोयल द्वारा गत तीन वर्षों में कृषि रक्षा इकाई, मोहनलालगंज के भण्डार के रसायनों का सत्यापन 10 जुलाई, 1980 को किया गया । भण्डारों के निरीक्षण का दायित्व लेखा कर्मचारियों का नहीं है । अतः उनके द्वारा निरीक्षण करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मन्डी स्थलों का निर्माण कार्य, व्यापार का स्थानान्तरण

42—श्री हुकम सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एक दर्जन से भी अधिक कृषि मन्डी स्थलों का निर्माण कार्य पूर्ण हुए कई वर्ष हो चुके हैं परन्तु अभी तक निर्मित मन्डी स्थलों पर व्यापार का काम आरम्भ नहीं किया गया है, क्या उक्त मन्डी स्थल विभाग द्वारा नियमानुसार अपने चार्ज में लिये गये हैं ? यदि हां, तो अभी तक उक्त स्थलों पर मन्डियों के स्थानान्तरित न होने के क्या कारण हैं और सरकार अब तक उक्त स्थलों पर कार्य आरम्भ करने का विचार कर रही है ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

मुख्य मन्डी तथा एक उप मन्डी के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है व इनमें से 19 नवीन मंडियों में व्यापार स्थानान्तरित हो चुका है । 3 मंडियों के सम्बन्ध में न्यायालय ने स्थगन आदेश दिये हैं ।

सभी नवीन मंडी स्थल (एक को छोड़कर) सम्बन्धित मन्डी समितियों को निर्माण के पश्चात् स्थानान्तरित हो चुके हैं । शेष मंडियों में व्यापार स्थानान्तरित करवाने के प्रयास जारी हैं ।

अतिरिक्त कृषि निदेशक, गंडक नहर समादेश को आवास आवंटन

43—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अतिरिक्त कृषि निदेशक, गंडक नहर समादेश, गोरखपुर शहर से बाहर कृषि-विभाग के गेस्ट हाउस में लगभग एक वर्ष से निवास कर रहे हैं । यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

अतिरिक्त कृषि निदेशक, गंडक नहर समादेश गोरखपुर शहर में स्थित कृषि विभाग के गेस्ट हाउस में, आवास आवंटन न होने के कारण लगभग पूर्व डेढ़ वर्ष से रह रहे हैं ।

44—श्री बलवीर सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

तहसील मुख्यालयों पर कृषि सेवा केन्द्र योजना पर विचार

45—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपदों के प्रत्येक तहसील मुख्यालयों पर कृषि सेवा केन्द्र खोलकर कृषि मंत्री प्रदर्शन, वितरण एवं मरम्मत की योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों को समीपस्थ स्थलों पर यह सुविधा उपलब्ध करने हेतु ब्लाक स्तर पर ऐसे केन्द्र खोलेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी एक योजना भारत सरकार के विचाराधीन है जिस पर भारत सरकार का निर्णय अभी अपेक्षित है।

46—श्रीमती गौरी देवी—

[6ठें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

यू० पी० हार्टिको में कार्यरत मासिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण

47—श्री हरिवंश सहाय—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० हार्टिकों में कार्यरत मासिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवायें 1-8-78 से नियमित कर दी गई है परन्तु उन्हें कोई निर्धारित वेतनमान नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उन कर्मचारियों को कोई वेतनमान प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

जी हां। कर्मचारियों एवं हार्टिकों के मध्य हुए समझौते के अनुसार 14-12-81 से न्यूनतम वेतन निर्वाह भत्ता आदि कर्मचारियों को दिया जा रहा है। हार्टिको एक स्वायत्तशासी संस्था है, अतः वेतन इत्यादि के सम्बन्ध में निर्णय लेने के अधिकार उसके प्रबन्धक बोर्ड में निहित है।

जनपद मैनपुरी, ग्राम सभा खरफरी के प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही

48—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद के विकास क्षेत्र मैनपुरी की ग्राम सभा खरफरी के प्रधान के विरुद्ध धारा 302 के अन्तर्गत एक वाद चल रहा था जिसमें 8 दिसम्बर, 1981 को माननीय उच्च न्यायालय से सम्बन्धित प्रधान को आजीवन कारावास का दण्ड दिया जा चुका है जिसकी सूचना तथा निर्णय की प्रतिलिपि जिलाधिकारी को प्राप्त हो चुकी है, परन्तु अभी तक प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? क्या मंत्री तत्काल उचित कार्यवाही के आदेश देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

सम्बन्धित प्रधान ने माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी है जो विचाराधीन है। अतएव प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

मत्स्य विभाग द्वारा भंडरा तथा पसवारा तालाब में दिया गया मछली पकड़ने का ठेका तथा सिंघाड़े की फसल लगाने के लिए दिए गए पट्टे

49—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 में मत्स्य पालन विभाग, चरखारी, जिला हमीरपुर द्वारा थाना श्रीनगर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम भंडरा तथा थाना महोबा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पसवारा के तालाबों का मछली पकड़ने हेतु नीलामी किस व्यक्ति या समिति को दी गयी ? क्या नीलामी में उक्त तालाबों को लेने वाली समिति को कब्जा भी शिकार माही के मत्स्य विभाग द्वारा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

मत्स्य विभाग द्वारा भंडरा तालाब में वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 में श्री सुखैया को तथा वर्ष 1979-80 में महोबा मत्स्य जीवी सहकारी समिति, महोबा (हमीरपुर) को एवं पसवारा तालाब में वर्ष 1977-78 तथा 1978-9 में श्री सुन्दर लाल यादव को तथा वर्ष 1979-80 में महोबा मत्स्य जीवी सहकारी समिति, महोबा (हमीरपुर) को मछली पकड़ने का ठेका दिया गया ।

वर्ष 1977-78 वर्ष 1978-79 में दोनों तालाबों के ठेकेदारों ने विभाग में लाइसेन्स प्राप्त करके शिकार किया । वर्ष 1979-80 में दोनों तालाबों का ठेका लेने वाली समिति को विभाग द्वारा मछली पकड़ने के लाइसेन्स दे दिए गए थे तथा समिति ने पसवारा तालाब में कुछ शिकार भी किया । समिति को शिकार-माही का कब्जा विभाग द्वारा दिया गया परन्तु स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा दोनों तालाबों के सम्बन्ध में मुन्सिफ महोबा के न्यायालय से स्थगन आदेश ले लेने के कारण समिति आगे शिकार कराने में असमर्थ रही ।

मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण विभाग द्वारा हस्तक्षेप किया जाना सम्भव नहीं है ।

50—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 में ग्राम भंडरा, थाना श्रीनगर तथा ग्राम पसवारा, थाना महोबा, जिला हमीरपुर के तालाबों में सिंघाड़े की फसल के लिए किन गांव के किन-किन लोगों के नाम पट्टे दिए गए ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

वांछित सूचना सूची 1 व 2 में संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1482 पर ।)

51—श्री थम्मन सिंह गहलौत—

[18-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 81 द्वारा उत्तरित] ।

बड़ा गांव कुवार-रामपुर मार्ग, वाराणसी में अर्थ वर्क, खड़ंजा निर्माण का कार्य तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा भुगतान

52--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़ा गांव कुवार-रामपुर मार्ग, वाराणसी को सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी ने ले लिया है और 1980-81 में अर्थवर्क का कार्य कराया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इसी सड़क पर करीब एक कि0 मी0 तक ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, वाराणसी ने खड़ंजा बिछा दिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

बड़ागांव कुआर रामपुर मार्ग जिला परिषद् वाराणसी का है जिसकी कुल लम्बाई 12 कि0 मी0 है । इस सड़क के हस्तांतरण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी ने अपने पत्र सं0 2492/9-सी, दिनांक 16-12-81 द्वारा प्रस्ताव भेजा है जो दिनांक 30-12-81 को स्वीकृत किया गया है परन्तु हस्तांतरण की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है । सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वर्ष 1980-81 में नहीं बल्कि 1979-80 में 4 कि0 मी0 तक मिट्टी का कार्य कराया था साथ ही इसी कार्य पर 5900 कि0 मी0 तक मिट्टी का कार्य खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत खंड विकास अधिकारी, बड़ा गांव द्वारा भी कराया गया था । यह सत्य है कि इसी सड़क पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, वाराणसी द्वारा 1 कि0 मी0 खड़ंजा का कार्य भी जिला स्टेयरिंग कमेटी के निर्णय दिनांक 28-3-81 के अनुसार किया गया ।

53--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क पर कितना खड़ंजा तथा कितने घन फिट मिट्टी का पेमेन्ट ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, वाराणसी ने किया है ? क्या यह भी सत्य है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी ने ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, वाराणसी को नोटिस दिया है कि क्यों बिला समझे खड़ंजा बिछा दिया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रश्नगत मार्ग पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा कि0 मी0 खड़ंजा निर्माण कार्य एवं 3000.76 घन मीटर मिट्टी के कार्य का भुगतान किया गया है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को कोई नोटिस नहीं दी है ।

ग्राम परसिया मिसकारी, जिला देवरिया के सभापति श्री सुखराज के विरुद्ध आरोप-पत्र

54--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परसिया मिसकारी, पो0 एवं जिला देवरिया के सभापति श्री सुखराज के विरुद्ध गांव

सभा के सदस्यों द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया को सरकारी धन का दुरुपयोग करने हेतु आरोप-पत्र दिनांक 20-4-1978 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अब तक उसकी जांच की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

उक्त शिकायती पत्र की जांच खंड विकास अधिकारी, देवरिया द्वारा कराई गई है ।

गांव सभा बसनी, जिला वाराणसी में भूखण्ड 2045 में स्थित तालाब की नीलामी, प्रधान पर लगाये गये आरोप तथा निलम्बन

55--श्री ऊदल--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 81 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अता० प्र० संख्या 144 व 145 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बसनी, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी का 2045 तालाब किस तारीख को नीलाम किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

भूमि प्रबन्धक समिति, बसनी, ब्लाक बड़ागांव, जनपद वाराणसी की कार्यवाही पंजी में भूखण्ड 2045 में स्थित तालाब की मछलियों की नीलामी की कार्यवाही की कोई तिथि अंकित नहीं है ।

56--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतायेंगे कि 100 रु० प्रधान द्वारा हड़प जाने के अलावा और क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

गांव सभा, बसनी की भूमि अवैधानिक ढंग से विभिन्न व्यक्तियों को उठाने, उनसे प्राप्त शुल्क का उल्लेख अभिलेखों में न करने, गांव पंचायतों की नियमित बैठक न करने, पंचायत भवन की सामग्री ईंट, कड़ी, घरन इत्यादि को बेचने एवं प्राप्त धन को पंचायत कोष में न जमा करने आदि के आरोप और लगाये गए हैं ।

57--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि परगनाधिकारी, उत्तरी वाराणसी ने गांव सभा, बसनी के प्रधान को सस्पेण्ड कर दिया और सस्पेण्ड प्रधान से कोई जानकारी हासिल किया या मौके की जांच किया था ? यदि किया था तो जांच आख्या क्या है ? क्या प्रधान को सस्पेण्ड करने के बाद चार्जशीट दी गयी, पहले न देने का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । प्रश्न संख्या 56 के उत्तर में दिये गये आरोप सत्य पाये गये । नैतिक अधः पतन के आरोप सत्य पाये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 95 (जीजी) के अन्तर्गत प्रधान को निलम्बित कर दिया गया था और आरोप पत्र बाद में दिए गए थे ।

ग्राम कवरोई, जिला उन्नाव में नाले पर पुल के निर्माण का कार्य, व्यय तथा विलम्ब के लिए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

58—श्री भोखालाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कवरोई, विकास खण्ड औरास, जिला उन्नाव में नाले पर पुल के निर्माण का कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवः द्वारा कब प्रारम्भ किया गया था उस पर कितना धन व्यय किया जाना था, और कितना व्यय हो चुका है ? उक्त निर्माण कार्य बन्द होने का कारण क्या है और उसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उक्त निर्माण कार्य अतिरिक्त जिला अधिकारी की मार्च, 1978 से स्वीकृति के पश्चात् ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की तकनीकी देखरेख में दिसम्बर, 1978 में आरम्भ हुआ । इस कार्य के लिए ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को कोई धनराशि हस्तान्तरित नहीं की गयी । स्वीकृति के समय योजना पर 28,612.50 रुपया के व्यय का प्राविधान था । प्राप्त सूचना के आधार पर अब तक 10,601.00 रुपया व्यय किया जा चुका है । निर्माण कार्य बन्द रहने का कारण सीमेन्ट का अभाव बताया गया है । इस मामले की जांच के आदेश दिए जा रहे हैं और जिन अधिकारियों के कारण इस कार्य में इतना विलम्ब हुआ है, उनके विरुद्ध जांचोपरान्त समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

कस्बा फफूंद से ग्राम सल्हापुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण

59—श्री धनीराम वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979-80 में जनपद इटावा के कस्बा फफूंद से ग्राम सल्हापुर तक खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया था ? वह अब भी अधूरी है और जिस पर कार्य करने वाले 40 मजदूरों को 5 दिन की मजदूरी अब भी देय है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क का निर्माण कार्य पूरा करायेगी और 40 मजदूरों की बकाया मजदूरी दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1979-80 में श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत इटावा जनपद के कस्बा फफूंद से ग्राम सल्हापुर तक 4 कि० मी० लम्बे सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिला विकास अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त मार्ग के निर्माण में लगे मजदूरों का कोई बकाया नहीं है ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड, खोराबार, पिपरौली बाजार और कौड़ीराम में सड़कों का निर्माण कार्य

60--श्रीमती गौरी देवी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जनपद के विकास खन्ड, खोराबार, पिपरौली बाजार और कौड़ीराम में वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण किया गया है और कौन-कौन प्रस्तावित हैं ? क्या यह सच है कि उनमें से लगभग 8 से अधिक सड़क अधूरी हैं ? यदि हां, तो अधूरी और प्रस्तावित सड़कों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ? क्या उन सड़कों के शीघ्र निर्माण के लिए मन्त्री निर्देश देंगे ? यदि हां, तो कब तक सड़कें बन जायगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

गोरखपुर जनपद के विकास खंड खोराबार, पिपरौली बाजार और कौड़ीराम में वर्ष 1977-78, 78-79 और 79-80 में खाद्यान्न योजना में ली गई सड़कों की सूचना संलग्न है । यह सही है कि लगभग 8 से अधिक सड़कें अधूरी हैं ।

श्रम हेतु खाद्यान्न योजना समाप्त हो गई है । इस योजना के अन्तर्गत अधूरी सड़कों को, जैसे-जैसे धन उपलब्ध होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण कराने का कार्यवाही की जायेगी ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1485 पर ।)

विकास खण्ड, खेसरहा, जनपद बस्ती के किसानों को आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत खरीदे गये भैंसों पर विलम्ब से अनुदान दिए जाने संदर्भित पत्र

61--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 12-6-81 जो विकास खण्ड, खेसरहा, जनपद बस्ती के कुछ किसानों को आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत खरीदे गये भैंसों पर विलम्ब से अनुदान दिये जाने तथा एक वर्ष के बाद कोआपरेटिव बैंक, शाखा, खेसरहा में किसानों के खाते में समायोजित किए जाने के कारण किसानों पर पड़ रहे अतिरिक्त ब्याज के सम्बन्ध में था, विशेष सचिव, ग्राम विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित पांच किसानों में से चार को भैंसे तथा एक को पम्पसेट क्रय कराया गया । जांचोपरान्त सचिव, जिला सहकारी बैंक, बतौर द्वारा सहकारी बैंक शाखा, खेसरहा को निर्देशित कर दिया गया कि अनुदान-समायोजन में विलम्ब की अवधि के ब्याज की धनराशि रिवर्स इन्ट्री करके लाभा

थियों पर पड़े अतिरिक्त ब्याज की धनराशि से मुक्त कर दिया जाय जिसके फलस्वरूप नौ मासों की अवधि का अतिरिक्त ब्याज भार किसानों को वहन नहीं करना पड़ेगा ।

जनपद आजमगढ़, विकास खण्ड कोपागंज व घोसी में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में सम्पन्न किए गए कार्य

62–श्री राज कुमार राय––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत कोपागंज व घोसी विकास खण्डों में वर्ष 1979–80 व 1980–81 व 1981–82 में ग्रामीण अभियन्त्रण योजना के अन्तर्गत कौन–कौन से कार्य सम्पन्न किए गये ?

श्री बलराम सिंह यादव––

आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड कोपागंज व घोसी में वर्ष 1979–80 व 1980–81 व 1981–82 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा कराय गए कार्यों की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1488 पर ।)

विकास खण्ड कोपागंज के कतिपय ग्रामों में सफाई व खुदाई का कार्य तथा अवर अभियन्ता के विरुद्ध अनियमित कार्य करने की जांच एवं स्थानान्तरण

63–श्री राज कुमार राय––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है ग्राम खेरीडीह, ग्राम खुखुन्दवा, ग्राम डांडो विकास खन्ड कोपागंज के पास नाली है और झाड़ झंखाड़ से पटा है उसे खोदाई करके झांड़ झंखाड़ साफ करने की योजना सरकार ने स्वीकृत किया था ? सफाई व खोदाई का कार्य मौके पर नहीं हुआ और समस्त धन कार्य कराने व देखने वाले जूनियर अभियन्ता ने सब पूर्ण दिखाकर भुगतान कर दिया ? यदि हां, तो सरकार इसकी पूरी छानबीन करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव––

यह कार्यवाही इस विभाग द्वारा नहीं कराई गई ।

64–श्री राज कुमार राय––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि उक्त कोपागंज व घोसी विकास खन्डों में कार्य की देख रेख कराने वाले उक्त जूनियर अभियन्ता का स्थानान्तरण इस समय अन्य जिले में हो गया है उसके विरुद्ध अनियमित कार्य करने की जांच चल रही है ? और हजारों रुपयों के गबन का गोलमाल का मामला भी चालू होने वाला है ?

श्री बलराम सिंह यादव––

आजमगढ़ के विकास खंड कोपागंज व घोसी में कार्य करने वाले अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण 7–8–81 को प्रखन्ड वाराणसी में हो गया है जहां

वह इस समय कार्यरत हैं। इस अवर अभियन्ता के विरुद्ध त्रुटिपूर्ण कार्यों से सम्बन्धित शिकायतों की जांच कराई जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होते ही उचित कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम सभा पोखर भिण्डा बाजार से ग्राम सभा गोविन्दपुर तक जाने वाली सी0 सी0 रोड को आवागमन योग्य बनाने पर विचार

65—श्री रुद्रप्रताप सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड रामपुर कारखाना के अन्तर्गत ग्राम सभा पोखर भिण्डा बाजार से ग्राम सभा गोविन्दपुर तक जाने वाली सी0 सी0 रोड जो कि देवरिया से देसही देवरिया जाने वाली रोड व देवरिया से कसया जाने वाली रोड को जोड़ती है एन0 आर0 ई0 पी0 स्कीम के अन्तर्गत खड़ंजा कराकर क्षेत्र की लाखों जनता के हर मौसम में आवागमन योग्य बनाने लायक कराने के आदेश दिये जावेंगे तथा उसके लिए विशेष वित्तीय सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। उल्लिखित मार्ग पर खड़ंजा लगाने का कोई प्रस्ताव इस वर्ष एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत जिला स्टियरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है। जिला स्तरीय समिति को इस हेतु विचार करने हेतु लिखा जा रहा है।

खाद्यान्न योजनान्तर्गत हरैया ब्लाक के आराजी नौबरार करखिया में बाग लगाने हेतु मजदूरी का भुगतान

66—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक के आराजी नौबरार करखिया में बाग लगाने हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 30 मजदूरों ने 22 जुलाई, 1980 से 31 अगस्त, 1980 तक कार्य किया था ? उन्हें अभी तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। उक्त कार्य 31 जुलाई, 1980 से 30 अगस्त, 1980 तक कराया गया था, जिसके भुगतान हेतु खाद्यान्न की व्यवस्था कर दी गई है।

स्वीकृत ग्राम्य विकास परियोजना, अल्मोड़ा के अन्तर्गत वितरित की गई मशीनें

67—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एकीकृत ग्राम्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत अल्मोड़ा जनपद में सिलाई मशीन सन् 1979 से 1981 तक कुल कितने परिवारों को दी गई है ? और किस कम्पनी से खरीद कर दी गई है ? क्या यह सत्य है कि मशीनों पर ऊषा कम्पनी की फरजिया मुहर है ? क्या सरकार इसकी जांच करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

एकीकृत ग्राम्य विकास परियोजना, अल्मोड़ा के अन्तर्गत वर्ष 1979 से 1981 तक 510 व्यक्तियों को सिलाई मशीनें वितरित की गयीं जो रीता एवं ऊषा कम्पनियों से क्रय की गयी थीं ।

ऊषा मशीनों पर फर्जी मुहर होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अतएव जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रम हेतु खाद्यान्न योजनान्तर्गत आजमगढ़ जनपद के विकास खण्ड मुहम्मदाबाद तथा हाफिजपुर-बनियापार मार्ग में मजदूरी का बकाया भुगतान

68--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मुहम्मददाबाद ब्लाक में जनवरी, 1980 से जून, 1980 के बीच खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत किये कार्य की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है तथा क्या इसमें बनियापार से हाफिजपुर तक हुआ मिट्टी का काम भी शामिल है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? तथा यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जनपद के विकास खण्ड मुहम्मदाबाद में मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका था ।

जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा मुहम्मदाबाद ब्लाक में बकाया मजदूरी भुगतान हेतु 206.005 मी0 टन खाद्यान्न की आवश्यकता बताई गई है, जिसमें से 138-7-67 मी0 टन खाद्यान्न सत्यापित तथा पूर्ण कार्य के भुगतान की व्यवस्था कर दी गई है । मजदूरी भुगतान हेतु अवशेष खाद्यान्न जिसमें हाफिजपुर-बनियापार मार्ग का भी बकाया शामिल है, की व्यवस्था शीघ्र की जा रही है ।

69--श्री गोपी नाथ वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

मैनपुरी जनपद में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण तथा व्यय

70--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री मैनपुरी जनपद, में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 1973 से 1976 तक बनाई गई सड़कों की सूची देने का कष्ट करेंगे जिसके साथ सड़क की लम्बाई, वास्तविक व्यय भी दिया गया हो और यह भी उल्लिखित हो कि वह सड़क इस समय किस विभाग की देख-रेख में है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मैनपुरी जनपद में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 1973 से 1976 तक निम्नलिखित सड़कें बनाई गयीं, जिनकी लम्बाई एवं वास्तविक व्यय सड़क के नाम

सम्मुख अंकित हैं और इस समय समस्त सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग, मनपुरी की देख रेख में हैं :--

सड़क का नाम	लम्बाई	वास्तविक व्यय
1--मैनपुरी-औडैन्य पडंरिया	2-65	1,30,191.00
2--मैनपुरी-ज्योती	7-26	4,12,194.00
3--अजीतगंज-मैनपुरी	3-00	71,000.00
4--बिछवां-हम्नूखेड़ा	9-80	3,31,892.00
5--मांवत-जागीर	3-20	1,65,860.00
6--अलीपुर-मोटा	10-00	5,12,213.00
7--बेवर-मोटा	3-26	1,88,790.00
8--किशनी-सौनासी	3-00	1,22,786 00
9--एका-उड़ैसर	5-00	1,47,263.00
10--जसराना-बड़ागांव	4-00	78,800.00
11--कुसियारी-फीडर	1-00	1,619.00
12--सिरसागंज-अरांब	7-55	5,88,188.00
13--शिकोहाबाद-दिखतौली	5-32	2,87,014.00
14--मुस्तफाबाद-अबागढ़	8-25	1,50,166.00
15--कैसपुरा-मोतपुरा	1-75	39,123.00

फैजाबाद जनपद के भियांव तथा जलालपुर ब्लाक में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा पुलिया का निर्माण

71--श्री शेर बहादुर--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फैजाबाद जनपद के भियांव और जलालपुर ब्लाक में ग्राम्य अभियन्त्रण द्वारा बनाई गयी पुलिया जो सन् 1981 जो बनी है, टूट कर गिर गयी ? क्या इसके निराकरण का कोई उपाय किया जा रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

फैजाबाद जनपद के भियांव तथा जलालपुर ब्लाक में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा बनाई गयी कोई भी पुलिया नहीं टूटी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा बीबीपुर सम्पर्क मार्ग पर सोलिंग व पुलिया का निर्माण कार्य

72—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के तहबरपुर ब्लाक में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा निर्मित नेवादा—बीबीपुर सम्पर्क मार्ग पर मार्च, अप्रैल, 1980 में ग्राम नेवादा में बनी पुलिया को अगस्त, 1980 में साइफन में परिवर्तित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या इसके विरुद्ध श्री राम देवर पुत्र श्री देवीदीन का शिकायती-पत्र, दिनांक 6 अगस्त, 1981 जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

बीबीपुर सम्पर्क मार्ग पर सोलिंग व पुलिया का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के माध्यम से कराया गया है। ग्राम नेवादा के पास बनी पुलिया को साइफन में परिवर्तित नहीं किया गया है अपितु कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार साइफन कल्वर्ट का निर्माण कार्य कराया गया है।

श्री राम दवर आत्मज श्री देवीदीन का शिकायती पत्र दिनांक 6-8-81 जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था, जिस पर जांच कराई गयी और साईफन कलवर्ट का निर्माण उचित पाया गया।

जिला इटावा में निर्वाचन क्षेत्रवाइज कच्चे, पक्के मार्ग, नाला व पुलिया का निर्माण, व्यय

73—श्री गौरे लाल शाक्य—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त वर्ष 1980-81 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व जिला विकास कार्यालय, इटावा के अन्तर्गत जिला इटावा में निर्वाचन क्षेत्र वाइज कच्चे, पक्के कौन-कौन से मार्ग, नाला व पुलिया आदि बनाई गयी हैं और उनमें से प्रत्येक पर कितना धन व्यय हुआ है और इसके लिए कुल कितना धन स्वीकृत हुआ था ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1980-81 में इटावा जनपद में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा कार्य कराने हेतु 30·40 लाख रु0 आवंटित किया गया था। जिसके विरुद्ध 30·38 लाख रु0 व्यय किया गया है।

निर्वाचन क्षेत्रवार सम्पादित कार्य तथा मूल व्यय का विवरण विस्तृत है जिसे माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देखने की कृपा करें।

73—श्री गौरे लाल शाक्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1981-82 में नवम्बर, 1981 तक ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व जिला विकास कार्यालय, इटावा द्वारा जिला इटावा में निर्वाचन क्षेत्र वाइज कच्चे व पक्के कौन-कौन मार्ग नाला व पुलिया आदि बनाई गयी हैं और उनमें से प्रत्येक पर कुल कितना व्यय हुआ और इस हेतु कितना धन स्वीकृत हुआ था ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वर्ष 1981-82 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को इटावा जनपद में मांगों पर कार्य कराने हेतु 24·90 लाख रुपये आवंटित किये गये जिसके विरुद्ध नवम्बर 1981 तक 15·76 लाख रुपया व्यय किया गया है ।

निर्वाचन क्षेत्रवार मांगों तथा सम्पादित कार्यों की सूची विस्तृत है, जिसे माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देखने का अनुग्रह करें ।

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत गोरखपुर मन्डल में जिलेवार खाद्यान्न का वितरण

75--श्री हरिवंश सहाय--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत गोरखपुर मन्डल में विभिन्न जिलेवार कितना खाद्यान्न किन-किन विभागों को दिया गया ? कितना खाद्यान्न आज भी अवशेष पड़ा है ? क्या इन निर्माण कार्य में खाद्यान्न का उपयोग करने की तिथि शासन द्वारा निर्धारित थी? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो निर्धारित अवधि के अन्तर्गत खाद्यान्न का उपयोग क्यों नहीं हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस सम्बन्ध में गोरखपुर मंडल के बस्ती, देवरिया तथा आजमगढ़ जनपद से सम्बन्धित सूचना संलग्न है ।

गोरखपुर जनपद से प्राप्त सूचना स्पष्ट नहीं थी इसे पुनः मांगा गया है । उक्त खाद्यान्न का उपभोग करने हेतु कोई तिथि निर्धारित नहीं थी ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1489 पर ।)

पंचायत उद्योगों से ही सामान क्रय करने के आदेश

76--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 5038-ग/33-3--371-74, दिनांक, 18-7-76 के द्वारा केवल पंचायत उद्योग से ही फर्नीचर क्रय करने के आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या शासनादेश संख्या 1115/(एस0पी0)--18-ई-84 एस0पी0 69, दिनांक 17-2-69 एवं शासनादेश संख्या 2169 (1) 18 (2) दिनांक 15-9-1973 जिसकी अवधि 1983 तक है, को समाप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं तो सहकारी समितियों से माल क्रय न करने का क्या औचित्य है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

शासनादेश संख्या 5038ग/33-3--371-74, दिनांक 18 जुलाई, 1976 द्वारा पंचायत उद्योगों में निर्मित माल की खरीदारी के लिए टेन्डर या कोटेशन आमन्त्रित करने से छूट प्रदान की गई है तथा इस सीमा तक स्टोर परचेज नियमों को शिथिल कर दिया गया है । पंचायत उद्योगों से सामान क्रय करने से स्थानीय

कुशल और अकुशल कारीगरों को रोजगार सुलभ होने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थ व्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। इसके अतिरिक्त पंचायत उद्योगों को जो लाभ होता है उसे ग्रामों में सार्वजनिक हित के कार्यों पर व्यय किया जाता है, जबकि सहकारी समितियों को होने वाला लाभ केवल समिति के सदस्यों को ही मिलता है।

जनपद बदायूं के विकासखन्डों में ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थायें

77--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायू में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है आई0 आर0 डी0 (ट्राइसेम) योजना पिछले 2 वर्षों में कितने ब्लाकों में चल चुकी है और कितने ब्लाक अभी बाकी हैं ? क्या सरकार इस योजना को बाकी ब्लाकों में बन्द करने जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो अन्य ब्लाकों में कब से प्रारम्भ की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद बदायू के कुल 18 विकास खंडों में से 16 विकास खंडों में ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थायें कार्यरत हैं। शेष दो विकास खंडों में से एक विकास खंड, इस्लामनगर में हालांकि, कोई प्रशिक्षण केन्द्र उपयुक्त योजना के अन्तर्गत कार्यरत नहीं है, फिर भी, उक्त विकास खंड के नौ युवकों/युवतियों को प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र आसफपुर में प्रशिक्षण दिलवाया गया है तथा विकास खंड समरेड के किसी ग्रामीण बेरोजगार युवक/युवती को योजना का लाभ देना अभी तक संभव नहीं हो सका है। इस योजना को भविष्य में बन्द करने हेतु शासन का कोई विचार नहीं है ?

78--श्री राम आसरे वर्मा--

(18-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 48 द्वारा उत्तरित)

79--श्री नन्द किशोर सिंह--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

जिला परिषद्, जौनपुर द्वारा संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सालय

80--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, जौनपुर द्वारा कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित हैं ? क्या इन चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं अन्य सामग्रियों का सर्वथा अभाव है ? क्या सरकार इन चिकित्सालयों से भी क्षेत्रीय जनता को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला परिषद्, जौनपुर द्वारा 6 आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित हैं। उनमें 6 वद्यों के पद सृजित हैं। इनमे से तीन आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं चिकित्सा सम्बन्धी सामग्री की व्यवस्था है। जिला परिषद की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण शेष तीन आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में परिषद्

द्वारा चिकित्सा सामग्री एवं चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं की जा सकी है । अतः इन चिकित्सालयों से क्षेत्रीय जनता को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है । क्षेत्रीय जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समस्त विकास खंडों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र संचालित हैं ।

बांदा विधान सभा क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य

81--प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बतलायेंगे कि बांदा जनपद के बांदा विधान सभा क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में किन-किन सड़कों का निर्माण कराया गया है ? इस योजना में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद बांदा के बांदा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1979-80 में कुल 102 सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया गया है ।

जिसकी सूची संलग्न है ।

जिलाधिकारी बांदा से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त मार्गों पर कार्य करने वाले सभी मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है ।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 1490 पर ।)

जिला कारागार कानपुर में अल्प वयस्क बंदियों का पतित अपराधियों द्वारा वासना का शिकार बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12 बजकर 15 मिनट]

श्री हुकम सिंह--

महोदय, जिला कारागार कानपुर में अल्प वयस्क बन्दियों का उपीड़न समस्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है , कानपुर में यद्यपि बालबन्दी गृह स्थित है परन्तु विधि एवं नियमों के प्रतिकूल 16 वर्ष के कम आयु के बालकों को, जिला जेल में रखा जाकर, उन को पतित अपराधियों की वासना का शिकार होने के लिये विवश किया जाता है । इस निर्लज्ज कुकृत्य में कारागार के उच्च अधिकारियों की साजिश होना निश्चित है । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित जांच आयोग ने कारागार में व्याप्त कुव्यवस्था एवं अबोध बालकों के साथ हो रहे अमानवीय एवं वैशाचिक व्यवहार की स्पष्ट घटनाओं का विवरण देते हुए मुन्ना, कृपा शंकर, राम नारायण, अशोक, देशराज एवं रहमत अली आदि बालकों का विशेष उल्लेख किया है । यह रिपोर्ट आज के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित है । यह सब घटनाएं किसी भी सभ्य समाज के लिए केवल कलंक ही नही बल्कि सरकार एवं समस्त समाज के लिए चुनौती हैं ।

माननीय सदन के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि कानपुर जेल में व्याप्त कुव्यवस्था की एक उच्च स्तरीय जांच (जिसमें कारागार में कार्यरत कोई अधिकारी सदस्य न हो) करा कर अविलम्बनीय सुधार लाने के उपाय करे ।

आटो ट्रैक्टर फैक्ट्री, प्रतापगढ़ के चेयरमैन कम मैनेजिंग डाइरेक्टर, श्री श्याम सिंह बिसेन द्वारा की गई अनियमितताएं व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

महोदय, मैं आप के माध्यम से सदन के संज्ञान में अति महत्व की सूचना देना चाहता हूं। प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ नगर से आठ किलोमीटर दूर स्थित "आटो ट्रैक्टर फैक्ट्री" जो लखनऊ वाराणसी मार्ग पर कटरा में बनी हुई है। इस फैक्ट्री में पिछले डेढ़ साल से वहां के चेयरमैन द्वारा इतनी अनौपचारिकता की जा रही है कि फैक्ट्री के लोग व आस-पास की जनता भी त्राहिमाम बोल रही है। इस बारे में माननीय सम्बन्धित मंत्री महोदय तथा अन्य लोगों को भी सूचनायें भेजी जा चुकी हैं परन्तु उन्होंने अभी तक उस पर कोई जांच आयोग नहीं बैठाया है।

श्री श्याम सिंह बिसेन जो कि फैक्ट्री के चेयरमैन कम मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं, ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुये माल सप्लाई करने वाली फर्म को माल सप्लाई करने का सीधा आर्डर बिना किसी टेन्डर के अधिक दामों पर देते जा रहे हैं, जिससे फैक्टरी को उसके अनुमानित घाटे से कहीं ज्यादा घाटा होगा। उनकी इस प्रकार की कार्य प्रणाली पर यदि कोई अफिसर उन्हें कुछ समझाता है तो उसे निकाल देते हैं या धमकी देते हैं। उदाहरण के तौर पर "अजन्ता टाइल्स" इलाहाबाद नाम की फर्म को जुलाई, 1980 में नौ लाख रुपये का सीधा आर्डर एडवांस सहित बिना किसी बैंक गारन्टी के साथ दिया गया जिस पर जब उस समय के सिविल इन्चार्ज श्री डी0 एस0 चौहान ने आपत्ति उठाई तो बाद में अक्तूबर, 1981 में उन्हें इतना परेशान किया गया कि वह उसी माह के अन्त में प्रतापगढ़ के सिंचाई विभाग में वापस चले गये। वहां पर अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्य अभी भी कर रहे हैं।

श्री बिसेन ने नाथ कम्पनी कानपुर को साढ़े चार लाख रुपये का सीधा आर्डर बिना बैंक गारेन्टी तथा टेन्डर मांगे, माल सप्लाई करने के लिए जनवरी, 1980 में दिया, जिस पर फैक्टरी के जनरल मैनेजर श्री एस0 आर0 शाह ने आपत्ति उठाई, तो उन्हें भी श्री बिसेन ने निकालने की धमकी दी। जिसके बारे में श्री शाह ने माननीय सम्बन्धित मंत्री महोदय को भी स्थिति से सितम्बर, 1981 में अवगत कराया था। परन्तु बीच में ही श्री बिसेन ने जब स्कूटर इंन्डिया की एन्सलरी जो श्री अग्रवाल द्वारा संचालित की जा रही थी, को सत्रह लाख रुपये का सीधा आर्डर बिना किसी टेन्डर व बैंक गारेन्टी के दिया और उस पर श्री शाह ने लिखित रूप से आपत्ति की तो उन्हें जनरल मैनेजर स्पेशल ड्यूटी बना दिया गया। फिर उन्हें नवम्बर, 1981 में बिना कारण बताओ के नोटिस के निकाल दिया। श्री बिसेन बिना बोर्ड आफ डाइरेक्टर तथा सरकार की अनुमति लिए नई पोस्टें बना देते हैं। इसका उदाहरण श्री मलिक की नियुक्ति है जिन्हें 2,000 रु0 से 2,500 रु0 प्रति माह के वेतन में नवम्बर, 1981 में नियुक्ति-पत्र बिना विज्ञापन तथा साक्षात्कार के दिया गया था, हालांकि वे नहीं आये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

श्री बिसेन ने इतना ही नहीं श्री बृजेश सिंह को 8 जुलाई, 1981 में इस फैक्टरी में क्वालिटी कन्ट्रोल के पद पर नियुक्त किया जिनकी बेसिक शिक्षा मैट्रिक ही है। तथा ये सज्जन 1952 से 1966 तक डिफेन्स में एयर मैन रहे हैं। उसके बाद एच0 ए0 एल0 लखनऊ में थे वहां से उस फैक्टरी में लाये गये। इसके दो माह बाद ही उन्हे मैनेजर प्रोडक्शन बना दिया गया, क्योंकि इधर श्री बिसेन को टाइम एक्स्टेन्शन करवाना था। ये सज्जन श्री बासुदेव खाद्य मंत्री जी के दामाद हैं और माननीय मंत्री महोदय ने उनका एक्सटेशन करवाने का आश्वासन दिया है।

माननीय सम्बन्धित मंत्री महोदय को 'आटो ट्रैक्टर फैक्टरी' के कर्मचारी संघ द्वारा कई बार विज्ञप्ति दिये जा चुके हैं और श्री आर0 एन0 सक्सेना सीनियर (आई0 ए0 एस0) द्वारा भी सरकार या शासन को लिखा जा चुका है कि श्री बिसेन की कार्यप्रणाली के अनुसार कोई काम नहीं कर पायेगा। श्री सक्सेना सितम्बर, 1981 में इस फैक्टरी के जनरल मैनेजर प्रशासन एवं कार्मशियल हो कर गये थे और नवम्बर, 1981 में फिर अपना उपरोक्त नोट लिखते हुए प्रशासन में ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, शिक्षा विभाग के पद पर तबादला करवा लिया है, वे वहां पर आज भी काम कर रहे हैं।

अतः इस लोक महत्व के सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से माननीय सम्बन्धित मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि श्री बिसेन द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति समझकर सरकार के पैसे का जो सरकार लोगों से कर द्वारा प्राप्त करती है, का दुरुपयोग करने से रोके तथा अविलम्ब जांच के आदेश दे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इतनी बड़ी अनियमिततायें हैं, अतः आप इस पर वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 में आपने पढ़ दी। इसकी जो प्रक्रिया है, वह होगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय खाद्य मंत्री महोदय के जो दामाद है, वे हाई स्कूल पास हैं. .

(व्यवधान)

मैं वक्तव्य की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं। नियम 301 में बहस नहीं होती। आपने पत्र में एक नाम लिया कि वे खाद्य मंत्री के दामाद हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, खाद्य मंत्री बासुदेव सिंह की कोई लड़की नहीं है।

प्रदेश की नगरपालिकाओं के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किये जा रहे आन्दोलन तथा भूख हड़ताल की घोषणा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार द्वारा समुचित ध्यान न दिये जाने से वह सम्पूर्ण प्रदेश में आन्दोलन रत हैं। इससे प्रशासन प्रभावित है। असन्तोष इतना गहन है कि आज से उनके प्रतिनिधि लखनऊ में अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं तथा उन्होंने 22 फरवरी, 1982 से सम्पूर्ण प्रदेश में अनिश्चित कालीन हड़ताल करने का एलान कर दिया है।

मान्यवर, 6 दिसम्बर, 1981 को दिये गये मांग पत्र के अनुसार उनकी प्रमुख मांगें हैं कि पेंशन नियमावली अप्रैल, 1977 से लागू की जाय, पदोन्नतियों के अवसर बढ़ाये जायं, महासंघ को मान्यता मिले, समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी मिले तथा अवशेष पदों पर वाहन भत्ता, अनुमन्य हो, गत हड़ताल के समय कर्मचारियों पर चलाये गये मुकदमे वापस हों, स्थानीय निकाय कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाय, वेतन विसंगतियों को दूर किया जाय, सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय, अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किश्त क्रमशः 24, 28, 32 व 36 प्रतिशत दर से एरियर भुगतान राज्य कर्मचारियों की भांति किया जाय। वेतन वितरण का दायित्व सरकार ले तथा पालिका निर्मित भवनों के आबंटन में कर्मचारियों को प्राथमिकता मिले आदि।

मान्यवर, आशावान हूं कि हड़ताल से उत्पन्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन ध्यान देकर उनकी मांगों को स्वीकार करेगी जिससे कि हड़ताल समाप्त हो सके।

तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद के कतिपय ग्रामों में ग्राम प्रधानों द्वारा ग्राम समाज की भूमि की चोरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष जी, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद के अन्दर कृषि योग्य ग्राम समाज की भूमि की भारी पैमाने पर चोरी की जा रही है जिसमें सरकारी कर्मचारी एवं ग्राम प्रधान भी शामिल हैं। इस प्रकार के कई मामले प्रकाश में आये हैं। ग्राम ईटगांव, घटौली भसेढ़ा, अजरौली, रेवना, चमरूपुर, बहभरमऊ में कृषि योग्य ग्राम समाज की भूमि को प्रधानों ने स्वयं अपने भाई-भतीजों या अपने परिवार में अन्य लोगों के नाम चोरी से पट्टे किये हैं और सैकड़ों एकड़ भूमि को गांव के भूमिहीन पात्र व्यक्तियों में आबंटन नहीं किया है। ग्राम हरौली-सिरौनी के लेखपाल राम अभिलाष सिंह तथा कोटियावर्चना के संग्रह अमीन कृष्ण कुमार ने अपने तथा परिवार के लोगों के नाम ग्राम समाज की भूमि का पट्टा करा लिया है। ग्राम चमरूपुर के प्रधान ने अपने भाई के नाम और ग्राम रेवना के प्रधान ने स्वयं अपनी पत्नी तथा मां के नाम चोरी से अवैधानिक पट्टा करा लिया है। इस अवैधानिक पट्टों में सरकारी कर्मचारियों एवं प्रधानों की मिली-जुली साजिश है जिसमें सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य ग्राम समाज भूमि को अनियमित रूप से अपहरण किया गया है। श्रीमन्, तहसील बीकापुर के परगना खण्डासा तथा पश्चिमराठ के गांवों में भूतपूर्व जमींदारों तथा सामंती सर्कश लोगों ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिलजुल कर फर्जी तौर पर भूराजस्व अभिलेखों में ग्राम समाज, कृषि योग्य भूमि को अपने नाम फर्जी इन्द्राज करा लिया है और अब भी ग्राम समाज की कृषि योग्य भूमि पर वृक्षारोपण के नाम पर जबरिया कब्जे किये जा रहे हैं, भूमि आबंटन भूमिहीनों में नहीं की जा रही बराबर

[श्री मित्र सेन--]

शासनादेशों और निर्देशों की उपेक्षा की जा रही है। जिला प्रशासन मूकदर्शक बना तमाशा देख रहा है और कोई भी प्रभावी कार्यवाही मामले प्रकाश में आने के बावजूद भी नहीं कर रहा है। परिणामस्वरूप भूमिहीन हरिजनों, कमजोर वर्ग के पात्र व्यक्तियों में भूमि आवंटन की कार्यवाही न किये जाने से गहरा असंतोष एवं आक्रोश है। गांव में विषमता और कटुता की खाई बढ़ती और गहरी होती जा रही है और दिन प्रतिदिन तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना घटने की बराबर आशंका बनी हुई है।

इस लोक महत्व के प्रश्न को आपकी अनुमति से सदन एवं शासन के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि उपरोक्त ग्राम समाज की कृषि योग्य भूमि को हरिजनों एवं कमजोर वर्ग के अन्य व्यक्तियों में बांटी जाय।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1982 को परित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक, प्रामणित किया गया था और दिनांक 9 फरवरी, 1982 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के 12 फरवरी, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है।

जिला अधिकारी, लखनऊ तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के विरुद्ध उठायी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

मुझे श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री मुख्तार अनीस की एक विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना मिली थी जिस पर मैं निर्णय दे रहा हूं। श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री मुख्तार अनीस, सदस्यगण विधान सभा ने 17 जनवरी, 1982 को जिलाधिकारी, लखनऊ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग और सदन की अवमानन के प्रश्न की सूचना दी थी। माननीय सदस्यगण का कहना है कि बढ़ते दामों, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को बरखास्त करने हेतु जब एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को देने के लिए वे अपने दल के सदस्यों के साथ 15 जनवरी, 1982 को राज-भवन के गेट नं0 1 पर गये तो उनके वहां से लौटते समय जिलाधिकारी, लखनऊ और जयेष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के आदेश पर सैकड़ों, पुलिस कर्मियों ने अकारण उन लोगों को घेरे में ले लिया और ट्रकों पर लाद कर थाना आलमनगर, लखनऊ में पहुंचाया जहां उन लोगों को सायं तक रोके रखा गया और जिला जेल, लखनऊ में दाखिल कराया गया। माननीय सदस्यों का कहना है कि इस प्रकार उपर्युक्त अधिकारियों ने जानबूझ कर उन्हें विधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने दिया और वे विशेषाधिकार भंग के दोषी हुए।

इसी सम्बन्ध में श्री हरी किशन श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 22-1-82 को उपर्युक्त अधिकारियों के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है ।

सर्वश्री प्रदीप कुमार यादव और मुख्तार अनीस ने अपने दिनांक 20-1-82 के पत्र द्वारा, जो 22-1-1982 को प्राप्त हुआ, में यह अनुरोध भी किया था कि विशेषाधिकार भंग के इस प्रश्न को उठाने तथा श्री राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव में संशोधन के समर्थन में बोलने हेतु उन्हें सदन में बुलाये जाने के लिए आवश्यक आदेश दिये जायं ।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 18 जनवरी, 1982 को अध्यक्ष पीठ से सदन को दी गयी सूचना तथा इस सचिवालय द्वारा उसी दिन जारी की गयी बुलेटिन संख्या 40 के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ से प्राप्त यह सूचना दी गयी थी कि सर्वश्री मुख्तार अनीस तथा प्रदीप कुमार यादव को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत 15-1-82 को 11·30 बजे दिन में दौरान जांच के लिए गिरफ्तार किया गया और उन्हें जिला कारागार, लखनऊ में रखा गया । इसी प्रकार बाद में दिनांक 29-1-82 को इन माननीय सदस्यों की रिहाई की सूचना भी दी गयी । इस प्रश्न के सम्बन्ध में दिनांक 27 जनवरी, 1982 को ही मैं अपना निर्णय देना चाहता था किन्तु श्री मोहन सिंह व श्री हरी किशन श्रीवास्तव द्वारा मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया कि श्री प्रदीप कुमार यादव व श्री मुख्तार अनीस के रिहा होने पर उन्हें निर्णय लेने से पूर्व सुन लिया जाना चाहिये, अतः मैंने उस दिन अपना निर्णय स्थगित कर दिया था । दिनांक 29 जनवरी, 1982 को मैंने इस सम्बन्ध में श्री मुख्तार अनीस, श्री प्रदीप कुमार यादव, संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री रियासत हुसैन व श्री रामस्वरूप वर्मा को सुना । श्री मुख्तार अनीस तथा प्रदीप कुमार यादव ने लगभग वही बातें कहीं जिनका उल्लेख उन्होंने अपनी शिकायत में किया था । श्री मुख्तार अनीस ने यह भी कहा कि उन्हें गिरफ्तार करके 24 घंटे के अन्दर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उनको यह बताया गया कि उन्हें किन धाराओं में बन्द किया गया और क्यों बन्द किया गया । श्री प्रदीप कुमार का कहना था कि उन्हें यह कहकर रोका गया कि वहां धारा 144 लागू है और दफा 188 में उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है जब कि बाद में उन्हें पता चला कि उनका चालान दफा 188 में न होकर अन्य दफा 151, 107, 116 आदि में किया गया है । मूल शिकायत तथा इन सभी बातों पर मैंने गम्भीरता से विचार किया है ।

"मे की पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस" (19वां संस्करण के पृष्ठ 1030) तथा कौल शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" (हिन्दी संस्करण के पृष्ठ 217-218) को देखने से यह स्पष्ट है कि गिरफ्तारी से छूट केवल दीवानी मामलों तक सीमित है और गिरफ्तारी से छूट का दावा फौजदारी या संविधि के अधीन निरोध के मामलों में उपलब्ध नहीं है और न ही गिरफ्तारी से छूट के विशेषाधिकार को फौजदारी न्याय या आपातिक विधायनों के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाती है । इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के हाउज आफ कामन्स में कैप्टन रेम्बेसे के मामले में निर्णय का उल्लेख करते हुए देशपाण्डे के मामले में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने यह स्पष्ट अभिमत व्यक्त किया है "यदि

[श्री अध्यक्ष—]

किसी संविहित प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यपालिका के आदेश से निवारक गिरफ्तारी की जाती है, तो कोई विशेषाधिकार भंग नहीं होता।" लोक सभा में दशरथ देव के मामले (1952) में भी लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने यह फैसला दिया था कि फौजदारी न्याय के प्रशासन में यदि किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो यह गिरफ्तारी विशेषाधिकार का भंग नहीं है। इस सदन में भी अध्यक्ष पीठ से 19 जुलाई, 1957 को श्री राम स्वरूप वर्मा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में एसे ही एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय देते हुए यह निर्णय दिया गया था "जहां तक फौजदारी के मामले हैं, उन मामलों में केवल माननीय सदस्यों को यह विशेषाधिकार है कि जब कोई गिरफ्तार हो जाय किसी कानून के मातहत, तो इस सदन को उसकी सूचना मिल जानी चाहिए... एक नागरिक भी इस तरह से पकड़ा जा सकता है और उसके साधारण अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए अदालत मौजूद है और वह अदालत में उस प्रश्न को उठा सकता है। लेकिन इस तरह से विशेषाधिकार द्वारा किसी सदस्य या नागरिक में भेदभाव नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है।"

अतएव, उपर्युक्त कारणों से मैं माननीय श्री प्रदीप कुमार यादव तथा माननीय श्री मुख्तार अनीस की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक सूचना आपके समक्ष प्रस्तुत करनी है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 फरवरी, 1982 की बैठक में यह सिफारिश की है कि शनिवार, दिनांक 27 फरवरी, 6 मार्च तथा 20 मार्च, 1982 को भी सदन के उपवेशन हों और तद्नुसार विधान सभा का दिनांक 15 फरवरी, 1982 से 31 मार्च, 1982 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :

फरवरी, 1982

15 सोमवार .. अपराह्न 5 बजे तक—

वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।

अपराह्न 5 बजे से—

1—वित्तीय वर्ष 1981-82 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण।

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 (जैसा उत्तर प्रदेश परिषद् द्वारा पारित हुआ) पर विचार एवं उसका पारण—एक घंटा।

16 मंगलवार	..	वित्तीय वर्ष 1981-82 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
17 बुधवार	..	अपराह्न 5 बजे तक—
		वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
		अपराह्न 5 बजे से—
		उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार—एक घंटा ।

फरवरी, 1982

18 गुरुवार,	बैठक नहीं होगी ।
19 शुक्रवार,	
20 शनिवार,	
21 रविवार,	
22 सोमवार (शिवरात्रि का अवकाश)	
23 मंगलवार,	वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
24 बुधवार,	
25 गुरुवार,	
26 शुक्रवार,	
27 शनिवार,	
28 रविवार	बैठक नहीं होगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[श्री अध्यक्ष--]

मार्च, 1982

1	सोमवार,		वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
2	मंगलवार,		
3	बुधवार,		
4	गुरुवार,		
5	शुक्रवार,		बैठक नहीं होगी
6	शनिवार		
7	रविवार,		
8	सोमवार,		बैठक नहीं होगी ।
9	मंगलवार,	होली का अवकाश	
10	बुधवार,		
11	गुरुवार		वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
12	शुक्रवार		
13	शनिवार		बैठक नहीं होगी ।
14	रविवार		
15	सोमवार		अपराह्न 5 बजे तक वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान । अपराह्न 5 बजे वित्तीय वर्ष 1981-82 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण ।
16	मंगलवार		वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
17	बुधवार		
18	गुरुवार		
19	शुक्रवार		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

20	शनिवार	अपराह्न 3 बजे तक वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान । अपराह्न 3 बजे से 3.30 बजे तक उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण । अपराह्न 3.30 बजे से वित्तीय वर्ष 1981-82 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण--2 घंटा ।
21	रविवार	बैठक नहीं होगी ।
22	सोमवार	
23	मंगलवार	
24	बुधवार	
25	गुरुवार	
26	शुक्रवार	
27	शनिवार	
28	रविवार	
29	सोमवार	
30	मंगलवार	1--निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण-- (क) उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982.. 1 घंटा । (ख) उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982..आधा घंटा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[श्री अध्यक्ष]

2—श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित विषयक सूचना पर आधे घंटे की चर्चा—

"विगत 10–1–82 को गोंडा जिले के तुलसीपुर में विधायक श्री अकबाल हुसैन व उनके साथियों को कथित गलत धाराओं में गिरफ्तार करके जेल में रखने के सम्बन्ध में।"

31 बुधवार असरकारी कार्य।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिनकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों जिसकी सूचना आज अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया था।

श्री अध्यक्ष—

बाद में देखा जायेगा।

सदन की समितियों तथा स्थायी समितियों में सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 'उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 200 के साथ पठित नियम 229 (2) के अनुसार लोक लेखा समिति में 21 से अनधिक सदस्य नियम 231 (2) के अनुसार प्राक्कलन समिति में 25 से अनधिक सदस्य, नियम 232–ख के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति में 25 से अनधिक सदस्य,

(2) विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा क्रमशः दिनांक 6 अगस्त, 1974 एवं दिनांक 14 अगस्त, 1974 को पारित प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति में 21 सदस्य, तथा

(3) मंत्रियों को परामर्श देन के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन संगठन तथा कार्यविधि के नियम 1 (ङ) के साथ पठित नियम 1 (क) के अनुसार 29 स्थायी समितियों में प्रत्येक में 16-16 सदस्य, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए और उसके बाद समय-समय पर उनमें आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिये सदस्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं,

उक्त सम्बन्धित नियमों तथा प्रस्ताव के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1982-83 के लिये सदन की उक्त समितियों तथा मंत्रियों को परामर्श देने के लिए 29 स्थायी समितियों के लिये निर्वाचन किया जाना है ।

सम्बन्धित नियमों एवं प्रस्ताव के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, यह सदन श्री अध्यक्ष को, उक्त सभी समितियों में वर्ष 1982-83 के लिए विधान सभा के सदस्यों को तथा उसके बाद उक्त वर्ष की उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को, नाम-निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं प्रस्ताव की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 200 के साथ पठित नियम 229 (2) के अनुसार लोक लेखा समिति में 21 से अनधिक सदस्य नियम 231 (2) के अनुसार प्राक्कलन समिति में 25 से अनधिक सदस्य, नियम 232-ख के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति में 25 से अनधिक सदस्य,

(2) विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा क्रमशः दिनांक 6 अगस्त, 1974 एवं दिनांक 14 अगस्त, 1974 को पारित प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति में 21 सदस्य, तथा

(3) मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन संगठन तथा कार्य विधि के नियम 1 (ङ) के साथ पठित नियम 1 (क) के अनुसार 29 स्थायी समितियों में प्रत्येक में 16-16 सदस्य, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए और उसके बाद समय-समय पर उनमें आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए सदस्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं ।

उक्त सम्बन्धित नियमों तथा प्रस्ताव के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1982-83 के लिये सदन की उक्त समितियों तथा मंत्रियों को परामर्श देने के लिये 29 स्थायी समितियों के लिये निर्वाचन किया जाना है,

[श्री अध्यक्ष--]

सम्बन्धित नियमों एवं प्रस्ताव के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये जहां तक वे उक्त समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, य; सदन श्री अध्यक्ष को, उक्त सभी समितियों में वर्ष 1982-83 के लिए विधान सभा के सदस्यों को तथा उसके बाद उक्त वर्ष की उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिये यथा समय सदस्यों को, नाम-निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं प्रस्ताव की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में जो कार्यक्रम निर्वाचन के लिये निर्धारित किया गया था वह निरस्त किया जाता है ।

बस्यु सरगना श्री छविराम द्वारा खुलेआम मैनपुरी जनपद के ग्राम हरनागपुर में घूमने तथा पुलिस द्वारा पकड़ने की कार्यवाही न किये जाने सम्बन्धी वक्तव्य को टाले जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से एक औचित्य का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । जो हमारी प्रक्रिया नियमावली है कि उसके अन्तर्गत आपके संज्ञान में एक तथ्य 9 तारीख को मैंने और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने लाया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था छविराम मैनपुरी में खुलेआम घूम रहा है और पुलिस उसे नहीं पकड़ रही है । इस सम्बन्ध में अनेक तथ्य हम लोगों ने प्रस्तुत किये थे कि छविराम वहां है, खुलेआम वहां घूम रहा है । लेकिन सरकार ने ऐसे आदेश जारी कर दिये हैं कि छविराम वहां से ताकि हट जाय । मान्यवर, शासन की ओर से जवाब दे दिया गया, उस समय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, माननीय अम्मार रिजवी साहब यहां पर थे, उन्होंने यह बताया था । मान्यवर, उस दिन की कार्यवाही के पृष्ठ संख्या 57 पर लिखा हुआ है, डाक्टर अम्मार रिजवी साहब कहते हैं कि 'मैं आपके माध्यम से सदन को सूचना देना चाहूंगा कि सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है और सरकार ने किसी को अधिकृत भी नहीं किया है ।' मान्यवर, बयान के लिए 15 तारीख निर्धारित की गयी थी ।

मान्यवर, यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का था, मान्यवर, हमने इस पर बहिर्गमन भी किया था । आज मुझे आपके अनुसचिव द्वारा पत्र मिला है, जिसके द्वारा यह मालूम हुआ कि अब 18 तारीख के लिए रख दिया गया है । मान्यवर, मैं यह जानता था कि आज 15 तारीख है, आज बयान होगा और मैं तैयारी करके आ रहा था । मान्यवर, जिस दिन डाक्टर अम्मार रिजवी साहब यह कह रहे थे कि शासन के पास कोई जानकारी उसके सम्बन्ध में नहीं है । मान्यवर, उस दिन और उसके बाद भी सरकार ने गलत बयानी की, मान्यवर, सरकार के पास उस दिन भी उत्तर मौजूद था । मान्यवर, आज यह मालूम हुआ कि सरकार आज के बजाय अब 18 तारीख को बयान देगी । तो इस तरह से मान्यवर, सरकार जानबूझकर तथ्यों को छिपाना चाहती है । मान्यवर, सरकार के पास जानकारी है कि आज वहां क्या परिस्थिति है । मान्यवर, इस सरकार के

राज्य मंत्री ने कल कानपुर में पत्रकारों के सामने यह स्वीकार किया कि सरकार की ओर से इस बात की जानकारी कराई जा रही है कि वहां पर छविराम के रहते हुए पुलिस ने क्यों पकड़ने की कार्यवाही नहीं की। मान्यवर, अभी मुझे जो कार्य मंत्रणा समिति का कार्यक्रम देखने को मिला, उसमें 18 तारीख को छुट्टी है। संसदीय कार्य मंत्री सरकार के प्रतिनिधि और डाक्टर अम्मार रिजवी साहब कार्य मंत्रणा समिति में थे। इनको जानकारी थी। लेकिन मान्यवर, हमको जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी 18 तारीख को बयान के लिए प्रार्थना करना कहां तक उचित है? इसमें मान्यवर, दो-तीन मुद्दे हमारे हैं।

श्री अध्यक्ष--

बैठ जायं। अब हो गया।

15 तारीख इसके बयान के लिए निर्धारित हुई थी। इसके बाद माननीय गृह मंत्री का एक पत्र आया कि इसको 18 तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाय। जिस दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, यह चिट्ठी उसके पहले की थी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री की जानकारी में 18 तारीख को बैठक न होने की बात थी। बयान के लिए 15 तारीख तो दी गयी थी। लेकिन अब 18 तारीख का समय मांगने का गृह मंत्री को अधिकार है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अधिकार तो है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

एक बात इसमें जो आपने कहा कि 18 को छुट्टी हो रही है, इसके अतिरिक्त दूसरी तारीख रख दी जाय। उसके फलस्वरूप अब यह 23 को जायगा। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री, यह 18 के बजाय 17 को मान्य है?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)--

मान्यवर, 23 तारीख रख दी जाय।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इसमें वक्तव्य के लिए कौन सी जानकारी सरकार को इकट्ठा करना है? सरकार के पास सारी जानकारी मौजूद है। मान्यवर, ये तो समर्पण कराने की कार्यवाही कर रहे हैं।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, 17 को हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, 17 को हो जायगा।

आज प्रस्तुत होने वाले बजट में मदों का विश्लेषण न दर्शाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

एक औचित्य का प्रश्न माननीय हुकुम सिंह ने उठाया है।

श्री हुकम सिंह—

मैं कुछ कहना चाहूंगा, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

कहिये।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, जब-जब अनुदान प्रस्तुत किये गये हैं, पुराने वर्षों के स्वास्थ्य विभाग के अनुदानों की कार्य सूची मेरे पास है जिसमें विश्लेषण किया गया है कि राजस्व से कितना व्यय पूंजीगत से कितना व्यय करने जा रहे हैं। उसमें सब का बैकग्राउण्ड दे रखा है और यही रिक्वायरमेन्ट कंस्टीट्यूशन में भी है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संविधान के अनुच्छेद 202 और 203 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मान्यवर, 202 का क्लाज (2) का बी आप देखें—

एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट "दि सम रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेन्डीचर प्रपोज्ड टू बी मेड फ्रेम दि कोन्सोलिडेटिड फंड आफ दि स्टेट एन्ड शैल डिस्टिंग्यूस एक्सपेन्डीचर आन रिश्यू एकाउन्ट फ्रेम अदर एक्सपेन्डीचर," इसका तात्पर्य यह हुआ कि सचिव निधि से जो धन खर्च करेंगे उसमें राजस्व और पूंजीगत व्यय की अलग-अलग तफसील बनायेंगे। जो सूची मिली है स्वास्थ्य मंत्री जी ने तीन आइटम दर्शाये हैं। सारे मदों को एक जगह कर दिया है। उसमें राजस्व पर क्या व्यय होगा, पूंजीगत पर क्या है, किसी प्रकार का विश्लेषण नहीं दिया गया है। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बासू की कमेन्टरी आन दि कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया के पांचवें एडीशन के सेकेन्ड वाल्यूम की पृष्ठ 706 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

"ए सेपरेट डिमान्ड इज ऑर्डिनरली मेड फोर ईच मिनिस्टरी एन्ड ईच सच डिमान्ड कन्टेन्स फस्ट ए स्टेटमेंट आफ दि टोटल प्रान्ट प्रोप्रोज्ड एन्ड देन ए स्टेटमेंट आफ दि डिटेल्ड एस्टीमेट अन्डर ईच प्रांट डिवाइडेड इन्टू आइटम्स" इस प्रकार रूल 206 में है लोक सभा में भी यही परम्परा है कि कितना पूंजीगत पर जाता है कितना राजस्व पर जाता है सब अलग-अलग दिखाते हैं और हमारे सदन में भी यही परम्परा रही है। संविधान में भी यही दिया गया है। मान्यवर, इसके विपरीत यह प्रक्रिया अपनाने का क्या कारण हो सकता है। मान्यवर, जब तक हमको पता न हो कि राजस्व और पूंजीगत पर कितना पैसा जायेगा तब तक हम लोगों के सामने सदन में जो अनुदान प्रस्तुत किया जायेगा उस पर अपनी टीका टिप्पणी दे सकते हैं और न सुझाव दे सकते हैं। आपने कहा 27 करोड़ रुपया फला खर्च के लिये चाहिये। कितना पूंजीगत व्यय होगा, कितना राजस्व पर लिया जा इसका कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, पिछले साल की 23 फरवरी, 1981 की कार्यसूची का अवलोकन करें उसके मद संख्या 9 का 4—जन स्वास्थ्य मंत्री

श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78--चिकित्सा विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त इतने रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। तो मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा आपसे आप संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन करने की और परम्पराओं का उल्लंघन करने की इजाजत न दें।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो प्रश्न उठाया है वह थोड़ी देर पहले दिया है। यह प्रश्न टेक्निकल है और लीगल है। इसके लिये मैं वित्त मंत्री को सुनूंगा और कल मैं निर्णय दूंगा।

श्री मोहन सिंह--

आज बजट प्रस्तुत करेंगे।

श्री हुकम सिंह--

यह संविधान के परम्परा के विपरीत है इसलिये संविधान को मान्यवर, तोड़ने की अनुमति आप न दें।

श्री अध्यक्ष--

बजट प्रस्तुत हो गया है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

कार्य स्थगन की आज 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

पहली श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की--हल्द्वानी में एक हरिजन बस्ती में आग लगने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, डा० शिवानन्द नौटियाल, श्री हरी किशन श्रीवास्तव और श्री विद्या सागर नौटियाल की इसी से सम्बन्धित विषय की अलग से सूचना है।

तीसरी श्री राम आसरे वर्मा, श्री गोपी नाथ वर्मा और श्री मित्रसेन की दिनांक 11 फरवरी को कृषि विभाग द्वारा लखनऊ में आयोजित प्रदर्शन के बाद वापस लौटते समय कानपुर, हमीरपुर मार्ग पर स्थित घाटमपुर थाने के धर्मपुर गांव में डकैतों द्वारा बस को लूटे जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की बस्ती जिले की तहसील नौगढ़ के ग्राम केसर में भुखमरी से एक महिला की मृत्यु के सम्बन्ध में है।

पांचवीं श्री मोहन सिंह की प्रदेश के शराब व्यापारियों के एक सिंडीकेट द्वारा शराब के ठकों की नीलामी पर दबाव डालने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, बस्ती जिले की तहसील नौगढ़ के स्थान पर जिला वाराणसी है और थाना नौगढ़ है ।

श्री अध्यक्ष--

पहली और दूसरी सूचना, जैसी नियम 51 में भी एक सूचना प्राप्त हुई है, इसलिये नियम 51 में इस पर विचार किया जायेगा ।

कार्य-स्थगन की सूचनायें अस्वीकृत हुई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जिला वाराणसी के थाना नौगढ़ के ग्राम केसर के ग्राम प्रधान का हमारे पास प्रमाण पत्र मौजूद है । महिला की मृत्यु भुखमरी के कारण हुई है जिसकी सूचना दे दिया है लेकिन वहां कोई राहत कार्य नहीं हो रहे हैं । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि चूंकि वहां लगभग 20 गांवों के हजारों लोग भुखमरी के कारण मरने की कगार पर हैं, इसलिये सरकार से इस पर बयान दिलवा दें कि सरकार वहां क्या कर रही है ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, सिंडीकेट गाजियाबाद का है । उसके दबाव में एक ऐसा आदेश मुख्य मंत्री ने कर दिया कि अब शराब के ठेकों की बिक्री एक ही तारीख को होगी । इससे 20 करोड़ रुपये का नुकसान होने वाला है । प्रारम्भ में आदेश है कि स्टेट की ओर से इसकी व्यवस्था की जा रही है, बाद में आया कि लखनऊ शहर के लिये ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा है । मान्यवर, दिल्ली में सरकार की ओर से शराब की बिक्री होती है और उसकी सीमा पर गाजियाबाद बसा है जहां से करोड़ों रुपये की तस्करी होती है और गड़बड़ी होती है । इस समय जो आदेश हुआ है वह एक सिंडीकेट के दांवपेच से हुआ है जिससे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे प्रदेश में शराब के ठेकों से स्टेट रेवेन्यू का नुकसान होगा इसलिये इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिये और जिससे जो मुख्य मंत्री का निर्णय है उस पर समग्र रूप से विचार हो सके ।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, 11 फरवरी को जब प्रदर्शनकारी लौट रहे थे तो उनकी बस को लूट लिया गया और 4 पुलिस कर्मी जो उसमें थे वह भाग गये, यात्रियों के विरोध करने पर दर्जनों लोग घायल कर दिये गये । उनकी फरियाद मुख्य मंत्री तक आयी लेकिन वहां कोई अभी पहुंचा नहीं है और जांच नहीं हुयी है । ऐसी घटनायें रोज हो रही हैं । हम लोग भी बसों से चलते हैं और इस बात की आशंका बनी रहती है, कभी ऐसी दुर्घटनायें हो सकती हैं । ऐसी घटनाओं पर मुख्य मंत्री को सुनने का अवसर देना चाहिये और आप इसे स्वीकार करें और इस पर चर्चा होनी चाहिये । यह ला-एण्ड-आर्डर से सम्बन्धित है । प्रदेश के सारे जनजीवन में एक असुरक्षा पैदा हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

आपको मैंने ग्राह्यता पर सुन लिया । आपने जो महत्वपूर्ण बातें कहीं, मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं अपेक्षा करूंगा कि वह इस पर ध्यान देंगे । नियम 56 में यह सब अस्वीकार की जाती है ।

(समय 1 बजकर 1 मिनट)

1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,01,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,81,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,18,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग पर तीसरे वर्ष, 1982-83 का बजट इस सम्मानित सदन के सामने इसकी स्वीकृति हेतु रखूं। श्रीमन्, इस साल हमारा, स्वास्थ्य विभाग का बजट लगभग 181 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष के मुकाबले में लगभग 33 करोड़ रुपये अधिक है। 1980 में इस सम्मानित सदन में बजट पेश करते हुये हमने इस सदन को आश्वस्त किया था कि चिकित्सा विभाग के परिव्यय का 80 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों को जायगा क्योंकि 80 प्रतिशत जनसंख्या हमारे प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। मान्यवर, मुझे इस बात का हर्ष है कि विगत 3 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में इसी ध्येय को रखा था जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध हुआ। श्रीमन्, पहला बिन्दु हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य का आता है। उत्तर प्रदेश में 903 प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र हैं। 1876 विकास खंडों में। 50 प्रतिशत के ऊपर भवन स्वास्थ्य केन्द्रों में नहीं हैं। सम्मानित सदस्य बार-बार इस बात को कहते हैं कि प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। यह सत्य था इसके पीछे कुछ कारण हैं। चिकित्सकों को आवास एवं चिकित्सा की सुविधा नहीं हो पाती क्योंकि छोटे-छोटे मकानों में, जिस समय यह केन्द्र खोले गये थे उस समय वहां की आवश्यकता को देखते हुये, इनको खोल दिया गया

[श्री लोकपति—]

था । छठी पंचवर्षीय योजना में हमने यह प्रयास किया है कि प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का हम निर्माण करा दें और चिकित्सालय पर जो कार्य करने वाले हमारे अधिकारी और चिकित्सक हैं उन्हें आवास की असुविधा न हो ।

इस साल तक लगभग 405 प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के आदेश शासन द्वारा जारी हो चुके हैं । वर्ष 1982–83 में 35 अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु शासन का आदेश, इस सम्मानित सदन की स्वीकृति हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत है । इसी प्रकार प्रदेश के अन्दर चिकित्सा सुविधा की अच्छी सुविधा जो भी शासन के अन्तर्गत थी, वह जिला स्तर पर थी । इसका भी विकेन्द्रीकरण और साथ ही सुदूर ग्रामीण अंचलों में आधुनिक चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाय इस उद्देश्य से उच्चीकृत चिकित्सालयों का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ । 876 प्राइमरी हेल्थ सेण्टर्स को दृष्टि में रखते हुए 220 उच्चीकृत चिकित्सालय ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने के लिए निर्णय 80–81 में हुआ । इसके अन्तर्गत 4 प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स के अन्तर्गत एक उच्चीकृत चिकित्सालय की स्थापना, जहां मात्र शिशु कल्याण की चिकित्सा हो सके, सर्जिकल चीड़–फाड़ की व्यवस्था हो सके, एक्स–रे की व्यवस्था हो सके, क उद्देश्य था । इस सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि आज 31 मार्च, 1982 तक 121 इस तरह के चिकित्सालयों की स्थापना के आदेश हो चुके हैं और वर्ष 1982–83 में 35 इस प्रकार के और चिकित्सालयों की स्थापना का प्रयास है और सदन की अनुमति हेतु यहां प्रस्तुत हैं । ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी नगरों की तरफ भाग रही है, बहुत से उसके कारण हैं । एक कारण यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी उच्चीकृत चिकित्सालयों के अलावा । इस सदन को वर्ष 1980–81 के दौरान सूचित किया था कि तहसील स्तर पर और उन कस्बों में, जो ग्रामीण अंचलों में बड़े बाजार हैं, नोटीफाइड एरियाज हैं, टाउन एरियाज हैं, जहां पर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर नहीं थे, उनमें हम कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे । इस साल 1981–82 में यह निर्णय किया कि तहसील स्तर पर चिकित्सालयों की स्थापना हो और नगरीय क्षेत्रों में संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हो । वर्ष 1981–82 में 2 इस तरह के चिकित्सालयों की स्थापना का प्रयास किया । इस वर्ष इस तरह के 10 चिकित्सालय स्थापित करने का हम प्रयास कर रहे हैं । इन चिकित्सालयों में हर वह सुविधा उपलब्ध रहेगी जो जिला चिकित्सालयों में रहती है एम्बुलेन्स के साथ, ताकि उच्चीकृत चिकित्सालयों से इन तहसील चिकित्सालयों का सम्बन्ध रहे और जो सुविधा उच्चीकृत चिकित्सालयों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वह इस तहसील स्तरीय चिकित्सालय में दे सकें ।

हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, आवश्यकतायें बहुत हैं । जिस तरह आवश्यकतायें रोग के निदान के बिना बढ़ती जाती हैं, वैसे ही यह बोझा चिकित्सा विभाग पर बढ़ता जाता है । इस सम्मानित सदन ने बार–बार इस तरफ बात उठायी कि जिला चिकित्सालयों के अन्तर्गत सुविधा दिलायी जाय, उनकी शैय्याओं का विस्तार किया जाय तथा जिला चिकित्सालयों का विस्तार किया जाय । यह बात उठी कि साधन सीमित हैं । जितनी आवश्यकता है उसकी एक वर्ष में पूर्ति करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । उनको एक निर्धारित कार्यक्रम का रूप देकर समय–समय पर किया जा सकता है । यह निर्णय किया गया कि हमारे जिला स्तर के चिकित्सालयों में कुछ शैय्याओं का निर्माण कराया जाय, कहीं आवश्यकता हुई तो उसका पुनः निर्माण कराया जाय । इस संदर्भ में 1981–82 तथा 1982–83

में गाजियाबाद, ललितपुर, हमीरपुर, बरेली, इटावा, लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल में चिकित्सालयों का पुनः निर्माण कराया जाय। उन्नाव में एक चिकित्सालय का निर्माण हो चुका जो 1977-78 में स्वीकृत हुआ था। इसमें गाजियाबाद, बरेली, वाराणसी इन चिकित्सालयों में यहां पर 500 शैय्याओं के निर्माण का निर्णय लिया गया था जिसके प्रथम चरण में 250 शैय्याओं का निर्माण किया जायेगा। फतेहपुर में यह स्वीकृति बहुत दिनों पहले ही प्रदान की गयी थी परन्तु यह निर्णय नहीं हो पा रहा था कि वर्तमान चिकित्सालय जो हैं वह रहे या गिरा दिया जाय।

शासन ने निर्णय लिया कि फतेहपुर का अस्पताल गिरा दिया जाय परन्तु चिकित्सा देने का काम चालू रहे। तो इस तरह से संयुक्त अस्पताल फतेहपुर, संयुक्त चिकित्सालय इटावा तथा संयुक्त चिकित्सालय मिरजापुर, हमीरपुर तथा ललितपुर में डो-दो सौ शैयाओं के चिकित्सालयों के निर्माण कराये जाने की योजना है।

इसके साथ हमारे प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो रही है औद्योगिक केन्द्र अधिक स्थानों पर बनेंगे। उत्तर प्रदेश में तीन बड़े उद्योगों की स्थापना हो रही है एक न्योडा में, दूसरी मिर्जापुर के सोन नदी के पार जहां अपरम्पार कोयला उपलब्ध है वहां पर विद्युत काम्पलेक्स बन रहा है। तीसरा सुल्तानपुर में जगदीशपुर में। न्योडा में प्रथम चरण में 250 शैयाओं का निर्माण होगा। अनपरा में सुपर थरमल पावर हाउस बन रहा है वहां पर 500 शैयाओं के निर्माण कराने की योजना है जिसके प्रथम चरण में 250 शैयाओं के चिकित्सालय का निर्माण किया जायेगा ताकि हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं जो विकसित हो रहे हैं उनमें चिकित्सालय की सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि हमारे प्रदेश के जो उद्योग बन्धु हैं वे इस ओर आकर्षित हों और अधिक से अधिक उद्योग इस क्षेत्र में लगाने का प्रयास करें। जगदीशपुर में 100 शैय्याओं के चिकित्सालय का निर्माण होगा।

चूंकि हमारा प्रदेश उद्योग के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है इसलिए यहां पर आर्थिक कठिनाइयां होती हैं और हमारी योजनायें रुक जाती हैं, तो इसलिए यहां पर चिकित्सालयों के निर्माण की बात हुई है। इसी प्रकार से जहां पर शैयाएं कम हो गयी हैं वहां पर और सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। वहां पर चिकित्सालय का विस्तार किया जायेगा। अभी इसी प्रकार के मेरठ, झांसी और गोरखपुर में तीन चिकित्सालयों को ले रहे हैं। जहां शैयाओं को बढ़ाकर चिकित्सालय की स्थापना करेंगे और नये बोर्डों की स्थापना करेंगे।

लखनऊ में जो महिला चिकित्सालय है जिसका नाम डफरिन अस्पताल है डफरिन हास्पिटल, उसमें भी इस वर्ष 50 शय्याओं का विस्तार रखा गया है।

अब मान्यवर, प्रश्न आता है दवा की कमी का। यह रास्ता नहीं सूझता कि जिस प्रदेश में 20 हजार लोग रोज पैदा हों, वहां कैसे इस कमी को दूर करें। कमी को समाप्त कर देना तो कठिन है, लेकिन यह प्रयास हम कर सकते हैं कि उस कमी को किसी हद तक पूरा करने का प्रयास करें। इस सन्दर्भ में जब से यह वर्तमान शासन आया तब से 13 करोड़ से बढ़ाकर 1982-83 में, इस सदन के सामने जो प्रस्तुत है स्वीकृति के लिए, यह परिव्यय 25 करोड़ रखा गया है। पिछले वर्ष 1981-82 में 1980-81 के मुकाबले हमने 4 करोड़ बढ़ाया है। 13 से 17 और 17 से 21 करोड़ और अब हम 25 करोड़ पर जा रहे हैं।

[श्री लोकपति--]

इस सन्दर्भ में दो-तीन प्रकार की सेवायें हमारे प्रदेश में हैं जिनको स्वास्थ्य विभाग को करना पड़ता है। एक तो साधारण रोगी, दूसरे राजकीय कर्मचारी और तीसरे हमारे पत्रकार बन्धु तथा चौथी श्रेणी में हमारे विधायक आते हैं। जिला चिकित्सालयों में मुझे यह स्वीकार करने में हिचक नहीं है कि जितना उनकी क्षमता है, उससे अधिक वहां के लोगों की आवश्यकता पूरी करनी पड़ती है जिसमें वे सक्षम नहीं हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुये शासन ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में भी भारत सरकार की तरह कण्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम चलायी जाये। शासन ने यह भी निर्णय लिया कि राज्य कर्मचारियों में जो क्लास फोर्थ और थ्री में हैं उनका कण्ट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश शासन करे और क्लास टू तथा वन के जो कर्मचारी हैं वह स्वतः करेंगे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के अन्दर 1982-83 में 100 चिकित्सालयों की स्थापना करने का प्रारूप रखा गया है। राज्य कर्मचारियों तथा जनपदों में जो हमारे पत्रकार बन्धु हैं, कण्ट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम से सम्बद्ध कर दिये जायेंगे और पत्रकार बन्धुओं को निःशुल्क चिकित्सा होगी। उनका कण्ट्रीब्यूशन उसमें नहीं होगा।

श्रीमन् अगर इसके बाद उनके चिकित्सालय लाने की बात आती है तो ये कर्मचारी या पत्रकार जो हैं उनको ये कण्ट्रीब्यूटरी हेल्थ चिकित्सालय अग्रसारित कर देंगी। इसके बाद मान्यवर, इस सचिवालय की बात आती है। इसके अन्दर सम्मानित विधायक रहते हैं। इस चिकित्सालय में लगभग 8 हजार लोग कार्य करते हैं और कभी-कभी, एक डिस्पेंसरी तो हमारी इस सचिवालय में है, मगर आकस्मिक घटना हो जाती है और जैसा कि कोई इसका तिथि तो निर्धारित नहीं है यह प्रयास किया जा रहा है कि सन् 1982-83 में इस सचिवालय से सम्बन्धित जो अस्पताल हैं उसमें तत्काल एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करा दी जाय। इसके साथ ही साथ कुछ और अस्पतालों में भी एम्बुलेंस सेवा का प्रयास है जिसके लिए 1982-83 का बजट आपके सामने मौजूद है। मैं नहीं जानता कि इसमें हम सफल होंगे या असफल होंगे। लेकिन यह प्रयास कर रहे हैं लखनऊ शहर में पहली बार प्रयोगात्मक रूप में और अगर सफल हो गये तो उत्तर प्रदेश के बचे हुये पांच महानगरों मेरठ, आगरा कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी में यह सेवा उपलब्ध करायेंगे। जैसे कहीं आग लगने पर संकट के समय प्रदेश के हर स्थान से दमकल मंगाया जा सकता है 24 घंटे के अन्दर किसी भी समय, उसी प्रकार एम्बुलेंस सेवा लखनऊ से प्रारम्भ करने जा रहे हैं। यह एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। अगर हमारी यह योजना सफल रही तो जैसा कि मैंने बतलाया प्रदेश के पांच महानगरों में भी इस सेवा को प्रारम्भ करेंगे और समय-समय पर इसको जिला स्तर पर भी बढ़ा सकेंगे। जैसा कि मैंने इंगित किया ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा उपलब्ध करने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेन्टर की स्थापना की जायेगी। अगर इससे अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो हम यह प्रयास करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को जो वादा दिया है कि हर पांच हजार की आबादी पर एक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भारत में उपलब्ध होगा, हम हेल्थ आफ आल स्कीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 10 हजार की आबादी तथा 1982-83 में 5 हजार की आबादी ले रहे हैं और इसके अन्तर्गत 7 हजार उपकेन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य है। इनमें से इस वर्ष वर्तमान सत्र में 3,500 उपकेन्द्रों की स्था । हो चुकी है और 1982-83 का बजट जो आपके सम्मुख उपस्थित है, उसमें 1450

उपकेन्द्रों की और स्थापना की जायेगी। हमारे प्रदेश में लगभग 150 विकास खंड हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपद जो हमारे स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत आते हैं और जहां हमारे प्रदेश के निर्बल भाई जो गरीबी की रेखा से नीचे निवास करते हैं उनके लिये ऐसे 150 प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य है। इन समस्त विकास खंडों में ये 150 प्राइमरी हेल्थ सेंटर होंगे। वहीं पर एक–एक प्राइमरी हेल्थ सेवा केन्द्र की स्थापना की जा रही है जिसमें एक डाक्टर रहेगा, एक फार्मेसिस्ट रहेगा, एक वार्ड ब्वाय और साधारण मेडिकल स्टाफ रहेगा। इसी के तहत स्वास्थ्य की समस्या को हल करने के लिये उपकेन्द्रों की स्थापना हो रही है। इन उपकेन्द्रों के अन्तर्गत एक पुरुष और एक महिला डाक्टर, एक आक्जिलरी नर्स और एक साधारण स्टाफ का आदमी रहेगा। तो लगभग हर एक और दो गांवों के बीच में हम प्राइमरी हेल्थ सेन्टर से, एडीशनल हेल्थ सन्टर से, ग्रामों तक पहुंच जायेंगे।

इसी के साथ श्रीमन्, हमारे प्रदेश में विगत दो चुनौतियां आईं। 1981 में बाढ़ आई और 1981–82 में भी बाढ़ और सूखा दोनों था। श्रीमन्, मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत कराते हुये इस बात का हर्ष है कि 1981–82 का वर्ष हमारे प्रदेश में संक्रामक रोगों से विमुक्ति का वर्ष था। 1980–81 में जब बाढ़ इस प्रदेश में आई और जब लगभग उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के समस्त जनपद उसमें डूब गये थे, श्रीमन्, और जब बाढ़ की वजह से कुओं का जल अशुद्ध हो चुका था तो मान्यवर, एक क्षेत्र को छोड़ कर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, सारा प्रदेश संक्रामक रोग से ग्रस्त था। और श्रीमन्, आजमगढ़ जनपद जहां पीलिया रोग था विगत दो वर्षों से 1978–79, 1979–80 और 1980–81 से उस पर हम नियंत्रण करने में सफल हुये।

श्रीमन्, सफल हुये जो हमारे जिन को लोग मजाक के अर्थ में लेते हैं, ग्राम स्वास्थ्य रक्षक हैं। कोई उनको बेयर–फूटेड डाक्टर कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं इस सदन में आश्वस्त कर चुका हूं कि अगर कोई ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक आला लगाये और अपने को डाक्टर बताये और डाक्टरी का कार्य करते रहे तो उस को उस कार्य से हटा देने का अधिकार शासन ने ले लिया है। हम हटा देंगे। वैसे श्रीमन्, वह चुना हुआ प्रतिनिधि है। गांव सभा उसको चुनती है और उस व्यक्ति के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि अगर एक हजार की आबादी गांव की है तो एक स्वास्थ्य रक्षक, एक हजार से ऊपर की आबादी उस गांव की तो दो, अगर पांच हजार की आबादी है तो पांच, आबादी के ऊपर मानिये श्रीमन्, उसके कार्य क्षेत्र के अन्दर जो कुएं आते हैं उन कुओं के जल को स्वच्छ रखा जाय, उसकी जिम्मेदारी है। अपने कार्य क्षेत्र के अन्दर उसकी जिम्मेदारी है कि संक्रामक रोगों से रोक थाम के लिए छिड़काव करे और कराये और इसकी सूचना अपने निकटवर्ती जो केन्द्र है उसको दे। और उसकी यह भी जिम्मेदारी है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कोई संक्रामक रोग फैलता है और उसको अन्दाज लगता है तो उसकी सूचना अपने निकट के स्वास्थ्य केन्द्र को दे चाहे वह उपस्वास्थ्य केन्द्र, हो चाहे वह एडीशनल प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हो, चाहे वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो ताकि समय रहते और संक्रामक रोग अपनी विभिषिका ले, उसके पूर्व हम उस पर नियन्त्रण कर सकें। इसमें इनसे सहयोग मिला। जैसा मैंने अनुरोध किया यह वर्ष हमारे उत्तर

[श्री लोकपति--]

प्रदेश के लिए संक्रामक रोग से विमुक्ति का वर्ष था। इसमें एक बड़ा योगदान इन ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षकों का भी रहा।

अब आती हैं, मान्यवर, कुछ बीमारियां। सबसे पहला शत्रु हमारा मलेरिया है और मलेरिया फिर बढ़ रहा है। इस वर्ष, जो वर्ष चल रहा है, इसमें 1980-81 वर्ष के मुकाबले मलेरिया नियन्त्रण पर हमने 6 प्रतिशत की कमी करायी है। और जैसा कि माननीय सदस्यों ने इच्छा जाहिर की है, सब से प्रक्रिया अपनायी जा रही है। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव वर्ष में तीन बार किया जायगा। श्रीमन, वर्ष 1981-82 में तीन बार छिड़काव हुआ और 1982 83 के लिये हम मई से छिड़काव कार्य प्रारम्भ करने वाले हैं जिससे कि मलेरिया कन्ट्रोल हो सके। इसको कन्ट्रोल करने के लिए शासन ने इस वर्ष उत्तर प्रदेश के पांच नगरों में मलेरिया कन्ट्रोल इकाइयां स्थापित की हैं जो कि मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद और बदायूं में हैं। श्रीमन, फाइलेरिया के कन्ट्रोल के लिये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, खीरी, जालौन, हमीरपुर,, रायबरेली, बहराइच, बलिया, बस्ती और देवरिया जिलों में फाइलेरिया क्लीनिक स्थापित किये जा रहे हैं।

अब एक समस्या आती है हमारे देश के सामने और विशेष रूप से हमारे प्रदेश के सामने कि यहां पर बहुत से तीर्थ स्थान हैं और यहां पर दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं और कुछ बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है जैसे अनपरा का क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। वहां पर दोनों प्रदेशों से लोग आते हैं। वहां पर पजटिव मलेरिया के कुछ केसेज डिटेक्ट हुये। वहां पर मलेरिया का प्रकोप फैला। इस वर्ष इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और मुझे इस सदन को सूचित करते हुये हर्ष हो रहा है कि उस क्षेत्र में भी जहां निर्माण हो रहा है मलेरिया की स्थिति पर नियन्त्रण स्थापित हो गया है। उसके प्रति शासन चौकन्ना है और उसका मुकाबला करने के लिये कटिबद्ध है। अभी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से एक समाचार मिला था कि आंध्र प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप हुआ है। वहां पर उसको रोकथाम के लिये केन्द्रीय दल गया। हमारे प्रदेश में यह प्रकोप हो चुका है। दो बार हुआ है। एक बार हमें भी विदेश से सहायता लेनी पड़ी है परन्तु दूसरी बार प्रदेश के चिकित्सा अधिकारियों ने ही उस पर नियन्त्रण किया। इस वर्ष उसकी सम्भावना है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि यह हर तीसरे साल हो रहा है। इसलिये इस वर्ष मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप है। हम अभी से चौकन्ने हैं यह मोहन सिंह जी के क्षेत्र से ही शुरू होता है।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, स्वास्थ्य मन्त्री जी का स्वास्थ्य ठीक करा लें।

श्री लोकपति--

मेरा स्वास्थ्य ठीक है। ऐसा है कि आजकल दूध गड़बड़ मिलता है। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि उसकी तरफ शासन सचेत है और अभी से उसका प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि अंग्रेजी में एक कहावत है "निप इन दि बड"। उसके लिये प्रयास चल रहा है और सरकार उसके लिये कटिबद्ध है।

हमारे देश और प्रदेश में कुछ ऐसी चीजे हैं जो राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत आती हैं।

अंधापन, कुष्ठ रोग, क्षय रोग और परिवार कल्याण और श्रीमन् यह जितने रोग हैं इनका सम्बन्ध सिर्फ एक चीज से है और वह है परिवार कल्याण। अंधेपन की बीमारी बच्चे को तब होती है जब वह गर्भ में रहता है, हम सोचते हैं कि बड़ा हो गया था और देख रहा था लेकिन अंधा हो गया लेकिन उसकी शुरूआत जब बालक मां के पेट में होता है 6, 7 महीने का, जब वह रहता है तब से स्पंदन शुरू हो जाता है। जिन माताओं को यह दुर्भाग्य मिलता है कि वह जल्दी जल्दी माता होती हैं उसके रोकथाम के लिए गर्भावस्था में ही बालक या बालिका के अंधेपन की रोकथाम के लिए अंधापन निरोधक गोलियां दी जाय। वह संभवतः विटामिन डी है तो उसका वितरण होना चाहिए। इसके लिए ए0 एन0 एम0 सेन्टर हम बनाने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 5 हजार की आबादी पर हर गांव में एक पुरुष और एक महिला स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त करें और यह कार्यक्रम हम पहले बुंदेलखंड से प्रारम्भ करें। क्योंकि बुंदेलखंड के जिला झांसी के चार गांवों का सर्वे कराया गया और उन ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले चाहे सम्मिलित परिवार के हों या मध्यम वर्ग के या गरीब घर के उन घरों की कन्याओं की 11 से 13 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है और जिनकी शादी इस दौरान हो गयी जब वह 33 से 35 वर्ष की उम्र में आती हैं तो उनके 16 से 18 तक बच्चे हो जाते हैं। (व्यवधान) (श्री कुबेर भंडारी से) इसे मजाक मत समझिये। जब पितृविसर्जन आता है तो हम लोगों के यहां पितरों को तिल देते हैं तो कोई तिल नहीं देंगे। मजाक इसमें मत करिये यह सोचने की चीज है, गम्भीरता से लेने की चीज है। यह इस देश के जीवन-मरण का प्रश्न है। तो मैं कह रहा था कि इसमें से 12 से 16 तक बच्चे मर जाते हैं और चार जीवित रहते हैं। तो जिन माताओं के 16, 17 साल में 18 तक बच्चे हो जांय तो उन माताओं की क्या स्थिति होगी और उस संतान की क्या स्थिति होगी चाहे वह जीवित क्यों न हो। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उस स्तर पर मां को जो बीमारी होती है और गर्भावस्था में बच्चे को जो बीमारी होती है उनको वह गोलियां दी जायं चाहे वह विटामिन की हों या चिकित्सक जो सोचते हैं उन माताओं को दी जायं।

यही स्थिति क्षय रोग की है। उत्तर प्रदेश में क्षय रोग बढ़ रहा है या नहीं यह एक प्रश्न है। अभी हमारे सम्मानित सदस्य ने बांदा के एक गांव के बारे में प्रश्न किया था कि उस गांव की सम्पूर्ण जनसंख्या क्षय रोग से पीड़ित है। तो उसकी जांच करायी गई। गांव की पूरी जनसंख्या क्षय रोग से पीड़ित नहीं थी। उस गांव के 5, 6 या 8 आदमी क्षय रोग से पीड़ित थे इसकी जानकारी उनको नहीं मिली तो उनके सम्पर्क से और लोगों को भी हो सकता है। लेकिन वर्तमान में चिकित्सकों का यह ख्याल है कि अगर कुछ पाबन्दियां अपनाई जायं तो क्षय रोग का मरीज परिवार में रह सकता है बशर्ते कि वह कुछ पाबन्दियां अपनाये और वह स्वच्छता से सम्बन्धित है। और वह पाबन्दियां हमारे प्रदेश में अभी नहीं हो पाई और क्षय राग गर्भावस्था में स्थित बालक के भी हो जाता है और वह इसलिए होता है कि

[श्री लोकपति—]

जो यहां शीघ्र प्रजनन की व्यवस्था हो गई है। मां अगर क्षय रोगी है तो उसके गर्भ में पलता बालक भी क्षय रोग से ग्रसित हो सकता है। इसकी सम्भावना है और अगर गर्भ में ग्रसित न हुआ तो वह उत्पन्न होने के बाद उस मां के सम्पर्क में रहने से, बाद में क्षय रोग से ग्रसित हो जाता है। हमारे समाज में इसकी बहुत बड़ी विभीषिका उभर रही है। इसके लिए क्षय रोग की रोकथाम और उसके निराकरण के दो कदम हैं। पहला उसकी बढ़ोत्तरी रोकना है, यह कैसे करना है, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसका सम्बन्ध हमारे प्रदेश की आने वाली भावी सन्तति से है और इसके लिए जो आवश्यक है, उसके लिए शासन आवश्यक कदम उठा रहा है। लेकिन अकेले शासन उसका दायित्व नहीं निभा सकता है।

ऐसे ही कुष्ठ की बीमारी का प्रश्न है। उसका प्रचार-प्रसार हो रहा है। यह कुष्ठ की बीमारी सम्पर्क से नहीं होती है, ऐसा चिकित्सकों का ख्याल है और यह सही है, लेकिन वह यह भी कहते हैं कि बराबर सम्पर्क रखने से कुष्ठ की बीमारी लग सकती है। अब सवाल है कि बराबर सम्पर्क कैसे दूर हो। अगर कोई 6 माह का बच्चा किसी कुष्ठ रोगी के है तो वह उससे कैसे हट सकेगा। इस प्रक्रिया से रोगों का प्रसार होता है और हमारे प्रदेश की कार्यक्षमता और अकर्मण्यता इससे प्रभावित होती है। कार्यक्षमता ज्यादा गिरती है और आदमी अकर्मण्य ज्यादा बनता है। इस पर गम्भीर मंथन की आवश्यकता है, इसलिए चिकित्सा सुविधा की जो हम व्यवस्था कर रहे हैं, उसे मैं इस सदन के सम्मुख रख देना चाहता हूं। क्षय, कुष्ठ व अन्धापन। इन तीनों को प्राइमरी हेल्थ सेन्टर से लेकर किया जाएगा। हमारे बहुधन्धी स्वास्थ्य विभाग में बहुत से संवर्ग हैं और उसके बहुत से ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता हैं भिन्न भिन्न हैं, कोई कहता है कि मैं चेचक से सम्बन्धित हूं, कोई कहता है मैं इससे सम्बन्धित हूं और कोई कहता है कि मैं उससे सम्बन्धित हूं। आवश्यकता इस बात की है कि इन सबको समायोजित किया जाए और उसमें इस बात को देखा जा रहा है कि किसी भी कर्मचारी की सीनियारिटी-जूनियारिटी का मामला गड़बड़ न हो। जिस दिन जिसको नियुक्ति पत्र मिला है और जिस दिन से जिसने नौकरी शुरू की है, उसी दिन से उसकी सीनियारिटी मानी जाए। यह शासन का निर्णय हो चुका है। इससे किसी को परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई परेशान होगा तो ऐसे कार्यकर्ता को रखने से प्रदेश का या जनता का कोई लाभ नहीं है, यह निश्चित बात है। यदि कोई स्वास्थ्य विभाग का कार्यकर्ता है और ग्रामीण क्षेत्र है, तो उनको इस बात का सर्वे करना है कि बहुधन्धी कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत उनका क्षेत्र 5 हजार की आबादी का बनाया जाए, उसमें यह देखा जाए कि उसमें कितने व्यक्ति क्षय से पीड़ित हैं, कितने व्यक्ति अन्धेपन से पीड़ित हैं और कितने व्यक्ति कुष्ठ से पीड़ित हैं। और यह सब कार्य उनको करना पड़ेगा। यह सामाजिक और देश हित का कार्य है और इसलिए देश का जनमानस उनको पोषण देता है....।

एक सदस्य—

उनकी ट्रेनिंग भी होगी ?

श्री लोकपति--

जो हां होगी और यह कार्य चल रहा है। उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और इसको हमने इस व्यवस्था में लागू करने का निर्णय कर रखा है ताकि हमें जानकारी हो सके कि आज प्रदेश में किस प्रकार के मरीज हैं और इसी तहत में जो गर्भावस्था में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे पोलियो और टिटनेस आदि उनकी भी रोकथाम उनको गोलियां देकर या सुइयां लगाकर की जायेगी। शासन ने यह भी तय किया है कि 7 वर्ष की आयु वाले बच्चों को कम्पलसरी बी0 सी0 जी0 के टीके लगाये जायं, यह भी उनका दायित्व रखा गया है क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, उन पर राष्ट्र का भविष्य और प्रगति निर्भर करती है। इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे ताकि हम इन बीमारियों को दूर कर सकें।

इसी के साथ हमारे मेडिकल कालेजेज का प्रश्न भी आता है और नयी-नयी जो टेक्नोलाजी डेवलप हुयी है, उनके बारे में पिछले वर्ष सदन को अवगत कराया था कि आगरा में हम मुख्य विज्ञान के केन्द्र स्थापित कर रहे हैं। इस वर्ष मेरठ में कैन्सर के उपचार के लिए मेडिकल कालेज में व्यवस्था कर रहे हैं। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर और झांसी में इस वर्ष कोबाल्ट यूनिट भी दिला दिये जायं। इलाहाबाद में कमला नेहरू हास्पिटल में पहले से ही कोबाल्ट सिस्टम है। उसे हम इलाहाबाद के मेडिकल कालेज से सम्बद्ध कर रहे हैं और जो वहां पर कमियां हैं उनको भी दूर करने का प्राविधान करने जा रहे हैं।

इसी प्रकार से गोरखपुर में हनुमान प्रसाद अस्पताल है। इस साल उसको भी हम मेडिकल कालेज से जोड़ रहे हैं। अगर धन की कमी होगी तो उसे भी पूरा करके हम उसे चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बड़ी ही एलार्मिंग स्थिति हो गयी है। इसी प्रकार से काशी हिन्दु विश्वविद्यालय में कोबाल्ट प्लान्ट है। वहां के हेड आफ दि डिपार्टमेंट ने बताया कि उनके यहां पर जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी संख्या 40 हजार है। वे कहते हैं कि वे इतने व्यक्तियों का इलाज नहीं कर सकते हैं। अतः सरकार गोरखपुर और इलाहाबाद के मेडिकल कालेजेज को तैयार करे क्योंकि उनकी क्षमता के बाहर है। यह भी कैन्सर के रोग का निदान है। इस रोग के कारणों की जानकारी के लिए बड़े-बड़े देश प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भी इस दिशा में प्रयास करना है। इसलिए हम इस प्रयास में हैं कि कानपुर में जो कैन्सर रिसर्च इन्स्टीट्यूट है, उसको कुछ और सुदृढ़ करें ताकि वे भी कुछ रिसर्च का कार्य कर सकें।

इस वर्ष गोरखपुर और झांसी मेडिकल कालेजों में हम इन्टेन्सिव यूनिट्स दे रहे हैं। इनके अतिरिक्त 7 और इन्टेन्सिव यूनिट्स हम उत्तर प्रदेश में डिवीजन हेड क्वार्टर्स पर देने जा रहे हैं जहां पर अभी तक लग नहीं है। जो यूनिट्स भविष्य में स्थापित होंगे वे वातानुकूलित कमरों में होंगे।

[श्री लोकपति--]

कानपुर मेडिकल कालेज में 50 शैयाओं का एमरजेन्सी सेक्शन बनाने जा रहे हैं। इसकी मांग कानपुर में बहुत थी। वहां पर अगर कोई एक्सीडेन्ट का केस हो जाता था तो उसको लखनऊ में लाना पड़ता था। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उसकी चिकित्सा कानपुर मेडिकल कालेज में ही करा दें। झांसी मेडिकल कालेज में डायलीसेज की व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं।

मान्यवर, यह सब समस्यायें हैं जिनका निराकरण इस आदरणीय सदन के आशीर्वाद से हम करना चाहते हैं। कोई कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता यदि हम यह समझ लें कि जो विरोध पक्ष में बैठे हैं उनका काम केवल विरोध करना ही है। हमारे शरीर में जितने रोग हैं उतनी ही प्रकार की बीमारियां हैं और उनका इलाज करना ही नहीं है, उनकी रोकथाम भी करना है। इस सबके लिये यह भी आवश्यक है कि स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों। इसके लिये शासन ने यह निर्णय लिया है कि विकास खंड स्तर पर जो हमारे सेनीटरी इन्सपेक्टर्स हैं उनको अब खाद्य निदेशालय के अन्तर्गत ट्रान्सफर कर दिया है और यह करीब 900 के, ट्रेन्ड लोग हैं जो इस कार्य को देखेंगे और मिलावट को पकड़ेंगे। स्वच्छता निवारण से सम्बन्धित कार्य को हेल्थ, इन्सपेक्टर्स जो हमारे हैं वे करेंगे। जो माननीय सदस्य मेलों में गये होंगे, उनको पता होगा कि हल्दी, जीरा, सुपारी आदि में मिलावट लोग करते हैं। हर चीज में मिलावट चल रही है। उसको रोकने के लिये हम प्रयास कर रहे हैं। हर जिले में एक खाद्य निरीक्षक और डिवीजनल लेविल पर एक इन्सपेक्टर अलग हम रख रहे हैं। यह दवाइयों में मिलावट को रोकने का काम करेंगे, जो मिलावट होती है उसकी जांच करेंगे। इसके अलावा हम 1982-83 में उत्तर प्रदेश में एक खाद्य निदेशालय सचल सेवा भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं जो आवश्यकता पड़ने पर जगह जगह छापा मार सकेगा और मिलावट को पकड़ सकेगा। इस मिलावट के कारण भी बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसके बाद भी भगवान की कृपा है कि हमारी औसत आयु बढ़ रही है।

अब मैं भारतीय चिकित्सा पद्धति के विषय में कुछ बतलाना चाहता हूं। इसी सदन ने इस सम्बन्ध में एक विधेयक भी अभी पास किया है। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। जब हम गुलाम हुये तो इस ओर कार्य कुछ रुक गया। इसमें कोई अधिक शोध नहीं हुआ। फिर भी सारा कुछ हमारे ग्रन्थों में भरा हुआ है, उसको प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है। अभी मध्य प्रदेश के एक आयुर्वेदाचार्य ने एक थर्ड स्टेज के कैन्सर के मरीज को ठीक किया है और ऐसे ही मलेरिया, मच्छरों को मारने के लिए आज कुछ रसायन का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में यह रसायन है जिसकी मदद से मच्छरों को रोका जा सकता है। मैंने आयुर्वेद विभाग से अनुरोध किया है कि इस पर प्रयोग करें और दवा तैयार करें, जिसके धुयें से मच्छरों को रोका जा सकता है। कुछ अंश तक हमारे खून में मलेरिया का असर आ रहा है, तो यह दवा उसके रोक-थाम के लिए अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसमें इम्युनिटी का प्रश्न नहीं उठता, उस पर रिसर्च की बात है।

श्रीमन्, जो हमारे आयुर्वेदिक और यूनानी कालेज हैं, श्रीमन् इस इस वर्ष में उन आयुर्वेदिक-यूनानी कालेजों का शुद्धीकरण का प्रस्ताव है कि उनको पहले चरण में प्रदेशीय स्तर पर लाया जाय,

जो हमारा आयुर्वेद कालेज लखनऊ में है और द्वितीय चरण में उनको भारतीय स्तर पर लाया जाय। यह श्रीमन्, हमने निर्णय लिया है कि जो जड़ी-बूटियों की जो हमारे यहां बरबादी की जा रही है, उनको हिफाजत के लिए और उनके प्रसार के लिए एक चमोली में और एक बांदा के कालेज में दो औषधि निर्माणशालाओं की शाखा इस वर्ष की जा रही हैं। उनका हम सही-सही उपयोग कर सकेंगे और दूसरा श्रीमन्, आयुर्वेद शिक्षा में जो हमारे पाठ्यक्रम हैं उसमें भी हम कुछ विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं और उसमें हमने यह विचार किया है कि कुछ एलोपैथिक चिकित्सालयों को आयुर्वेद विभाग से सम्बद्ध कर दिये जायं ताकि उनके यहां, उनके ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त बेड संख्या उनको मिल सके। ग्रामीण अंचलों में 120 आयुर्वेदिक-यूनानी चिकित्सालय हमने स्थापित किये हैं और नगरीय क्षेत्रों में उप नगरीय क्षेत्रों में और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़े ग्राम हैं, वहां इस पर 15 चिकित्सालय, 15 शैय्यायें आयुर्वेद की स्थापित की जाएंगी। जो पिछले वर्ष दो थीं, हमने इस वर्ष 15 की हैं। इनके प्रसार से हमको लाभ होगा कि हमारे आयुर्वेद के छात्र स्नातक उन ग्रामीण क्षेत्रों में उन चिकित्सालयों में जाकर शोध भी कर सकेंगे और प्रचार भी कर सकेंगे और श्रीमन्, इसी के संदर्भ में लखनऊ में भारत सरकार की सहायता से एक आयुर्वेद का अनुसंधान केन्द्र स्थापित हो गया है और 82-83 के यूनानी अनुसंधान केन्द्र लखनऊ में स्थापित होगा। भारत सरकार के सहयोग से मान्यवर, अर्द्ध कुम्भ का मेला लगा और उसमें आयुर्वेद और यूनानी की इकाई वहां पर स्थापित हुई जिसमें एक अस्पताल और 9 डिस्पेंसरीज की स्थापना वहां पर की गयी। जिनमें 71 हजार व्यक्ति उपचार हेतु आये। इससे लगता है कि होम्योपैथी की तरफ हमारे देश में आस्था है विश्वास है। 76 हजार एलोपैथी में आये, 77 हजार आयुर्वेदिक में आये।

जैसा सदन को मालूम है होम्योपैथिक कालेजों का प्रान्तीयकरण हो रहा। 15 कालेजों में से 9 का समायोजन कर लिया गया लिया गया है। एक विद्यालय इलाहाबाद का नहीं हो सकता। जिस समय यह समायोजन हो रहा था वह विद्यालय कुछ कारण से हम उसका कार्यवाही नहीं कर सके। वह चाहते हैं कि उसका भी समायोजन कर लिया जाय। शासन इस विषय को देख रहा है कि यह समायोजन किया जाय किस प्रकार से किया जाय क्योंकि उसकी अवधि बीत चुकी है। एक नेशनल होम्योपैथिक कालेज के भवन के निर्माण की लखनऊ में व्यवस्था की जा रही है क्योंकि अभी तक यह किराये के भवन में चल रहा है। इसके पास खुद की बिल्डिंग नहीं है। जो हम 9 कालेज लिये हैं इन नौ कालेजों में सही रूप से और सभी उपकरण उपलब्ध कराकर शिक्षा हम दे सकें इसके लिये इस बजट में धन की व्यवस्था की गई है। पहली बार सी0 पी0 एम0 टी0 के माध्यम से कालेजों में आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथी में भर्ती शुरू की गई है और यह व्यवस्था चलती रहेगी।

अब प्रश्न उठता है कि यह सब बातें तो हो रही हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर उपलब्ध नहीं है। मुझे दुख है कि 1980-81 के समय में हमने कहा कि चिकित्सक उपलब्ध करायेंगे। मैं इसके लिये क्षमा चाहता हूं सदन से कि मुझे पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी थी। सूचना मिलने में विलम्ब हुआ। आज चिकित्सा विभाग में एलोपैथिक चिकित्सक की एक हजार 6 सौ पुरुष चिकित्सकों की कमी है, 4 हजार 438 महिला चिकित्सकों की कमी है। पर्वतीय क्षेत्रों में 245 पुरुष चिकित्सक की कमी है और 30 दन्त चिकित्सक की कमी है। पिछले

[श्री लोकपति--]

साल 5 खुले थे इस साल 17 और खोलने जा रही हैं। अब उनका समायोजन भी कर लिया गया है। हमने अनुरोध किया है विभाग से कि वह इलाहाबाद जाय और पब्लिक सर्विस कमीशन से अनुरोध करें लि लखनऊ में एक स्वास्थ्य सर्विस कमीशन खोल दे ताकि चिकित्सकों की भरती कर सके। 23 सौ की कमी आज है, अक्तूबर में और बढ़ जायेगी, लोग रिटायर होंगे। 100 आपकी कन्ट्रीब्यूटरी स्कीम में खुलेंगे। 25 एलोपैथिक, 150 एडीशनल पी0 एच0 सी0 खोलने जा रहे हैं इसमें यूनानी और एलोपैथी भी हैं। लेकिन जो कमी आज 23 सौ की है वह मार्च के अन्त तक 24 और 25 सौ की हो जायेगी। इसी प्रकार की कमी आयुर्वेदिक में भी है। लेकिन उनके आंकड़े अभी मेरे पास नहीं आ पाये हैं। मैंने उनसे कहा है कि वह आंकड़े शीघ्र उपलब्ध करायें ताकि इनको भी शार्ट सर्विस कमीशन में उनको दे सकें।

अब लखनऊ में एक बहुत बड़ा कालेज किंग जार्ज मेडिकल कालेज है जिसका अधिग्रहण शासन ने कर लिया है। लेकिन विधेयक अभी इस सदन के सम्मुख नहीं रखा जा सका किन्तु विधान परिषद् में प्रवर समिति के सामने रखा गया है, उसके जब सुझाव आ जायेंगे तो यहां उसके बाद रखूंगा। मान्यवर, किंग जार्ज मेडिकल कालेज में बजट बढ़ा दिया गया है। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था करा दिया है। वर्ष 1981-82 में बजट के अलावा उनको 22 लाख रुपये और प्राविधान किया गया है, कार्यक्रमों को पूरा करने, बाउन्डरी वाल और सेनीटेशन ठीक कराने के लिये, बिजली की फिटिंग और पाइप लाइन को ठीक कराने के लिये यह रुपया दिया है। मेडिकल कालेज के और जो विभाग हैं उनके सुदृढ़ीकरण के लिये इस वर्ष प्राविधान कर रहे हैं। किंग जार्ज मेडिकल कालेज में ओपेन हार्ट सर्जरी प्रारम्भ कर दिया है और कानपुर में भी ओपेन हार्ट सर्जरी होने लगी है, जब कि इसके पहले इसके लिये विदेश जाना पड़ता था।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कमी, जिसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं, अब हम इस स्थिति में हैं कि सदन में घोषित कर सकें कि हमारा प्रयास यह है कि वर्ष 1983-84 में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में पहला बैच उन बच्चों का जाय, जो एम0 एस0 और एम0 डी0, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। लखनऊ-वाराणसी मार्ग पर जो लखनऊ से 10 किलोमीटर दूर है, वहां 600 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जा रही है और वर्ष 1981-82 में 2 करोड़ रुपये और 82-83 में 2 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। इस सम्बन्ध में मान्यवर, एक एडवाइजरी मीटिंग भी हो गयी है जिसमें सब कमेटीज बन गयी हैं चिकित्सकों की। कारडियोलोजी, न्यूरोलोजी आदि-आदि, जिनके नाम मैं नहीं जानता हूं, के उपकरण प्रथम चरण में आयेंगे और 250 शैय्या का चिकित्सालय वहां प्रथम चरण में बनेगा और आवास की भी व्यवस्था होगी।

मान्यवर, एक चीज मैं बताने से भूल गया था वह यह है कि वर्तमान में शासन ने निर्णय लिया है कि जो भी नये चिकित्सालयों का निर्माण हो रहा है, चाहे पी0 एच0 सी0, उच्चीकरण अस्पताल का हो और चाहे जिला अस्पताल के चिकित्सालय का निर्माण हो रहा हो, उनमें चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिये आवास की व्यवस्था की जा रही है। इसलिये यह संजय गांधी इंस्टीट्यूट प्रारम्भ होने की स्टेज में आ गया है।

मान्यवर, अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि आगरा मेडिकल कालेज आगरा नगर के अन्दर स्थित है और अब जिस जगह स्थित रहा वहां पर चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा की दृष्टि से और पढ़ने वालों की दृष्टि से अब वह स्थान उपयुक्त नहीं है । शासन ने यह निर्णय लिया कि आगरा में नये मेडिकल कालेज के भवन का निर्माण कराया जाय और इसके लिये इस वर्ष 1982-83 में टोकेन रूप में 1 लाख रुपया भूमि अर्जन के लिये हमने रखा है और इस वर्ष भूमि अर्जन कर निर्माण का कार्य हम प्रारम्भ कर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध करता हूं कि इस पर अपने सुझावों के साथ स्वीकृति प्रदान करें ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग(चिकित्सा)सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

[इस समय 2 बजकर 11 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।]

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आज सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग का बजट प्रस्तुत करके माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने शासन को स्वस्थ बनने को मौका दिया है । लेकिन शासन ने स्वास्थ्य विभाग को अस्वस्थ बना दिया है । मान्यवर, प्रदेश की 11 करोड़ से ज्यादा आबादी है । इस पूरी आबादी को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने, स्वस्थ जीवन की गारन्टी देने का राज्य सरकार का दायित्व है । आप देखें कुल बजट 3,336 करोड़ रुपये का होता है इसमें से स्वास्थ्य विभाग का बजट 139 करोड़ रुपये का बैठता है । 11 करोड़ आबादी के ऊपर अगर हम इस बजट को वितरित करें तो शायद 12 रुपये के करीब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पड़ेगा । 12 रुपये एक व्यक्ति पर प्रति वर्ष खर्च करके पूरी आबादी को स्वस्थ बनाने की गारन्टी देना यह सिर्फ माननीय त्रिपाठी जी कर सकते हैं दूसरा नहीं कर सकता । जिस तरह से माननीय त्रिपाठी जी ने अपने लम्बे चौड़े भाषण में इस सदन में, मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि, गुमराह करने का प्रयास किया है ।

दूसरा मन्त्री शायद हो सोचता । मान्यवर, चिकित्सा सुविधायें गांवों की ओर मोड़ी जायं इस पर माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने शुरुआत की । चिकित्सा सुविधायें ग्रामोन्मुखी

[श्री राम आसरे वर्मा—]

बनाने पर बड़ा जोर दिया, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य जिसका सम्बन्ध सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से होता है और जो स्वास्थ्य समीक्षा माननीय मन्त्री जी ने माननीय सदस्यों के बीच में वितरित करायी है उसमें भी जिन मदों को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जोड़ा है अगर सबको मिल कर देखें तो हम पायेंगे कि उन्होंने मुंह से तो चिकित्सा सुविधाओं को गांवों की ओर मोड़ने की बात की है लेकिन बजट और अपने व्यवहार से गांवों से दूर हटने की कोशिश की है ।

स्वास्थ्य समीक्षा के पहले ही पृष्ठ पर माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने अपनी कथनी और करनी में फर्क को दिखला दिया । बजट प्राविधान 230—चिकित्सा, इसमें 1982-83 में योजनेत्तर 8,157.24 लाख रु० और अयोजनागत में दिया है, 1,770.16 लाख रु० यह तो किया है चिकित्सा के क्षेत्र में और सार्वजनिक स्वास्थ्य में, जिसका सम्बन्ध ग्रामीण क्षेत्रों से है, उसकी तरफ सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनेत्तर में 2,008.54 लाख रु० और योजनागत में 1,375.51 लाख रु० दिया है । एक चीज इनके हाथ में थी कम से कम योजनागत मद के अन्दर इस फर्क को पाट सकते थे । बात तो गांव की करते रहे लेकिन जो बजट में इन्होंने प्राविधान किया उससे यह लगता है कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क है ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य से ही सम्बन्धित अभी माननीय मन्त्री जी ने यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का जिक्र किया था और यह कहा था कि उनका उपयोग बड़ा महत्वपूर्ण है । प्रदेश में इन कार्यकर्ताओं का जाल जैसा फैला हुआ है । मैं एक बार चुनौती के साथ कहता हूं कि प्रदेश में किसी भी विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मकर्ताओं को, जिन सुविधाओं का जिक्र उन्होंने यहां किया है 50 रु० प्रति माह और 50 रु० प्रति माह की औषधियां दी जायेगी, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी नहीं कह सकते हैं कि एक भी पी० एच० सी० के अन्तर्गत यह चीजें उन्हें उपलब्ध हैं । आज इस सदन के सामने माननीय मन्त्री जी ने कह दिया लेकिन व्यावहारिक क्षेत्र में जाकर देखने की उन्होंने कोशिश नहीं की अन्यथा यहां पर शायद इस प्रकार की बात नहीं करते । मैं चुनौती के तौर पर किसी भी पी० एच० सी० को उनके सामने रखने को तैयार हूं ।

उप केन्द्र खोलने की बात कही । अभी तक 10,000 पर एक उपकेन्द्र था लेकिन इन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन को खुश करने के लिये 1982-83 में योजना बना दी है 5,000 पर एक उपकेन्द्र होगा । 1,000 पर एक केन्द्र का दृश्य मन्त्री जी ने नहीं देखा । 7,000 उपकेन्द्र हमारे प्रदेश में कार्यरत हैं और 5,000 पर एक के हिसाब से अब 14,000 उपकेन्द्र हो जायेंगे । बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है जब आज से 30 साल पहले का जिक्र हम करते हैं । उस समय 200 उप केन्द्र थे । उन 200 उप केन्द्रों के प्रशासनिक कार्यों की देख-रेख के लिये जितनी क्षमता का प्रशासन नियुक्त किया गया था, वही प्रशासन उतनी ही क्षमता का रहा 7,000 पर और आज तब 14,000 उपकेन्द्र खोलने की योजना है तो भी वही 200 उपकेन्द्रों का प्रशासन सम्भालने वाले अधिकारी और कर्मचारी 14,000 उपकेन्द्रों का प्रशासन सम्भालेंगे । 30 साल पहले जो प्रशासन तंत्र बनाया गया इन उपकेन्द्रों को देखने के लिये, 14,000 उपकेन्द्रों का प्रशासन सम्भाल पायगा या नहीं, यह सोचने की बात है ।

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बात का भी जिक्र नहीं किया । इन उपकेन्द्रों पर जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि एक पुरुष कार्यकर्ता

होगा और एक महिला कार्यकर्त्ता होगी। कार्यकर्त्ता तो होंगे लेकिन इन उपकेन्द्रों पर और कितना सामान होगा जिससे कि वहां के लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो। मान्यवर, इस बात का मंत्री जी ने कोई जिक्र नहीं किया। मैं समझता हूं कि जैसे आज तमाम अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, अस्पताल डाक्टर के बिना पड़े हुए हैं, दवाइयों के बिना पड़े हुए हैं वैसे ही कागजों पर केवल नक्शा बना कर देहातों में खोल जैसा खड़ा कर देने की मंशा माननीय मंत्री जी की है।

इसी सदन में गत वर्ष माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में एक घोषणा की थी। मैंने उनके सामने एक सुझाव रखा था कि प्रदेश का ड्रग कन्ट्रोल आर्गेनाइजेशन यदि सुदृढ़ नहीं होता तो जनता के खून पसीने की कमाई बरबाद हो जायेगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि "मैं एक बात को मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में ड्रग कन्ट्रोल का जो विभाग है या कहा जाय कि विभाग है ही नहीं उसके पुनर्गठन होने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश से दवाइयां तो जा ही रही हैं। उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से नागरिक क्षेत्र जो हैं वहां पर दवाइयों का वितरण तो बहुत ही खराब है। मैं श्री वर्मा जी का सुझाव मानता हूं पर कार्यान्वियन में नौकरशाही की वजह से आशंका सब विवादास्पद है।"

मान्यवर, नौकरशाही के कारण हमारे मंत्री जी उस कमी को दूर करने के लिये जो कि ड्रग कन्ट्रोल के रूप में है, एक नौकरशाही को बैठा दिया। अब मान्यवर, आप स्वयं ध्यान दें और इस बात को देखें कि जिस आदमी को फार्मस्युटिकल साइंस का ज्ञान नहीं है तो क्या वह ड्रग कन्ट्रोल को सम्भाल पायेगा?

मान्यवर, कहीं पर तो आई० ए० एस० आफिसर हावी होते हैं लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के जमाने में आई० ए० एस० की बीबियां हावी हो रही हैं। कानपुर में एक डाक्टर है वह आई० ए० एस० की बीबी है। वह हमेशा यह कहती है कि जानते नहीं हो मैं आई० ए० एस० की बीबी हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी के राज्य में थोपे जाते हैं नौकरशाह परन्तु रोब गालिब होता है नौकरशाहों की बीबियों का। मान्यवर, इसी सदन में माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में बहुत सी चीजें उगली थीं लेकिन जब बजट पेश किया यहां पर तो कोई भी जिक्र नहीं किया उन सब बातों का।

मेरे ही एक प्रश्न के उत्तर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि तहसील स्तर पर एक चीफ फार्मेसिस्ट के लिये शासन सहमत है लेकिन बजट में मान्यवर, उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। मान्यवर, दूसरी तरफ देखें कि 1974 में कानपुर में ग्लूकोज कान्ड हुआ। उस कहानी को आज तक लोग भूल नहीं पाये। अभी थोड़े दिन पहले ही यहां पर बलरामपुर अस्पताल में एक ग्लूकोज का हादसा हो गया। माननीय मंत्री जी का बयान आया कि जो मौतें हुईं उसके लिये कोई दोषी नहीं है।

[श्री राम आसरे वर्मा--]

अब अगर माननीय मंत्री जी से यह पूछा जाये कि कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि दोषी कोई नहीं है ग्लूकोज कान्ड में, जो बचा हुआ द्रव था बोतलों में उसका विश्लेषण कराया नहीं गया, लाशों का पोस्टमार्टम कराया नहीं गया लेकिन मंत्री जी ने निर्णय घोषित कर दिया कि कोई दोषी नहीं है। इस तरह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा ग्लूकोज कान्ड होता गया और शासन की तरफ से, इस तरह के हादसे न हों, कितनी ही बातें कही जाएं लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती।

चिकित्सालयों के बारे में, दवाइयों के बारे में, जो लूटी खसोटी की जा रही है, उसका भी जिक्र कर दूं। मंत्री जी 33 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। इसका 60 फीसदी तो निदेशालय स्तर पर और 40 फीसदी जिले स्तर पर खर्च किया जायगा। यद्यपि क्रय समितियां गठित की गई हैं लेकिन उनकी खरीद-फरोख्त में जो भी अनियमितता बरती जा रही है उनसे मंत्री जी भी वाकिफ हैं। यहां से एक लिस्ट जैसी बना दी गई, चाहे जिलों में रोग हो, न हो, लेकिन निदेशालय स्तर से वह जरूर भेज दी जायेगी और आप आश्चर्य करेंगे कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो सिर्फ महिलाओं के चिकित्सालयों के लिए ही कारगार हो सकती हैं लेकिन उन्हें पुरुष चिकित्सालयों में भी भेज दिया जाता है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

उनका नाम तो बता दीजिये।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, वाजपेयी जी को उनका नाम बता दूं वरना उनको चिन्ता हो जायेगी। एक तो आई० टी० पी० बजायतल्स होता है। फामेल हास्पिटल में जरूरत पड़ती है लेकिन निदेशालय स्तर पर खरीद ली जायेगी और सारे अस्पतालों में जायेगी। अभी सीतापुर का मामला सामने आया, सतर्कता विभाग गया, सारी दवाइयां बाहर बरामदे में पड़ी थीं। बस्ती का भी आया, वहां पर दवाइयां बरामदे में पड़ी पायी गयीं। जो दवाइयां भेज दी जाती हैं उनको खपा लेना चाहिए और जो खपा नहीं पाते हैं उनको बरामदे में फेंक दिया जाता है। यह वेस्टेज आफ मनी है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है। एक्सपाइरी डेट उनकी खतम नहीं हुई है लेकिन वह दवाइयां मनमाने ढंग से खरीद कर जिलों में भेजी गयीं जिसमें एक टैब्लेट्स है मान्यवर, सेना (टैब्लेट्स दिखाते हुए) और इसका असर यह होता है कि इससे दस्त आते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ मंत्री जी देख लें, उनकी देख-रेख में खरीदी जाने वाली दवाइयों का असर भी समाप्त हो गया और अगर मंत्री जी न मानें तो इसका इस्तेमाल कर लें अगर दस्त आ जायें तब तो ठीक वरना मान लें कि इसका असर समाप्त हो गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने इसका स्वयं तजुर्बा कर लिया है ?

(हंसी)

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी अपना निर्णय दे देंगे, उसके बाद मैं देखूंगा। इसी तरह से यह दवा है जो टेबलेट के रूप में है। इसको देखने से ही पता लग जाता है

कि सन् 83 में इसका समय एक्सपायर होना चाहिये लेकिन दवा बेकार है यहकह कर पैसे की बरबादी हो रही है।

हमारे यहां जो राज्य औषधि भंडार है वहां जो दवायें रखी जाती हैं उनके रखने के लिये जैसा उचित तापमान होना चाहिये वह उचित तापमान भी वहां नहीं रहता और जिन परिस्थितियों में वहां दवायें रखी जाती हैं उसकी वजह से वे थोड़े दिन बाद अपने आप ही खराब हो जाती हैं। इस तरह की चीजें सब सरकार की नाक के नीचे हो रही हैं। आपके सिविल अस्पताल में ही प्लास्टर आफ पेरिस के सैकड़ों ड्रम्स बरसात के दिनों में बाहर पड़े रहने की वजह से खराब हो गये। अब उनको यहां से कहीं बाहर अस्पतालों में भेजने का सोचा जा रहा है। वे जम कर पत्थर हो गये हैं। इन दवाओं का परचेजिंग और उचित वितरण के बारे में जब तक शासन कोई अच्छा तरीका नहीं निकालता तब तक इस पैसे का उपयोग जिस इस सदन द्वारा माननीय मंत्री जी स्वीकृत कराने जा रहे हैं, उचित ढंग से सम्भव नहीं हो पायेगा।

यहां पर हमारे प्रदेश में फार्मेसिस्टों का अभाव दिखाई देता है। माननीय मंत्री जी ने बड़ी विनम्रता के साथ बड़े अच्छे ढंग से इस हाउस में एलान किया था कि कानपुर में बी0 फार्मा के कोर्स चलाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिये 77–78 के बजट में प्राविधान भी किया गया था। उससे बाद माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आज तक उस व्यवस्था का कोई प्रारूप न तो बजट पेश होने के पहले सदन के सामने आया और न आज आया। मान्यवर, 1973 में प्राविंशियल मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के बारे में निर्णय लिया गया था। जिले के स्तर पर इस दिशा में कुछ काम हुआ लेकिन शासन की नाक के नीचे निदेशालय स्तर पर अगर देखा जाय तो आज तक उसकी सेवा शर्तें नहीं बनायी जा सकी हैं और न उनकी पारस्परिक ज्येठता के बारे में ही कोई निर्णय लिया जा सका है। अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं इस बात का एहसास करते होंगे कि नये नये उपकेन्द्रों की स्थापना के बारे में कितनी कठिनाई सामने आ रही है। मान्यवर, अभी थोड़ी देर पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर कह रहे थे कि प्रदेश में जो उपकेन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ायी जा रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन को खुश करने के लिये। मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी प्रदेश की जनता को खुश रखने का रास्ता अपनाना चाहते हैं। या विश्व स्वास्थ्य संगठन को खुश करने के लिये रास्ता अपनाना चाहते हैं। उपकेन्द्र एक बहुत ही अहम इकाई है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की, इसलिये मैंने इसको दोहराया।

आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा का मसला जब हमारे सामने आता है, खासकर आयुर्वेदिक चिकित्सा का मसला आने पर तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। इसलिये कि वह हमारे देश की धरती की देन है और आयुर्वेद जब दूसरे देशों में फले फूले और हमारे ही देश में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाय तो यह कोई अच्छी बात नहीं होती।

यद्यपि माननीय मन्त्री जी ने शोध संस्थान की बात, जड़ी बूटियों के केन्द्र बनाने की बातें कहीं, लेकिन मान्यवर, आयुर्वेदिक और यूनानी जगत में जिस तरह की चीजें देखने को यहां पर मिली हैं वह बड़ी शर्मनाक है।

अभी थोड़े दिन पहले आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों का एक चयन हुआ था और वह चयन कितने अनियमित ढंग से हुआ, जगह–जगह इसकी, मान्यवर, चर्चा हुई। रिटन टेस्ट होता है, रिजल्ट बाद में निकलता है, इन्टरव्यू लेटर पहले

[श्री राम आसरे वर्मा—]

चला जाता है। जब इन्टरव्यू लेटर पहले जारी किया गया, रिटन टेस्ट का नतीजा बाद में आया, इसका औचित्य तो या माननीय मंत्री जी समझते हैं या सम्बन्धित अधिकारी। एक सिलसिला चला। यहां हजरतगंज कोतवाली में एक रिपोर्ट लिखी गयी जिसमें एक जिम्मेदार अधिकारी ने यह कहा कि हमारे मकान के कैम्पस से सोने की तरह का यह कड़ा कोई डाल गया। सोने की तरह का कोई कड़ा। हकीकत इसके पीछे यह थी कि दस हजार रुपये की मांग हर उम्मीदवार से की जाती थी। एक गरीब अभ्यर्थी, जो रुपये की व्यवस्था नहीं कर सका था, अपनी मां के पास से सोने का कड़ा लेकर उस अधिकारी के घर दे आया। जब अधिकारी घर पहुंचा तो वह कड़ा उसके सामने पेश किया गया। सोने का कड़ा तो घर में रहा लेकिन उसकी तरह का कोई कड़ा हजरतगंज कोतवाली में पहुंच गया। इस तरह का तो वहां चला गया, असली सोना उस के घर में रह गया। यह भी मान्यवर, जो चयन की प्रक्रिया थी चिकित्साधिकारियों की, उसी की एक कड़ी है।

मान्यवर, इसी तरह अगर हम देखें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के पूरे जगत में चाहे दवाईयों की खरीद फरोख्त हो, चाहे सेवाओं में भर्ती किये जाने के लिए कर्मचारियों का सवाल हो, एक भ्रष्टाचार का अनियमितता का, बोल बाला है। यद्यपि मैं स्वास्थ्य मंत्री जी की सराहना भी करूंगा कि कुछ कदम उन्होंने साहसिक भी उठाये हैं। आयुर्वेदिक यूनानी कालेजों का प्रान्तीयकरण का कदम उनका साहसिक कदम है। लेकिन और भी साहसिक कदम होगा यदि प्रान्तीयकरण के बाद होने वाली प्रतिक्रिया से भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पहले से अवगत हो जाय और वह नौबत न आने पाये जो आज होम्योपैथिक कालेजों में प्रान्तीयकरण के बाद है। होम्योपैथी कालेजों का प्रान्तीयकरण कर दिया गया। पूरी सम्पत्ति, पूरा स्टाफ, ले लिया गया लेकिन उन कालेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों, काम करने वाले कर्मचारियों को जो तनख्वाह आदि का पैसा बकाया था, कुछ भी उनको नहीं मिला, तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो मान्यवर, जहां तक प्रान्तीयकरण की दिशा में एक कदम आपने उठाया है वह साहसिक कदम है, वह साहसिक काम आपने किया लेकिन और भी साहसिक काम होगा यदि आप इन प्रान्तीयकृत विद्यालयों को चाहे आयुर्वेदिक हो, यूनानी हों और चाहे होम्योपैथी कालेज हों, इनके शिक्षकों और कर्मचारियों को पिछले वेतन भुगतान की भी व्यवस्था कर दें।

मान्यवर, होम्योपैथी जगत पर मैं आना चाहूंगा। होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड यहां पर है और उसके रजिस्ट्रार के खिलाफ जब होम्योपैथिक छात्रों ने आन्दोलन शुरू किया तो रजिस्ट्रार की अनियमितताओं के खिलाफ उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज सुनी और बार-बार यह कहा भी गया कि दूसरे कौंसिलों की तरह जैसे इंडियन मेडिकल कौन्सिल है, होम्योपैथिक चिकित्सा कौन्सिल की स्थापना की जाय और बोर्ड को खत्म कर दिया जाय। मान्यवर, यदि कौंसिल की स्थापना की जाती है तो उससे यह जो एक भ्रष्ट और पुराने ढांचे का शिकार यह होमियोपैथी चिकित्सा बनी हुई है वह नव-निर्मित वातावरण में फलेगी-फूलेगी और उसको भी एक मौका मिलेगा। आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे तो आपने शोध संस्थान की बात कही, लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सा जिसके बारे में आपने स्वयं कहा है कि कुम्भ मेले में इस चिकित्सा पद्धति ने बहुत बड़ा सराहनीय काम किया है और दिन-प्रतिदिन यह चिकित्सा पद्धति लोकप्रिय होती जा रही है, इसके सिलसिले में कोई भी व्यवस्था शासन की ओर से नहीं की जा रही है और इसके बारे में कोई भी

संकेत मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं दिया है। इसका परिणाम यह होता है कि जर्मनी जैसी जगहों पर दूसरे तापमान में दूसरी जलवायु में बनी हुई होम्योपैथिक दवायें हमारे यहां आकर होम्योपैथिक जगत में भरी जा रही हैं।

मान्यवर, इसी तरह की समस्यायें होम्योपैथिक जगत में शिक्षकों के बारे में भी हैं। उनके प्रशिक्षण के बाद उनकी समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। छात्रों के इम्तिहान के बाद उनके शिक्षण की व्यवस्था अच्छे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा नहीं की जाती तो आज जिस संघर्ष के इतिहास से छात्रों ने होम्योपैथी को प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया है, उनके छात्रों का भविष्य अंधेरे में पड़ जायगा। मैं समझता हूं कि जहां उन्होंने अन्य चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने की बात कही है वहीं पर होम्योपैथी के शिक्षण की भी समुचित व्यवस्था की तरफ ध्यान देंगे। होम्योपैथिक छात्रों के सामने इसी प्रकार की कठिनाइयां उनके सामने आती हैं उनका जिक्र माननीय मंत्री जी ने नहीं किया।

मान्यवर, परिवार कल्याण के लिये जन्म दर घटाने का लक्ष्य शासन का है और इसी सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पिछली बार यह कहा था कि परिवार कल्याण कार्यक्रम एक सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रम सदैव ही समाजशास्त्रियों द्वारा चलाया जाना चाहिए। मेरी तरफ से इस सम्बन्ध में एक सुझाव भी गया था और मंत्री जी ने कहा था कि वह इसके लिये तैयार हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन सदन में पिछले साल दिया था उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की, उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई, उस बात को आज सदन के सामने बिल्कुल नहीं रखा। समाजशास्त्रियों द्वारा इस कार्यक्रम को चलाने के बारे में शासन के द्वारा क्या कदम उठाये गये, इस बात का जिक्र मंत्री जी ने नहीं किया। वह स्पष्ट होना चाहिए। मान्यवर, परिवार कल्याण के सिलसिले में बहुत सा पैसा बेकार जाता है। अभी एक नई स्कीम चली है लेपोस्कोपिक स्कीम, जो कि नसबन्दी का एक आसान तरीका है। इस कारण प्रदेश की महिलाओं में इसकी ओर ज्यादा आकर्षण है। इस स्कीम के द्वारा किसी को भी अस्पताल में या कैंप में भरती रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जगह-जगह पर लेप्रोस्कोपिक स्कीम कैंप लगाये जाते हैं और आपरेशन के बाद मरीज को अपने घर भेज दिया जाता है।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी ने इस स्कीम के अन्तर्गत जो बजट रखा है उसमें 20 रुपये की डाइट ऐसे पेशेन्ट के लिये प्रेस्क्राइब की है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है आज 20 रुपये की वह डाइट पेशेन्ट को नहीं मिलती है। डाइट मिलने तक वह पेशेंट घर चला जाता है लेकिन उसका पैसा निकाल लिया जाता है। इसी तरह से हर पी0 एच0 सी0 को दो हजार रुपये अनुस्थापना शिविरों का देते हैं उसका भी कोई यूज नहीं है। कागजों पर जमा खर्च दिखा दिया जाता है लेकिन जिस मकसद के लिये पैसा दिया जाता है वहां तक यह नहीं पहुंचता है।

[श्री राम आसरे वर्मा—]

मान्यवर, एक बात पुनः दोहराना चाहूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिसका कोई जिक्र नहीं किया। हमारे विधान सभा के सामने फार्मेसिस्ट हड़ताल कर रहे हैं और 20 तारीख से जनरल हड़ताल का निर्णय ले लिया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जानते हैं चाहे फार्मेसिस्ट हों या दूसरे वर्ग के लोग हों या चिकित्साधिकारी हों उनमें पदोन्नति के कम अवसर उपलब्ध हैं। नीचे के स्तर पर जो रूप केन्द्रों में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी जिंदगी बंधी हुई रह जाती है। जहां पदोन्नति के अवसर कम हों उनके बारे में सोचना चाहिये। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि कम से कम 50 फीसदी सेलेक्शन ग्रेड देने की घोषणा वह करें।

एक बात और कहूंगा. . .

श्री उपाध्यक्ष—

एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे सदस्य बोलना चाहते हैं उनका भी ख्याल रखें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा। ऐसा लगता है स्वास्थ्य विभाग माननीय त्रिपाठी जी के मंत्रित्व में पूरे शासन की नीतियों से अलग नीतियां अपनाता है चाहे वह स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो या दूसरी बातें हों। आप देखें यह जो स्वास्थ्य मीक्षा दी गयी है इसके पृष्ठ 45 पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का एक चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट में क, ख, ग, घ चार तरह की सेवाओं का जिक्र किया गया है। सरकारी नीति के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण है और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण है। समस्त सेवाओं के लिये है लेकिन अगर आप देखें इसमें 'क' जो उच्च सेवाओं से संबंधित है उसके लिए अनुसूचित जाति के लोग मंत्री जी की निगाह में कोई नहीं है। तो उसमें कोटा कितना हुआ है 0·63 परसेंट यानी एक परसेंट भी नहीं पहुंच पाये। इसी तरह 'घ' में देखें तो उसमें अनुसूचित जाति के लोगों का 29·84 प्रतिशत है और जनजाति का 9·29 प्रतिशत है। तो यह भी शासन की नीति के खिलाफ है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह देंगे कि किसी जमाने में सूटेबल आदमी नहीं उपलब्ध होते थे और आज उपयुक्त नहीं हैं। तो वह उपयुक्तता का आधार क्या है? इसी तरह से स्थानान्तरण का सवाल हो या दूसरे मसले हों इनका स्वास्थ्य विभाग अलग नीति अपनाये है एक अलग समानान्तर नीति अपनाये हुए हैं। इस प्रकार संविधान की पूरी अवहेलना हो रही है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पुनः दोहराना चाहूंगा कि जहां पर इस प्रकार की नीति अपनाई जा रही हो, और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म हो उस विभाग के लिए पहले तो बजट प्रस्तुत करने का ही अधिकार नहीं मिलना चाहिये था, लेकिन जब बजट अनुदान प्रस्तुत हो ही गया है तो उसे स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। और जो कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है मैं सदन के समस्त माननीय सदस्यों से अपेक्षा करूंगा कि वह इसका समर्थन करेंगे और मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को अस्वीकार करेंगे।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, जब किसी विभाग का बजट विधान सभा में प्रस्तुत होता है, और उस पर कटौती का प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसके पीछे मंशा एक ही होती है कि उस विभाग के संबंध में पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने रचनात्मक और उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करें, ताकि उनको शासन द्वारा लागू किया जा सके। इस सन्दर्भ में मैं आपसे निवेदन करूंगा, विधान सभा का एक सदस्य और एक चिकित्सक होने के नाते कि आप मुझे थोड़ा और अधिक समय दे दें ताकि मैं इस विभाग से सम्बन्धित अपने सारे सुझाव यहां दे सकूं। श्रीमन्, मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले एक शेर पढ़ना चाहूंगा :

देख ली तस्वीश तेरी वाह रे अन्धे हकीम,

इश्क के बीमार को नुस्खा लिखा सूजाक का।

श्री राम आसरे वर्मा--

यह तो शत प्रतिशत त्रिपाठी जी पर लागू होता है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

अब मैं यह सदन पर छोड़ता हूं कि वह इसे किस पर लागू मानता है।

श्री उपाध्यक्ष--

चलिये यह शेर त्रिपाठी जी पर नहीं चोट कर बैठो, आप पर कर ही बैठी।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

गत वर्ष सदन में जब स्वास्थ्य विभाग का बजट प्रस्तुत हुआ था, तो मैंने उस समय आगरा की एक समस्या की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि वहां का इमरजेंसी वार्ड जो है, वह बिल्कुल नरक सदृश्य है, वहां न तो शैय्याओं की व्यवस्था है, न दवाओं की और न अप्लाएन्सेस की। मैंने मंत्री जी से अनुरोध किया था कि वह मेडिकल कालेज, आगरा में एक इमरजेंसी विभाग का निर्माण करा दें, जिसमें सारी फैकलटीज की इमरजेंसी डील हो सके तो बहुत अच्छा होगा। मंत्री जी ने हमारे इस अनुरोध के संबंध में हमसे वायदा किया था कि हम एक नये मेडिकल कालेज की वहां स्थापना करेंगे और जब वह नया मेडिकल कालेज बन जायगा तो जो मौजूदा मेडिकल कालेज की बिल्डिंग है, उसमें, जिला अस्पताल स्थानान्तरित कर देंगे तथा जो जिला चिकित्सालय है उसमें एमरजेंसी विभाग खोल दिया जाएगा। उस आश्वासन के एक वर्ष बाद माननीय मंत्री जी ने यहां जो अपना बजट भाषण दिया, उसमें टोकेन ग्रान्ट के तौर पर आगरा मेडिकल कालेज के लिए एक लाख रुपये की ग्रांट मांगी गयी है। यहां एक कहावत चरितार्थ होती है--कोई बच्चा भूखा रो रहा है तो उसको झुनझुना दे दिया जाए ताकि वह चुप हो जाए। तो श्रीमन्, समस्या दूसरी थी, निदान दूसरा हुआ और वह भी कब होगा 20 साल में होगा, 30 साल में होगा, कुछ पता नहीं। मैं इस संबंध में मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास साधन सीमित हैं पैसा नहीं है तो आप सिर्फ इमरजेंसी विभाग का निर्माण करा दें। हमने इसके लिए जगह भी बताई थी कि वहां महात्मा गांधी मार्ग से

[डॉक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—]

लगा हुआ जो लेडी लायल अस्पताल है उसी में इसका निर्माण करा दें जिसमें एक्सरे की व्यवस्था हो, ई० सी० जी० और पैथोलाजी की व्यवस्था हो और जनरेटर्स की भी आवश्यकीय रूप से व्यवस्था हो, श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आगरा ही नहीं, आगरा के आसपास के मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ जिलों की जनता को काफी सुविधा हो जाएगी ।

अंग्रेजी में कहावत है कि 'कान्टेंट्स आर मोर इम्पार्टेन्ट दैन दी कन्टनर । श्रीमन्, इसी संदर्भ में, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंगलैंड की आर्थिक स्थिति अत्यन्त जर्जर हो गई थी, कितनी वहां पर तबाही हो गई थी, कितनी महंगाई हो गई थी । वहां उन्होंने एक "हैमर स्मिथ हौस्पिटल" और "पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल आफ लन्डन" की स्थापना की, "हटमेंट्स" के अन्दर । उन्होंने सारे उपकरण जो अत्याधुनिक व आवश्यक अमेरिका से आयात करके मंगा लिये थे और अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधायें वहां के नागरिकों को उपलब्ध करा दी । जब ब्रिटेन हटमट्स में हैमर स्मिथ हास्पिटल व पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल आफ लन्डन खोल सकता है और अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा वहां के नागरिकों को दे सकता है तो हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा धनराशि भवनों के निर्माण में लगायें । इसके बजाय यदि हम वह धनराशि यन्त्रों व उपकरणों एवं दवाओं की खरीद पर खर्च करेंगे तो हम प्रदेश की जनता की अधिक सेवा कर सकेंगे ।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में जो नागरिक हैं उनमें से 70—80 प्रतिशत लोग पेट की बीमारियों से त्रस्त रहते हैं, किसी को तेजाब और किसी को गैस के बनने को व अन्य रोगों की शिकायत रहती है । उनके निदान व उपचार के लिए एक उपकरण "औप्टिक फाइबर एन्डोस्कोप" जिसकी कीमत मुश्किल से एक लाख रुपये होती है वह हमारे मेडिकल कालेजेज में उपलब्ध नहीं होती है । यह यंत्र वह है जिससे बीमारी का निदान और चिकित्सा करने में मदद हो सकती है, लेकिन हमारे प्रदेश के किसी भी मेडिकल कालेज में नहीं है और न इस यंत्र की व्यवस्था आज तक की गई है ।

इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में काफी लोग सांस की बीमारी से, खांसी की बीमारी और फेफड़ों की बीमारी से त्रस्त हैं । इनके निदान व उपचार के लिए बहुत ही आवश्यक एवं अच्छे यंत्र हैं जिन्हें "गैस एनेलाइजर रैस्पिरेटर्स" कहते हैं । प्रत्येक की कीमत भी करीब डेढ़—दो लाख रुपये के लगभग है । अगर इन यंत्रों की व्यवस्था हमारे मेडिकल कालेजेज में नहीं होती है तो गरीब आदमियों को दिल्ली या चंडीगढ़ भागना पड़ता है । साधन सम्पन्न लोग तो इस खर्च को वहन कर सकते हैं लेकिन गरीब आदमी अपने मर्ज को ईश्वर के हवाले छोड़ देता है और घर चुपचाप बैठ जाता है । तो अगर यहां पर यन्त्रों एवं उपकरणों पर सरकार कुछ खर्च कर दें तो मैं आभारी होऊंगा आपका कि आपने मेरे कुछ सुझावों को लागू कर दिया ।

कुछ मस्तिष्क की बीमारियां होती हैं । उनके निदान व उपचार हेतु "इलैक्ट्रो एन्सेफैलोग्राम" और "इलैक्ट्रो मायोग्राम" उपकरणों की आवश्यकता होती है । इनकी भी कीमत 1 या 1 1/2 लाख रुपये होती है । यदि ये उपकरण हमारे मेडिकल कालेज के लिए खरीद लिए जायें तो मस्तिष्क की बहुत सी बीमारियों का निदान हो सकता है । अतः अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हर मेडिकल कालेज में इन सस्ते परन्तु अत्यन्त आवश्यक उपकरणों की

व्यवस्था करा दी जाय । यदि इनकी व्यवस्था नहीं की जाती है न तो हम गम्भीर रोगों से ग्रस्त लोगों का जीवन ही बचा सकते हैं और न हमारे जो बच्चे (छात्र) इन मेडिकल कालेजेज से पढ़ कर निकलेंगे उनका शिक्षा स्तर ऊंचा उठ सकेगा । हमारे माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि चिकित्सा शिक्षा का निदेशक स्वतन्त्र रूप से अलग बना दिया गया है । लेकिन जहां पर मेडिकल कालेजेज में उच्च शिक्षा दी जाती है उसके नियंत्रण और रख-रखाव के लिए एक बिल्कुल औसत दर्जे के पी० एम० एस० अधिकारी की नियुक्ति होती है जिसको अधिक अत्याधुनिक चिकित्सा शिक्षा का ज्ञान नहीं होता है । आज जो आपके चिकित्सा शिक्षा निदेशक हैं वह बहुत अनुभवी और अच्छे आदमी हैं लेकिन वह निकट भविष्य में रिटायर होने वाले हैं । मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में मेडिकल कालेजेज के लिए डायरेक्टोरेट में जो शिक्षा निदेशक बनावें, उनको चिकित्सा शिक्षा का पर्याप्त ज्ञान होना अति आवश्यक है । पिछले 30 सालों में श्रीमन्, चिकित्सा पद्धति कितनी एडवान्स कर गई है, पर उसके अनुसार इन्तजाम नहीं किया जा रहा है । उन चीजों की व्यवस्था करना चाहिये तथा शिक्षा निदेशक के पद पर किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति होनी चाहिये ।

एक बात मैं धनराशि के आवंटन के बारे में कहना चाहता हूं । लखनऊ के के० जी० एम० कालेज के लिए जितनी धनराशि आवंटित की जाती है, मैं समझता हूं कि उतनी धनराशि प्रदेश के अन्य 6 मेडिकल कालेजों के लिये आवंटित की गई धनराशि से कहीं ज्यादा है । इसमें बहुत ही पक्षपात होता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इसके लिए आप मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों व विशेषज्ञों का एक उच्चतर समिति बना दें जो आवंटन का कार्य किया करें ।

एक बात मैं आगरा मेडिकल कालेज के ब्लड बैंक के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे यहां आये दिन एनकाऊन्टर्स हुआ करते हैं और छविराम जैसे बड़े-बड़े डकैत पाये जाते हैं । अभी एक भयानक ट्रेन दुर्घटना भी हुई । हमारे यहां कोई उच्च स्तर के ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आगरा में एक रीजनल ब्लड बैंक की स्थापना हमारे यहाँ जरूर करवा दें । अभी ट्रेन दुर्घटना में जो ड्राइवर श्री बुद्धू लाल गम्भीर रूप से जख्मी हुआ था उसे 24 बोतल खून 24 घन्टे में दिया गया । आप पता लगवा लें श्रीमन्, कि पिछले 5 वर्षों में जितनी खून की बोतलें हमारे आगरा ब्लड बैंक द्वारा प्रदान की गईं, उतनी पूरे उत्तर प्रदेश के कुल ब्लड बैंकों द्वारा भी नहीं की गई । लेकिन रीजनल ब्लड बैंक न होने के कारण बड़ी असुविधा होती है मरीजों को । माननीय मंत्री जी कहेंगे कि धनाभाव के कारण ऐसा नहीं कर सकते । मेरा सुझाव है कि आप आउटडोर पर्चे की फीस को कुछ बढ़ा दें । हर आदमी उसे खुशी से दे सकता है तथा प्राइवेट वार्ड में मरीजों से डाक्टर प्रत्येक विजिट की फीस वसूल करे और उसका 50 प्रतिशत शासन को दें । इस धनराशि को यन्त्रों, उपकरणों, दवाओं व अन्य सुविधाओं पर खर्च किया जा सकता है ।

कानपुर में 1976 में एक कार्डियोलाजी संस्थान खोला गया था । उसमें 3 आपरेशन ओपिन हार्ट सर्जरी के और 6 आपरेशन क्लोज्ड हार्ट सर्जरी के प्रति सप्ताह में होते थे । उद्घाटन के पहले तो जो ओपन हार्ट सरजरी के आपरेशन

[डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--]

हुये वह हो गये, उसके बाद से आज तक ओपन हार्ट सर्जरी का एक भी आपरेशन नहीं हुआ है क्योंकि जो विदेशों से डाक्टर अपनी नौकरी छोड़ कर यहां आये थे, उनको भगा दिया गया और उनकी जगह आज तक कोई डाक्टर नियुक्त नहीं हुआ है। जो डाक्टर थे उनको मान्यवर, वहां पर काम नहीं करने दिया गया। मेरा सुझाव है कि वहां निदेशक के पद पर एक कार्डियक सर्जन की नियुक्ति होनी चाहिए।

आगरा मेडिकल कालेज में आये दिन स्ट्राइक होती है। वातावरण अत्यन्त दूषित हो चुका है, उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर मेडिकल सर्जरी की जरूरत है। पैलियेटिव सर्जरी से अब काम चलने वाला नहीं है उसके लिए आपको कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी समस्या का हल हो सकेगा और श्रीमन् आपने जो कदम उठाये थे, वहां के मेडिकल कालेज के वातावरण को ठीक करने के लिए उसका हम लोगों ने समर्थन किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उनको वापस ले लेने के कारण फिर वहां का वातावरण विषाक्त होता जा रहा है और यह चिनगारी आगरा मेडिकल कालेज तक ही नहीं सीमित रहेगी, बल्कि अन्य मेडिकल कालेजों के वातावरण को भी विषाक्त बनायेगी। उसी दौरान में डाक्टर हरी गौतम जोकि देश के माने हुए हृदय के शल्य चिकित्सक थे, उनको आगरा से कानपुर भेज दिया गया और आगरा की जनता ऐसे विशेषज्ञ की सेवाओं से वंचित हो गई। हम आप से अनुरोध करेंगे कि ऐसे कुशल व अनुभवी हृदय शल्य चिकित्सक को आगरा में पुनः वापस भेजने हेतु आदेश प्रदान करेंगे ताकि आगरा ही नहीं बल्कि आगरा से लगे हुए अन्य जिलों की जनता भी उनकी सेवाओं से लाभ उठा सकें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं आपका अनुगृहीत हूं जो आपने मुझे इस स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपनी वक्तृता में अपने विभाग के विस्तार का बहुत लम्बा-चौड़ा चिट्ठा पेश किया। लेकिन जब कोई चीज चौड़ी हो जाती है, तो उसके भीतर खोखलापन हो जाता है। माननीय मंत्री जी के विभाग में इतना खोखलापन हो गया है कि वह जनसेवा नहीं रह गया है, जनता को हड़पने का विभाग रह गया है। मैं इसके लिए सबूत भी पेश करूंगा। लेकिन मैं पहले यह बता दूं कि सरकार की नीति और इस सरकार की खासतौर से यह है कि किसी प्रकार से जनसंख्या का नियंत्रण करना, क्योंकि जनता के उन्नति के काम इनके बस का है नहीं, न कृषि की होगी, न बिजली की होगी, तो इनके पास केवल दूसरा तरीका है कि तरक्की कम करो, आदमी कम करो और उसके लिए परिवार कल्याण की जरूरत है। मान्यवर, परिवार कल्याण में जो इनका अपना लक्ष्य है, अपनी नीति है, उसके लिए केन्द्र से इनको बहुत बड़ी सहायता मिलती है। मैं उस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। पिछले वर्ष 25 करोड़ कुछ लाख रुपया था इनके बजट में और इस साल 35 करोड़ कुछ लाख है। मान्यवर, यह 8 करोड़ की जो बढ़ोत्तरी है, ऐसा लगता है कि परिवार कल्याण विभाग कुछ तरक्की की ओर जा रहा है। मान्यवर, यह सच्चाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि यह परिवार कल्याण विभाग बिलकुल व्यर्थ हो गया है । इसका कोई औचित्य ही नहीं रह गया है कि यह प्रदेश में रहे । मान्यवर, मुझे तो भय है कि अगर सत्य का उच्चाटन कर दें, तो मान्यवर, बहुत से लोग बेकार हो जायं :

श्री लोकपति--

नहीं, सत्य का उच्चाटन कर दीजिए ।

श्री राम स्वरूप वर्मा --

मान्यवर, एक अखबार, 'नार्दर्न इंडिया पत्रिका,' में यह खबर छपी थी कि उत्तर प्रदेश में 50 हजार परिवार कल्याण में कर्मचारी और अधिकारी हैं और 1,100 गाड़ियां जीप गाड़ियां वगैरह उनकी सहायता के लिए मौजूद हैं ताकि तत्परता से काम करें । लेकिन अप्रैल से लेकर सितम्बर तक 6 महीने में 40 हजार कुल नसबन्दी के आपरेशन हुए हैं और दूसरे सूबों में क्या स्थिति है । महाराष्ट्र में उनका कहना है 4 लाख आपरेशन हुए, 10 गुना और आबादी हमारे से आधी है । इस तरह से कर्मचारी भी हमारे यहां पर कम रहे होंगे । तो महाराष्ट्र इस तरह 10 गुना उपलब्धि प्राप्त कर रहा है और उसका स्थान भारत में दसवां है हमारा 18वां स्थान है । उसी दृष्टि से जो 25 करोड़ हमारा पिछले साल का खर्चा दिखाया है । तो मान्यवर, उसका औचित्य क्या रह जाता है । 50 हजार आदमी हैं, एक-एक का औसत 6 महीने में नहीं पड़ रहा है । काहे को इसको कर रहे हैं । केन्द्र सरकार इनके लोगों की है इसलिए कि इनके लोगों पर केन्द्र की कुदृष्टि न हो । तो मान्यवर, इनको तो अनुदान मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सक्षम ही नहीं हैं ।

श्री लोकपति--

आप इसके समर्थक हैं कि नहीं ?

श्री राम स्वरूप वर्मा--

समर्थन का कोई प्रश्न ही नहीं होता है । हमारी सरकार आयेगी, तब पता चल जायेगा । हमारी सरकार आने द सब नीति हम रखेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मेरी समझ में आपकी और वर्मा जी में एज गैप है इसलिये आपकी बातें जम नहीं रही हैं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

परिवार कल्याण के बारे में कहें तो हम तो परिवार किये ही नहीं । हम तो बिना परिवार के ही हैं । हम तो महान कल्याण का काम कर रहे हैं । मैं यह कह रहा था इन परिवार कल्याण केन्द्रों में कोई काम नहीं हो रहा है । 33 केन्द्र नगरीय हैं जो शहरों में हैं । इन स्वैच्छिक केन्द्रों में एफ० ए० ओ० रुपया बांटते थे और वह अपना काम चलाते थे । हमारी सूचना है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है और उन्होंने काम करना बन्द कर दिया है । अब एक ज्वाइंट

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

डायरेक्टर हैं वह पैसा बांट रहे हैं । नियमावली के हिसाब से उनको हक नहीं है लेकिन उन्होंने सारा हक ले लिया है । स्वैच्छिक केन्द्र बन्द हो गये हैं और सरकारी केन्द्र जो हैं उनमें कोई काम नहीं हो रहा है । माननीय मंत्री जी ने कुछ कहा भी नहीं कि क्यों यह असफल रहा । मंत्री जी सदन में यही कहते कि परिवार कल्याण केन्द्र क्यों अपने काम में असफल रहा । मान्यवर, 25 करोड़ रुपया हजम कर गये 46 करोड़ और मांग रहे हैं । एक तिमाही में 16 लाख रुपया खर्च हो गया और 46 लाख और मांग रहे हैं । केन्द्रीय सरकार को क्या जबाब देंगे ? काम बिल्कुल नहीं हो रहा है । महाराष्ट्र से मुकाबला न कर सके तो उत्तर प्रदेश इतना उल्टा प्रदेश न बने कि 18वां स्थान उसका हो । इनका भाषण खोखलेपन से भरा है ।

मान्यवर, इनकी नीतियों में कितना विश्वास है सबसे पहले इनको जनता को आश्वस्त करना चाहिये था कि परिवार कल्याण उत्तम चीज है और इसके लिये सामूहिक शिक्षा की जरूरत है । मान्यवर इन्होंने सामूहिक शिक्षा के बजट में 46 हजार की कमी की है । सामूहिक शिक्षा के बजट में पिछले साल से इस साल 46 हजार रुपये की कमी आई है । इससे सिद्ध है कि सामूहिक शिक्षा यह नहीं देना चाहते हैं । हमारे वर्मा जी ने कहा कि आप सामाजिक लोगों पर बोझ नहीं डालना चाहते हैं कि वही परिवार कल्याण केन्द्र का काम अच्छा करें । जब आपने अपने विभाग में ही सामूहिक शिक्षा के बजट को कम कर दिया तो यह सम्भव नहीं है । ज्वाइंट डायरेक्टर साहब के घर में परिवार कल्याण केन्द्र के प्रेस का टेलीफोन लगा है । अगर आप परिवार कल्याण केन्द्र के प्रेस को फोन करें तो पता चलेगा कि वह ज्वाइन्ट डायरेक्टर के घर में लगा है । इससे ज्यादा दुरुपयोग और क्या हो सकता है । पता नहीं कौन से कारण हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं ।

मान्यवर, अगर आप तेली का काम तमोली को दे देंगे तो निश्चित ही असफलता मिलेगी । ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय यहां पर 17 साल से हैं कहते तो हैं कि 21 साल से हैं लेकिन 17 साल से विराजमान हैं, इसकी जानकारी मुझे है । 17 साल से उनका ट्रान्सफर नहीं किया गया है । यह परिवार कल्याण केन्द्र का इंतजाम करने वाले हैं और सैर विदेशों की करते हैं । एक अधिकारी 5 साल में एक बार विदेश जा सकता है, यह नियम है । किन्तु डा0 एम0 एम0 सक्सेना, ज्वाइंट डायरेक्टर एक साल में दो बार विदेश गये हैं, तो यह किस कानून से भेजे गये हैं ? मंत्री जी ने क्या इनके खिलाफ कोई कार्यवाही किया है ? इस सम्बन्ध में 17 दिसम्बर को हमने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा कि आप तो असफल हैं । इसलिये इस असफल केन्द्र को क्यों नहीं हटाते हैं । लेकिन उस पर मंत्री जी ने कोई कार्यवाही नहीं किया है । इसलिये पहले प्रशासन हटाते हैं तो गड़बड़ है ही लेकिन शासन ने कोई कार्यवाही नहीं किया इसलिये इस असफलता का जिम्मेदार शासन है । मान्यवर, एक्स कैडर की तरक्की होती गयी । ज्वाइन्ट डायरेक्टर क्यों आपके प्रिय हैं जबकि वह सारे प्रदेश का अहित करते हैं । यह परिवार कल्याण के बारे में कुछ नहीं जानते हैं लेकिन अन्य मामलों में वह लाभदायक हैं, इसलिये मंत्री जी उनको रखे हैं । इसलिये मान्यवर, मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी परिवार कल्याण केन्द्र का काम आप अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं तो इसके दो रास्ते हैं एक तो यह कि या तो आपको मुख्य मंत्री हटायें या आप चमत्कार दिखायें, तो आप बच सकते हैं । इसलिये सदन से मैं संस्तुति करूंगा कि इस ग्रान्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिये और जो संशोधन का प्रस्ताव है उसको स्वीकार करना चाहिये ।

*श्री अनवार खां--

मान्यवर, आपके सामने मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, एक शेर में कहना चाहता हूं :--

हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा ।

मान्यवर, अभी हमारे भाइयों ने कुछ बातें रखीं जिसके सम्बन्ध में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री के समय में इतने ट्रान्सफर किये गये लेकिन डा0 एम0 एम0 सक्सेना का ट्रान्सफर क्यों नहीं किया गया था । उस समय इनका भी ट्रान्सफर किया जाना चाहिए था, जबकि मास्टर आफ सर्जरी जो थे उनको प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर बिठा दिया गया था ।

मेरे यहां का वाक्या है कि एक डाक्टर साहब मास्टर आफ सर्जरी भेज दिये गये । तो आप देखें कि जिन ज्वाइंट डाइरेक्टर साहब का नाम लिया गया है कि वह 12, 13 सालों से एक जगह पर हैं तो भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री के जमाने में उनका ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक 30 बेड वाला हास्पिटल बनाया जा रहा है । तो वह जहां बन रहा है वहां सरकारी जगह काफी मात्रा में उपलब्ध है, वाटर वर्क्स भी बना हुआ है । लेकिन भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी ने उतरौला नगर से 2 कि0 मी0 दूरी पर एक जमीन पर जो सरकारी नहीं थी और एक आदमी द्वारा दी गयी थी, उसने कहा था कि मेरी जमीन फ्री ले ली जाय लेकिन उस जमीन को 30 साल की लीज पर लिया गया है और 60-70 हजार रुपया लगाया जा रहा है । उसी के पास उनके दोस्त की डेरी है । अगर आप वहां बैठ जाय तो बदबू से उल्टी जरूर हो जायगी । वहां पर आप खड़े नहीं हो सकते । तो मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगा कि उस डेरी का लाइसेन्स खत्म कर दिया जाय ताकि जो मरीज वहां दाखिल हों उनको बदबू का सामना न करना पड़े ।

मेरा सुझाव यह है कि हर तहसील हेडक्वार्टर पर एक टी0 बी0 सेंटर खोला जाय । मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हर तहसील हेडक्वार्टर पर एक पोस्ट मार्टम सेन्टर कायम किया जाय । क्योंकि तहसील हेडक्वार्टर से दूर होते हैं जब कोई मर्डर हो जाता है तो पोस्ट मार्टम कराने के लिये जिले में भेजा जाता है और जिले में काफी टाइम लग जाता है जिसके कारण परेशानी होती है और लाश में बदबू आ जाती है । इसलिये हर तहसील हेडक्वार्टर पर एक पोस्ट मार्टम सेन्टर खोला जाना चाहिये । दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल देहातों में प्राइवेट प्रेक्टिसनर्श बहुत हैं । उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और उन पर कोई अंकुश नहीं है । यह लोग ट्रेंड नहीं होते हैं । कभी-कभी देखा जाता है कि यह आंख का चलता फिरता अस्पताल गांवों में ले जाते हैं और वहां पर आपरेशन किया जाता है, जिससे मरीज की आंख की रोशनी चली जाती है । मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि या तो प्राइवेट प्रेक्टिसनर्श का रजिस्ट्रेशन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अनवार खां---]

कर दिया जाय, ताकि उन पर अंकुश लगाया जा सके, नहीं तो ऐसे लोगों को प्रेक्टिस न करने दिया जाय ।

मैं मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने होम्योपैथिक डाइरेक्ट्रेट अलग कर दिया है । मैं दरख्वास्त करूंगा कि यूनानी का एक डाइरेक्ट्रेट अलग कर दिया जाय । इसका कारण यह है कि आयुर्वेदिक के लोग यूनानी दवाओं के नाम से वाकिफ नहीं हैं, उनका उच्चारण करने में गलती हो जाती है और दवाइयां गलत हो जाती हैं । तो मेरा सुझाव है कि एक यूनानी डाइरेक्ट्रेट अलग कायम कर दिया जाय । मैं चाहता था कि यूनानी निदेशालय अलग कर दिया जाय ।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मलिहाबाद का जो पी0 एच0 सी0 है, वहां पर एक डा0 जुबैरी हैं, जो 6-7 साल से वहां पोस्ट हैं और एक लव-मैरिज भी उन्होंने की हुई है । मेरी जानकारी के अनुसार उनके खिलाफ वहां पर बड़ा रोष है । मेरा अनुरोध है कि उन्हें वहां से हटा दें । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री राम स्वरूप निम---

माननीय उपाध्यक्ष जी, बड़े समय के बाद इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये शुक्रगुजार हूं ।

मैं श्री राम आसरे वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करते हुए निवेदन करता हूं कि जो प्रस्ताव आज मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और ग्रामीण अंचलों के स्वास्थ्य के बारे में जितनी भावनायें व्यक्त की हैं और कुछ करना चाहते हैं, निश्चय ही उस कार्यक्रम के लिये अगर उनके दिल की भावना और करनी और कथनी ऐसी है तो निश्चय ही इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा । लेकिन अमूमन होता यही रहा है कि जब भी स्वास्थ्य बजट पर बहस हुई है और जो सदन को आश्वासन दिये गये हैं, ठीक उसके विपरीत हमेशा होता है और होता चला आया है । आज भी जब वे बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो एक वर्ग विशेष का नाम लेकर, जिसे सैनिटरी इन्सपेक्टर कहते हैं, वह इस विभाग पर इतना छाया हुआ है कि उसने माननीय मंत्री जी को भी खरीद रखा है, सचिवालय को भी खरीद रखा है और डायरेक्टर को भी खरीद रखा है । वह व्यक्ति इतना प्रबल है कि बहुउद्देशीय कार्यक्रम की योजना जो माननीय मंत्री जी ने तैयार की है, उनका भी दायित्व था और उनको भी सम्मिलित किया गया था किन्तु अपने पैसे और प्रभाव के बलबूते पर उन लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग नहीं किया और अलग स्कीम बना ली और मजबूर होकर माननीय मंत्री जी को उनकी बात माननी पड़ी । इस तरह से हर क्लास अगर पैसे के बल पर इस तरह

[इस समय 3 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री धर्म सिंह पीठासीन हुए ।]

के कारनामे करता रहेगा और इस तरह से विभाग को चलाने की आप घोषणा करते रहेंगे तो यह बहुत ही नामुमकिन है कि जो कुछ आप कह रहे हैं, हो जाय । मिलावट के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा, इस तथ्य से कोई दूर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं है कि जितने भी सेनीटरी इन्सपेक्टर्स सैम्पिल्स लेते हैं, वह केवल कोटा पूरा करने के लिये, बाकी मिलावट का आधार सैनिटरी इन्सपेक्टर्स होते हैं। उन लोगों से बंधा हुआ पैसा आता है जो नीचे से ऊपर तक चलता है। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री ने दवाओं के बारे में जो कहा है, इस विभाग की 14-15 साल सर्विस करने के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो टीका और विटामिन "ए" और "बी" की बात कही गयी, मैं तथ्यों के साथ इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि विभागों के द्वारा कभी भी यह दवायें उपलब्ध नहीं की जाती हैं। एक महीने में अगर एक "डोज" दे दी है तो दूसरे महीने में वह उपलब्ध नहीं होती है और इस प्रकार पहली "डोज" भी निष्प्रभावी हो जाती है। इस बजट के अन्दर माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन नहीं दिया है कि जो दवायें या टीके गर्भावस्था से लेकर छोटे बच्चों से लेकर कई बीमारियों के निवारण करने की बात कही, किन्तु उनके निराकरण के लिये दवाई की उपलब्धता लगातार रहेगी, ऐसा कोई आश्वासन सदन को नहीं दिया है, जिससे कि जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, वह सुचारु रूप से चल पायेंगे।

दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा माननीय राम आसरे वर्मा जी कह रहे थे कि दवाइयों का अस्पताल के अन्दर हमेशा घोटाला होता रहता है, जो वाकई में गरीब हैं और जो दवाइयां खरीद नहीं सकते हैं उनको दवाइयां नहीं दी जाती हैं। उसके लिये मेरा एक सुझाव है कि कोआपरेटिव बेसिक पर अस्पताल के प्रांगण में एक पैनल बना दिया जाय डाक्टरों का जो इस बात पर विचार करे कि यहां पर किस तरह की और कैसी दवाओं की अधिक आवश्यकता है, वह जो दवा बतायें उसे गवर्नमेंट रेट पर कोआपरेटिव मेडिकल स्टोर की दुकानें खोल दी जायं जिससे कि मरीज को दोहरा लाभ होगा क्योंकि उस दवा में मिलावट नहीं होगी। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट रेट होने के कारण दवा उसे सही दामों में उपलब्ध होगी। तो इस तरह की योजना से पेशेन्ट को सही दवा तथा सही दामों में उपलब्ध हो सकेगी।

तीसरी बात दवा जो वहां पर उपलब्ध हों उनकी एक लिस्ट बनाकर टांगनी चाहिये जिससे पेशेन्ट को पता रहे कि उसे जो दवा लिखी गई है वह उसे उपलब्ध हो भी पायेगी या नहीं। इसके अतिरिक्त डाक्टरों के हित की रक्षा के लिये पैरा मेडिकल स्टाफ के हित की रक्षा के लिए जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर कोई एसे अधिकारी बैठा दिये जायं जो कि डाक्टरों की या पैरा मेडिकल स्टाफ की काली करतूतों का पर्दाफाश करते रहें। यह नहीं कि आपने मंत्री जी को या किसी और व्यक्ति की जी हजूरी नहीं की तो आपकी बैड इन्ट्री कर दी गई। तो इस तरह से पैरा मेडिकल स्टाफ की बैड इन्ट्री जो अकारण होती रहती हैं वह नहीं हो सकेंगी।

परिवार कल्याण के अन्तर्गत जो डाक्टर होता है उसकी ड्यूटी केवल आपरेशन करना या दवा देना होता है। इसके अलावा सारी जिम्मेदारी पैरा मेडिकल स्टाफ की होती है। पैरा मेडिकल स्टाफ ही स्थान-स्थान पर जाकर लोगों को मोटीवेट करके डाक्टर तक लाता है, परन्तु यदि डाक्टर को कहीं जाना है तो यदि महिला डाक्टर हुई तो थोड़ा देख-दाख कर लिख देगी कि हीम्योग्लोबिन कम है, फिर आना और यदि पुरुष डाक्टर हुआ तो कोई और बहाना बना कर उसे

[श्री राम स्वरूप निम--]

टाल देंगे । कहने का मतलब यह है कि पैरा मेडिकल स्टाफ जिस व्यक्ति को इतनी कठिनाई से मोटावेट करके ले आया, उसे ये लोग अपनी असुविधा के कारण अटेन्ड नहीं करते हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परिवार कल्याण इस प्रदेश के अन्दर न बढ़ाने के जिम्मेदार डाक्टर लोग हैं । सारे डाक्टर बस कमरे में बैठे रहते हैं और पेशेन्ट से ठीक से व्यवहार भी नहीं करते हैं जब कि पैरा मेडिकल स्टाफ सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है । इसके बावजूद भी पेशेन्ट को कम्प्लीट दवाइयां नहीं मिलती हैं । क्या इसके लिए डाक्टर जिम्मेदार नहीं है ? होता यह है कि पेशेन्ट जिस हौसले के साथ आता है ऐसे व्यवहार से उसका मनोबल गिर जाता है, उसे मानसिक कष्ट होता है और ग्रामीण अंचल में उसकी इज्जत भी बिगड़ जाती है । होना यह चाहिये कि एक केस रजिस्टर कराइये, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराइये, उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है, यह बताइये, यह देखिये कि वह कौन से कारण हैं जिसके कारण वह केस रिजेक्ट हुआ है ?

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री राम स्वरूप निम--

अधिष्ठाता महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि परिवार कल्याण जैसे कार्यक्रम को चलाने के लिए, जैसे प्रगति का कार्यक्रम सफल नहीं हो रहा है, उसी प्रकार जनसंख्या को कम करने की घोषणा करते हैं, रोज ना भाषण देते हैं, आश्वासन देते हैं लेकिन उसके बावजूद जनसंख्या बढ़ती जा रही है । इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य विभाग के डाक्टर हैं । इसके साथ-साथ में अपने जिले के सम्बन्ध में 2 मिनट कहना चाहूंगा । हमारे जिले के अन्दर एक लाख 30 हजार की डकैती हुई, जो वहां के सीनियर सुप्रिन्टेन्डेन्ट हैं, सब लोग उनके घर पर रहते हैं, उसमें 2 बाबुओं का ट्रांसफर हो गया लेकिन वे वहीं पर मौजूद हैं । इसके बाद स्टोर जला दिया गया, जिस आदमी ने जलाया उससे उसकी वसूली की जा रही है उसकी पोस्टिंग भी वहीं उसी स्थान पर कर दी गई इससे जो खास-खास फाइलें थी उनको उसने जला दिया ताकि कोई चीज पकड़ में न आये । जहां विभाग को इतनी सब कुछ जानकारी है कि एक आदमी इसके लिए जिम्मेदार है, जुल्मी है उसकी पोस्टिंग ऐसी जगहों पर फिर की जाती है । डाक्टर हैं के0 बी0 वर्मा, दो बार स्टोर से दवाइयों की चोरी हो चुकी है और वहां की व्यवस्था इतनी खराब है कि अगर आदमी अस्पताल जाये तो उसे अस्पताल न कह कर. .

श्री लोकपति--

उस अस्पताल का नाम बता दें ।

श्री राम स्वरूप निम--

डाक्टर हैं के0 बी0 वर्मा और अस्पताल है एस0 बी0 डी0, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री हरदेव—

मान्यवर, आपने मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। स्वास्थ्य विभाग के बजट की पुस्तकों का मैंने अवलोकन किया। स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने बजट में जो व्यवस्था दी है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद भी देता हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में हर पहलुओं पर, हर तरह से जनता के हित में अस्पताल के विकास में हर प्रकार का ध्यान देकर उन्होंने अपनी भूमिका निभायी है। मुझे खुशी है कि हमारे गरीब समाज में माता-माई-महामारी बीमारी इतनी जटिल हो गई थी कि सदियों से एक परम्परा हो गई थी पूजा पाठ की। रोग से विचलित होकर हमारे गरीब समाज के लोग काफी तादाद में मरते थे। धन्यवाद इस बात का है कि इस विभाग के स्वास्थ्य मंत्री जी और भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस ओर ध्यान देकर करोड़ों नर-नारियों की रक्षा की है और इस माता-माई-महामारी को उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से सफाया कर दिया है। यह एक बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरी बात यह है कि मुझे एक शब्द अंग्रेजी का कहना उचित मालूम पड़ रहा है—हेल्थ इज वेल्थ—हेल्थ की मौजूदगी से विकास होता है और स्वास्थ्य तथा शिक्षा समाज के लिए व हम सबके लिए बहुत जरूरी है और इस ओर अगर ध्यान नहीं दिया गया, अधिक बजट नहीं खर्च किया जायेगा तो मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि इस ओर ज्यादा बजट खर्च होना चाहिए। मुझे जानकारी मिली है कि मेरे जनपद बलिया में 25 डाक्टरों और प्रदेश में हजारों डाक्टरों की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस ओर बजट में इन्तजाम होना चाहिये। एक विशेष बात जो प्रदेश के अन्दर हमारे सामने आयी है, वह यह कि आज कल बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डाक्टर्स पैदा हो गये हैं। उनके पास जो भी रोगी आते हैं उनसे पैसा तो वे लेते ही हैं। उनके लिये मेरा सुझाव यह है कि अगर इन प्राइवेट प्रैक्टिसनर्स से फीस चार्ज करके उनका रजिस्ट्रेशन हो जाय तो उससे कई करोड़ रुपये हमारी सरकार को मिलते जिनसे नये अस्पताल बन सकते थे कई करोड़ रुपये इनसे मिलते।

दूसरी बात यह है कि प्रदेश में कुष्ठ रोग, पागल कुत्ते के काटने की दवा, सांप काटने की दवा, भय रोग व फाइलेरिया रोग की रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिये। कुत्ते के काटने की दवा न हो तो उसे बचाया नहीं जा सकता है। गरीब आदमी एक महीने के बाद मर ही जाता है। यह बड़ा ही खतरनाक रोग है। सांप काटने व फाइलेरिया का रोग समाज में बहुत बड़ी संख्या में व्याप्त है। इस ओर खोज करके उनके रोकथाम की व्यवस्था करनी चाहिये। इसके अलावा मैंने देखा है कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टर लोग अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को नहीं छोड़ते जब कि इसके लिए उनको एलाउन्स दिया जाता है। वे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए अस्पताल से दो-चार घंटे का समय बचा कर अपने लिए निकाल ही लेते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि उनको एलाउन्स देना बन्द कर दिया जाय तो उससे बचाये हुए पैसे से छोटी-छोटी तमाम डिस्पेंसरीज खोली जा सकती हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि ग्रामीण स्तर पर उनको परिवार नियोजन सम्बन्धी सिनेमा दिखलाने की बात कम्पलसरी

[श्री हरदेव--]

कर दी जाय, तो उनके दिमाग में इस तरह की बात आ सकती है और इससे परिवार नियोजन कार्यक्रम को बल मिलेगा। मुझे आशा है इस तरह से मेरे सुझाव पर विचार किया जायेगा और अधिक से अधिक प्रचार करके परिवार नियोजन की व्यवस्था करायी जायेगी।

तीसरी बात यह है कि बेसिक एजुकेशन के अध्यापकों को भी दवा मुफ्त में देने की सुविधा दी जानी चाहिये। गरीब लोगों को मुफ्त दवा दी जानी चाहिये। जो लोग पैसे वाले हैं और अपनी दवा खरीद सकते हैं, आज उनको तो दवा मुफ्त मिलती है और जो लोग पैसे से दवा नहीं खरीद सकते हैं उनको लाल दवा मिलती है। इसलिए मैं चाहता हूं पैसे से खरीदने वालों की दवा बन्द करके गरीब लोगों को फ्री दवा दी जानी चाहिये। टी० बी० की बीमारी के लिये शहरों में अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिये।

अब मैं अपने जनपद बलिया के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पिछले महीने बलिया जनपद की रसड़ा तहसील में पोलियो का रोग आया था जिसमें न मालूम कितने बच्चे मर गये। जब तक शहर से दवा जाय तब तक बच्चे मर जाते थे। इसके लिये जिला स्तर पर कम से कम 20 हजार और तहसील स्तर पर कम से कम 5 हजार की व्यवस्था बजट में होनी चाहिये।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

श्री हरदेव जी पोलियो रोग से स्वयं पीड़ित हैं, इनकी सुन तो लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

श्री हरदेव--

बलिया जनपद में ही दस मिनट तक अस्पताल में बिजली न आने से एक और की जान हो चली गयी। तो जनरेटर की व्यवस्था, क्षय रोग की बेड की व्यवस्था और नर्सिंग होम की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

हमारे माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी इस विधान सभा के कार्यकाल में तीसरा बजट ले कर आये हैं। जब उन्होंने सन् 1980 का बजट पेश किया था, श्रीमन्, तो उनका गला रुंधा हुआ था। 1981 में बजट पेश किया था तो वह नजले से पीड़ित थे। और आज जब उन्होंने बजट पेश किया तो बहुत खांस रहे थे। इस विकलांग सरकार के संकटग्रस्त मंत्रियों के द्वारा पेश किये जाने वाले वैभागिक बजट की शृंखला में ओपनिंग बैट्समैन होने के नाते मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलवाना चाहता हूं कि जिस समय उन्होंने सब से ज्यादा खुशी जाहिर की कि पिछले एक वर्ष के अन्दर कहीं कोई महामारी नहीं फैली, उस तथ्य को थोड़ा सा दुबारा विचार कर लें।

इस प्रदेश के अन्दर जब से विश्वनाथ प्रताप सिंह का शासन कायम हुआ वह महामारी फैली है कि उस से बड़ी महामारी क्या फैलनी है। जितने दूसरे रोग थे वे इस प्रदेश में इम्यून हो गये हैं। छोटे मोटे रोग इस प्रदेश में दिखलाई नहीं देते। इस प्रदेश सरकार की योजना गर्भ में फंसी है और उसको निकालने के लिए आपरेशन की जरूरत है। हमारे प्रदेश के अन्दर एक दवा का कारखाना ऋषिकेश में औषधि निर्माण कारखाना केन्द्र सरकार की ओर से खोला गया गंगा जी के किनारे, इसलिए खोला गया कि वहां पर शुद्ध गंगा जी का जल मिलता है। वहां पर पानी का टेम्परेचर सब से कम रहता था। अब इस सरकार ने वहां पर चिल्ला बाराज शुरू किया है। सारा गंगा का पानी चिल्ला में डाल दिया और कारखाना सूखा पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य मन्त्री जी सिंचाई मन्त्री भी रह चुके हैं और उन के अगल-बगल में हमारे राज्य के स्वायत्त शासन मन्त्री भी बैठे हुये थे। जल प्रदूषण के बारे में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसी भी देश में लोगों का स्वास्थ्य तब तक ठीक नहीं रह सकता जब तक कि पीने का शुद्ध जल उपलब्ध न हो। अभी हमारे माननीय मन्त्री जी ने बड़े गौरव के साथ बताया कि प्रति रोगी पर 7 रु0 69 पैसे खर्च करेंगे। मेरा इल्जाम है कि आज के दिन तक इस राज्य के अन्दर 25 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च हो रहा रहे हैं। आपके जितने आंकड़े हैं सब गलत हैं। मान्यवर, इस सरकार की योजना गर्भ में फंसी हुई है और इसको बाहर निकालने के लिए मेजर आपरेशन की जरूरत है, शुरू में मैंने कहा था। मैं आप को बताऊं कि यह जो पुस्तिका स्वास्थ्य समीक्षा दी गई है इसके पृष्ठ 64 और 65 को देखें। मान्यवर, इसमें कालम बने हुये हैं 1981-82 में संभावित उपलब्धियां, 1982-83 में प्रस्तावित ये कालम बने हैं 4 और 5। पृष्ठ 64 और 65 को देखें। 4 और 5वां कालम कतई खाली हैं। कोई योजना नहीं है। योजना गर्भ में फंसी है। सरकार पहले ही स्वस्थ है। सब कुछ ठीक है। टांगें बहुत अच्छी हैं परन्तु पांव कमजोर हो गये हैं। ज्वाइन्ट टूट गये हैं। सरकार बहुत अच्छी है। बिस्तर पर पड़ी हुई विकलांग है। खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि पांव और टांग के ज्वाइन्ट इसके पूरी तरह से टूट चुके हैं। इसका मेटायासी फेलंगियल ज्वाइन्ट टूट गया है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कीर्तिनगर में एक अस्पताल सन् 1980 में 35 लाख रुपये का मंजूर हुआ था। स्वास्थ्य विभाग से वह पैसा पी0 डब्लू0 डी0 के पास चला गया था। इसके लिए टेन्डर भी इन्वाइट कर लिये गये थे और टेन्डर प्राप्त भी हो गये थे। किन्तु उस पर कार्य शुरू होने से पहले ही पर्वतीय विकास विभाग की ओर से यह आदेश यहां से चला गया कि उस कार्य को रोक दिया जाय। चार बार स्वास्थ्य मन्त्री जी ने उस अस्पताल के लिये वायरलेस किया था कि उसे कीर्तिनगर में बनाया जाय किन्तु आज भी वह अस्पताल नहीं बना है। उसमें कार्य तब प्रारम्भ किया जायेगा जब उस 35 लाख की कीमत 70 लाख रुपये तक पहुंच जायेगी। मान्यवर, प्रदेश के अन्दर कई चीजें ऐसी हैं जिनको समझना कतई सम्भव नहीं होता है। हरिद्वार में एक ऋषीकुल विद्यालय है और एक गुरूकुल विद्यालय है। उसमें आप एक में पढ़ाई कराये और दूसरे में रिसर्च का काम कराये। मान्यवर, जब किसी देश में साधनों का अभाव होता है तो सबसे पहली चोट उन लोगों पर पड़ती है जिनके जिम्मे गवेषणा का कार्य रहता है। हमारी यह सरकार गवेषणा पर पैसा न खर्च करके जादू-टोने और मन्त्र-तन्त्र पर

[श्री विद्यासागर नौटियाल---]

खर्च कर रही है और जो पैसा बुनियादी रिसर्च के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए उस पर नहीं किया जा रहा है। आज एक गरीब के ऊपर 4 आना खर्च किया जा रहा है जैसा कि मैंने आपसे पहले निवेदन किया। इस तरह से आप प्रदेश के अन्दर रोगों को हरगिज-हरगिज नहीं मिटा सकते हैं। आपको आयुर्वेदिक के प्रति हीन भावना हो गई है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में डाक्टर उडप्पा अमेरिका से पढ़ कर लौटे तब उन को मान्यता मिल गई वर्ना वे भी बी0 आई0 एम0 एस0 की तरह दवाओं की पुड़िया बांटते रह जाते जैसे कि आपके जो आयुर्वेदिक अस्पतालों में जो चिकित्सा अधिकारी हैं वे ऐलोपैथिक की कैपसूल को तोड़ते हैं और कागज की पुड़िया में दे देते हैं और रोगी को कहते हैं कि खा लो। मान्यवर, मैं कहता हूं कि आयुर्वेदिक पद्धति के ऊपर हमको गर्व होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया, आप कृपया बैठ जायें।

श्री विद्यासागर नौटियाल---

अन्त में मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य के बजट के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया मैं उसके लिये आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों की बातें सुन रहा था और कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा और खास कर वर्मा जी से कहूंगा जिन्होंने कि कटौती के प्रस्ताव को रखा है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश और देश के लिये होगा। मान्यवर, किसी भी राष्ट्र में उस राष्ट्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस बात की होती है कि जन स्वास्थ्य की प्रगति....

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य मुझे बोलने दें। दो-चार मिनट का समय तो बोलने के लिये मिलता ही है। मान्यवर, किसी भी प्रदेश के लिये यह जरूरी है कि वहां का जन स्वास्थ्य जब तक प्रगति के पथ पर नहीं पहुंचाया जायेगा, न तो वह प्रदेश शक्तिशाली बन सकता है, न राष्ट्र शक्तिशाली बन सकता है। इसलिए सबसे पहले यह चीज होती है कि वहां का नागरिक स्वस्थ हो, वहां का जन समुदाय स्वस्थ हो। तो स्वास्थ परम्परा के लिए आज जो स्वास्थ्य का बजट रखा गया है उसके लिए मैं यह भावना लगाये बैठा था कि कम से कम आज इस बजट की तारीफ की जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इतिहास इस बात का साक्षी है स्वास्थ के संबंध में आजादी के पहले जो स्थिति रही जो हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली उसमें कुछ नहीं था केवल शून्य हमको मिला। स्वास्थ्य में इतनी दुर्दशा लोगों की थी कि वह कराहते रह जाते थे, एक टैबलेट के लिए मोहताज हो जाते थे और दम तोड़ देते थे लेकिन धन्य हैं पंडित नेहरू और धन्य हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्होंने इस देश में एक नयी व्यवस्था दी, एक नयी स्थिति पैदा की कि लोगों को नये-नये उपचार उपलब्ध हुये। उत्तर प्रदेश में

कांग्रेस की हुकूमत में स्वास्थ्य का विकास हुआ, स्वास्थ्य विभाग ने दिनों दिन तरक्की की और इसे कहां से कहां पहुंचा दिया। यह 1977 से पहले स्थिति पैदा हो गयी थी लेकिन बाद में एक ऐसी स्थिति इस देश में दुर्भाग्य से पैदा हो गयी, ऐसी भयावह परिस्थिति पैदा कर दी जिसमें जनता व्यक्ति की उत्पति हुई

(व्यवधान)

एक ऐसी खौफनाक और भयावह स्थिति पैदा कर दी, जनता एक आशा लगाये हुए बैठी थी कि हमारे हक और हकूक की रक्षा करेंगे लेकिन वे आपस में ही लड़ते रहे, जनता के साथ खिलवाड़ किये तो उस दो साल के पीरियड में स्वास्थ्य विभाग में गिरावट आ गयी। उस समय जनता डाक्टर पैदा हो गये जो कक्षा-6 और 8 पढ़े नहीं हैं उनको डाक्टर बना दिया वे इंजेक्शन और गोलियां बांटने लगे और मरीज के साथ खिलवाड़ करने लगे। बड़ी मुश्किल से आदमी डाक्टर बनता है। डाक्टर कोई ग्रामीण पाठशाला से निकल कर 4, 5 कक्षा पढ़ कर डाक्टर नहीं बन जाता है। डाक्टर क्वालिफाइड होता है, पढ़ लिख कर आता है, साइंस और टैक्नलाजी का ज्ञान उसको होता है उसको क्षमता और ज्ञान होता है।

अभी माननीय सदस्य सवाल कर रहे थे मि0 सक्सेना संयुक्त निदेशक दो बार फारन हो आये

(व्यवधान)

मान्यवर, इस प्रदेश में अखबारों में एक कहानी निकली थी इनके जमाने में एक नेता इंगलैंड और अमेरिका के दौरे पर गये जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन दर्जा 5 थी। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर उनके जाने की क्या जरूरत थी जिनके दिल और दिमाग में ज्ञान का संचार नहीं है। इंगलैंड और अमेरिका वह जायेगा जो इस देश की व्यवस्था के विषय में ज्ञान रखता है, इंगलैंड और अमेरिका इस देश के इंजीनियर और डाक्टर जायेंगे या विद्वान जायेगा, ले-मैन के लिये तो इंग्लैंड है नहीं। वहां जाकर वह क्या करेगा जब अवस्था होगी वह डाक्टर होगा, डिप्टी डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर होगा और ऊपर बढ़ता-बढ़ता आगे जायेगा। यह तो एक शृंखला बनी हुई है और शृंखलाबद्ध रूप से ही सब होगा और यही हमारी नीति है।

स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि बजट का कितना हिस्सा आयुर्वेद पर खर्च होगा, कितना हिस्सा एलोपैथी पर खर्च किया जायेगा और कितना हिस्सा होम्योपैथी पर खर्च होगा। शायद इसका स्पष्ट विवरण इसमें नहीं है या फिर मैं इसको समझ नहीं पाया हूं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आधुनिक युग में भारतीय चिकित्सा-पद्धति का महान महत्व है और यह उसका महत्व आज नहीं पुरातन काल से रहा है। कभी-कभी यह मेरी समझ में आता है कि सर्जरी जगत में एलोपैथी काफी एडवांस है। लेकिन यह विद्या तो हमारे देश में पुरातन काल से श्रुष और चरक के जमाने में थी और उस समय से इस देश में चली आ रही है, अतः यह एलोपैथी की देन नहीं है। आपने आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए अनुसंधान की व्यवस्था की है, वैसी ही व्यवस्था निश्चित रूप से आप होम्योपैथी के लिए भी करें, जिससे देश आपको चिकित्सा जगत के इतिहास में याद करेगा। अन्त में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जनपद देवरिया में पडरौना नगरपालिका क्षेत्र

[डाक्टर बृज किशोर मिश्र—]

जो हैं, वहां जनसंख्या अपार है । वहां पर दो-दो चिकित्सालय महिला और पुरुष के हैं । इनके संबंध म मेरा निवेदन है कि दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाये । यहां सर्जन भी हैं, शय्याएं भी हैं, लेकिन सर्जन की परमानेन्ट तौर पर पोस्टिंग नहीं की गई है अतः उसकी स्थायी रूप से नियुक्ति की जाये और दोनों चिकित्सालयों को संयुक्त चिकित्सालय करके कुछ डाक्टर्स उसमें और बढ़ा दिये जायं । अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय....

श्री अधिष्ठाता—

यह अनुदान साढ़े चार बजे तक समाप्त होना है और बोलने वाले अधिक हैं, इसलिए कृपा करके आप पांच मिनट में समाप्त करें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वंय ही यह कबूल किया है कि पर्वतीय क्षेत्र में 235 पुरुष और 230 महिला चिकित्सकों की कमी है । वह इसे भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर परिस्थितियों की विषमता के कारण मैदानी क्षेत्र से डाक्टर लोग वहां जाना पसन्द नहीं करते हैं । मैंने हमेशा यह प्रश्न किया है लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं निकला है । उस क्षेत्र के बहुत से डाक्टर ऐसे हैं जो कि वहां रहकर नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उनको वहां नियुक्ति देने के बजाए मैदानी भाग में नौकरी दी जाती है और उनको वहां पर नौकरी नहीं दी जाती है । आप जहां पृथक पर्वतीय संवर्ग बनाने की बात करते हैं । तो जो आदमी पर्वतीय क्षेत्र में रहने को उत्सुक है, उनको नियुक्ति देनी चाहिये । खाली अस्पताल का बोर्ड लगा देना आपकी चिकित्सा की प्रगति का द्योतक नहीं होगा, जब तक आप वहां पर दवाएं, साज-सज्जा और डाक्टर्स तथा अन्य स्टाफ उपलब्ध नहीं करायेंगे । यह भी मैं देखता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में आपने जितने भी अस्पताल खोले हैं, उनमें से बहुत कम जगह पर उनके भवन हैं । आयुर्वेद की जहां पर डिस्पेंसरी है, किसी भी औषधालय का भवन नहीं बना है । यह भी आप व्यवस्था करें तो डाक्टर लोग वहां पर जा सकते हैं ।

दूसरे आपके विभाग में प्रोमोशन और नियुक्ति में बहुत धांधली है । आपके विभाग में सोच विचार कर काम नहीं किया जाता है । तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सेवा में जो व्यक्ति कार्यरत हैं वे अभी तक भी अस्थायी हैं, वर्षों के सेवा के उपरान्त भी उनको स्थायी नहीं किया गया है । जनजातियों के जितने भी आपके यहां पर सेवा में डाक्टर्स हैं, उनको कोई प्रोन्नति नहीं दी गयी है, तो इस चीज को भी आप दिखवा लें ।

जिलों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं, जिसमें वैक्सीनेटर्स आदि भी सम्मिलित हैं, उनकी नियुक्ति आपके निदेशालय से ही होती है जिसका नतीजा यह होता है कि उन जिलों के लोगों को अवसर नहीं मिलता है जबकि नियम भी है कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति वहीं के अधिकारी करें ।

आपने जो आयुर्वेद और एलोपैथी में सामानता लाने की बात कही है। आपका प्रयास तो ठीक है लेकिन अभी मैंने जब यह सवाल किया था कि जालौन जिले में आयुर्वेद के 10 अस्पताल हैं जो कि वहां के जिला परिषद द्वारा संचालित होते हैं लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं कि वे इन अस्पतालों को चला सकें और डाक्टरों का वेतन दे सकें। जिला परिषद ने इन अस्पतालों को बन्द कर दिया तो मेरी प्रार्थना है कि इन दसों अस्पतालों को सरकार को ले लेना चाहिये ताकि लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलती रहे। जहां तक समानता की बात है आयुर्वेद और एलोपैथी में बिल्कुल भी समानता नहीं है। पढ़ाई में भी विद्यार्थियों को जो स्कालरशिप मिलता है उसमें एक एक एम0 बी0 बी0 एस0 छात्र को 125 रुपया स्कालरशिप दिया जाता है जबकि आयुर्वेद के छात्र को, जो बी0 ए0 एम0 एस0 करता है मात्र 40 रुपये ही दिये जाते हैं, लेकिन आप समानरूपता की बात करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि हर बात में समरूपता लानी चाहिए।

आपके विभाग में गाड़ियों के अम्बार लगे हुये हैं, सारी गाड़ियां खराब पड़ी रहती हैं, उनका नीलाम भी नहीं किया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि आप उनको ठीक करा दें।

इसके अलावा मुझे यह भी निवेदन करना है कि आप प्रत्येक वर्ष लाखों रुपया यात्रियों के लिए उत्तराखंड मार्ग पर शौचालयों के लिए खर्च करते हैं जो टाट पट्टियों से तैयार की जाती हैं। उनमें लाखों रुपया हर साल व्यय होता है और 5-6 महीनों के बाद ही वे सड़ कर बरबाद हो जाती हैं। जब आप हर साल ही इन पर व्यय करते हैं तो क्यों नहीं एक सुन्दर सी व्यवस्था कर देते और उनके स्थान पर फ्लश लेट्रीन्स बनवा देते। इससे आपका जो लाखों रुपया हर साल व्यर्थ जाता है, बच जायेगा।

कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर 6 महीने के लिए आपके स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मचारी काम करते हैं लेकिन यात्रियों की सीजन के बाद वहां पर कोई सफाई नहीं हो पाती है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, इस मद पर आप डाक्टरों को बुलवा रहे हैं। कृपया डाक्टरनियों को बुलवा लें। माननीया दोहरे जी को भी बुलवा लीजिये।

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस ग्रान्ट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी लगभग 1 अरब 39 करोड़, 1 लाख 67 हजार रुपये का जो बजट लाये हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रदेश में हर एक डिवीजन हेडक्वार्टर पर एक मेडिकल कालेज है, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़

[श्री चेतराम गंगवार—]

हर जगह है, पर बरेली और मुरादाबाद में मेडिकल कालेज नहीं है। अगर इन मेडिकल कालेजों में मरीजों का प्रतिशत देखा जाये तो यह 36 प्रतिशत होगा, अगर बरेली में मेडिकल कालेज खुल जाये तो इससे कहीं अधिक मरीज वहां आयेंगे।

(व्यवधान शोर)

श्री राम आसरे वर्मा—

वहां मेन्टल हास्पिटल को विस्तृत करने की जरूरत है।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

हरदोई में मंत्री जी एक मेन्टल हास्पिटल खुलवा दीजिये।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार—

इनके तो अकल का मान्यवर, यह दिवालियापन है जो यह कहते हैं कि इस अरबों रुपयों के बजट को घटा कर केवल एक रुपय कर दिया जाये।

(व्यवधान)

मान्यवर, जो यह बड़ी सी पुस्तिका बंटी है इसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट का जिक्र है। इसमे बताया गया है कि 31,338 मामले जांच के लिए भेजे गये और 3,40,260 मामले पकड़े गये। मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर माननीय मंत्री जी कृपया देने का कष्ट करें कि यह 2,922 मामले जांच के लिए क्यों नहीं भेजे गये? केवल 821 मामलों में ही यह सजा दिलवा पाये। आज प्रदेश में मिलावट खूब जोरों से हो रही है और इस ओर यह विभाग उदासीन है। पैसे लेकर लोगों को छोड़ देता है और यही कारण है कि दो हजार से अधिक मामले जांच के लिए ही नहीं भेजे गये। पैसे लेकर छोड़ दिये गये। आज जो इतनी तेजी से खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है इसको रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिये।

इस विरोध पक्ष की अक्ल का दीवालियापन उस समय देखने को मिला जब श्री राजनारायण सेन्टर में स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने गांवों-गांवों में स्वास्थ्य सामुदायिक कार्य-कर्ताओं की नियुक्ति करवायी थी। इनको एक पेटिका दे दी गयी थी, 50 रुपया वेतन दिया गया और कुछ दवायें आदि दे दी गयीं।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी—

आप यहां के बजट पर बोल रहे हैं या माननीय राजनारायण जी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

मेरा निवेदन है कि इन पदों को समाप्त किया जाना चाहिये ।

(व्यवधान)

आप कृपया व्यवधान न करें । मुझे कहने दें । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो करप्शन है इसे आप डाक्टरों तक ही सीमित रहने दें । गांव के बेचारे भोले-भाले आदमियों के लिए इनको न भेजें । यह लोग क्या उनका इलाज करेंगे ? तो मेरा अपना ख्याल है कि यह राजनारायण जी को विधि को उन्हीं के पास रहने दें और यह जो सामुदायिक स्वास्थ्य कर्ता की बात है, इसको वहीं पर छोड़ दें । मैं स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे यहां एक गांव कृष्णापुर है, वहां पर सारे हरिजनों का परिवार है और 1 हजार की आबादी है । वोटर संख्या दो-ढाई सौ की है । मैं चाहता हूं कि वहां पर एक चिकित्सालय खोल दें । एक बात मैं यह कह कर कि सरकार के ऊपर एक कलंक है और वह यह है कि आप अनुसूचित जाति में 63 है ? 2.19 है । मान्यवर, मैं अपनी एक बात कह कर कि जनता पार्टी के जमाने में कुल 12.60 पैसा, 11 रुपया कुछ पैसा था । हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने 14.45 पैसा कर दिया है । मैं मान्यवर, इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे बरेली में एक बहुत बड़ा अस्पताल खोल दिया है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती महारानी दोहरे--

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहती हूं । अगर सदस्यों की हैसियत से हम महिलाओं को मौका नहीं दिया जाता तो और विभागों की तरह से एक विन्डो और खोलने की कृपा करें ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं, आपने मुझे स्वास्थ्य बजट की चर्चा में सम्मिलित होने का अवसर दिया । मान्यवर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी सबके लिए माननीय हैं, हमारे लिए परम माननीय हैं । मान्यवर, जिस तरह से बजट का रक्षक मजबूरियों में रखा जाता है, उसी तरह से स्वास्थ्य मंत्री जी मजबूरियों की सीमा में अपना मजबूर बजट प्रस्तुत किया है । इसे देखने से ऐसा लगता है कि किसी से कुछ न कहना बेहतर है, जैसा है वैसा ही रहना बेहतर है, कोई न समझेगा मेरी मजबूरी, इसलिए चुप ही रहना बेहतर है । मान्यवर, लगता है कि यह हताश, उदास, निराश और मजबूरियों का मारा हुआ बजट है ।

एक तरफ चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं हैं और दूसरी तरफ एम० बी० बी० एस० करके आये हुए चिकित्सकों को चिकित्सा कार्य करने के लिये सरकारी सेवा की कोई जगह नहीं है । इन चिकित्सालयों और चिकित्सकों के बीच कोई तादात्म्य की स्थिति नहीं बनाई गयी है । एक तरफ चिकित्सालय चिकित्सक के अभाव में खाली हैं और दूसरी जगह चिकित्सक नियुक्ति के अभाव में सड़क पर खाली घूम रहे हैं । इस प्रकार इन चिकित्सकों और चिकित्सालयों में तादात्म्य स्थापित नहीं किया गया है । मान्यवर, दवाओं के बनने में घोटाला बेंचने में घपला, इसका कोई चेक नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है । रोजाना विजीलेंस

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--]

जांच करती है। सिद्ध तथ्य के आधार पर बातें उभड़ कर आती हैं, लेकिन कार्यवाही शून्य होती है। गोरखपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी की जांच सतर्कता विभाग ने की और अपराध सिद्ध पाये गये। उन्हें गोरखपुर से झांसी, पुनः मुख्य चिकित्साधारी बना दिया गया। देवरिया के मुख्य चिकित्साधिकारी श्री एस० पी० श्रीवास्तव लाखों-लाखों रुपये की लूट कर रहे हैं। अपने अधीनस्थ विभिन्न सेक्शनों के प्रधान लिपिक पद पर वरीयता को लात मार कर 4-4, 5-5 लोगों से कनिष्ठ लिपिक का प्रधान लिपिक का प्रभार दिये हुये हैं और ये सभी लोग इनके स्वजातीय श्रीवास्तव जाति के हैं और मिली-जुली भगत स्थापित कर जनपद देवरिया के अन्दर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मद में व्यय होने वाले सरकारी धन और संशोधन का खुलकर आहरण कर रहे हैं। विगत वर्ष में 85 लोगों का स्थानान्तरण किये, 83 लोगों को निरस्त कर दिया। अगर निरस्त ही करना था, तो स्थानान्तरण करने का क्या औचित्य था। इस प्रकार भी स्थानास्तरण के माध्यम से अनुचित धन का लाभ लिया गया है। वार्ड ब्वाय की नियुक्ति करते समय 5-5 हजार रुपया मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया ने अनुचित ढंग से लेकर नियुक्ति की है।

[इस समय 4 बजकर 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।]

मान्यवर, अगस्त, 1980 से नसबन्दी कराये केसों को 30 रुपया अतिरिक्त प्रोत्साहन धन देने का शासनादेश हुआ था जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों से आहरित न कराकर 31 मार्च, 1980 को 34 हजार रुपया मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में निकाल कर रखा लिया गया और 6 मास बाद उक्त धनराशि का प्रा० स्वा० केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों ने प्राप्त कर फर्जी वितरण दिखाकर हजम कर लिया गया है। ऐसी तमाम शिकायतें हैं। देवरिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के व्यवस्था से दुर्गन्ध आ रही है। मान्यवर, सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समान दवाइयों की सुविधा देने का निर्णय शायद माननीय मन्त्री जी ने लिया है। इसकी चर्चा अपने बजट में नहीं किया है।

श्री लोकपति--

घोषणा कर दिया।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

तब तो धन्यवाद। सेनेटरी एण्ड फूड इंस्पेक्टर के वेतनमान के निर्धारण में इनके दायित्व को ध्यान में रखकर उनका वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया। सेनेटरी इन्सपेक्टर खाद्य सामग्री का निरीक्षण करता है और दोषी पाये गये व्यक्तियों पर अपराधिक मुकदमें दर्ज करवाता है, दण्ड दिलाता है और इस प्रक्रिया में कभी-कभी उसे सफेदपोश असामाजिक लोगों के रोष का कोप-भाजन भी बनना पड़ता है और उसे देवरिया से देहरादून जाना पड़ता है। ड्रग इन्सपेक्टर पैसा और पैसाधारियों के बीच रहता है और अनुचित ढंग से पुरस्कृत भी होता रहता है। जन सामान्य के जीवन की रक्षा तो दूर, वह जन सामान्य के जीवन को खतरे में डालकर अनुचित रूप से दवाइयां बिकवाता है। और वेतनमान भी ऊंचा है। तरह-तरह ढंग से पुरस्कार भी प्राप्त करता रहता है। मान्यवर, जन सामान्य के जीवन की रक्षा जब तक खाद्य बस्तुओं क मिलावट दूर नहीं होगी होना सम्भव नहीं है। यह बजट आशंकाओं को दूर कर सम्भावनाओं को ढूंढने का प्रयास है। सम्भावना पर यह बजट है।

हम सम्भावना पर विचार करके सुझाव दे रहे हैं। परसाल भी मैंने बजट के अवसर पर कहा था सलेमपुर में एक महिला चिकित्सालय खोलने के लिये और सलेमपुर चिकित्सालय के उच्चीकृत करने के लिये। लेकिन आज तक इस विषय में कोई भी तत्परता नहीं दिखाई दे रही है। हमारे यहां का मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरकारी धन के अहरण में लिप्त है। सरकारी साधनों और ससाधनों का वह शोषण कर रहा है। जिले की प्रगति और जन स्वास्थ्य से उसका दूर का भी सम्बन्ध नहीं रहा गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने यशस्वी हाथों से सलेमपुर महिला चिकित्सालय का निर्माण करायें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

श्रीमती कमला साहनी आपको 3 मिनट का समय दिया गया है।

श्री मोहन सिंह--

यह महिला के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे मोहन और महिला में कोई फर्क नहीं मालूम होता है।

*श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करती हूं। आज जब मैंने पढ़ा कि आज स्वास्थ्य विभाग का बजट है तो सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल आया। जब अपने स्वास्थ्य का ख्याल आया तो महिलाओं की तरफ ध्यान जाना स्वाभाविक है। मैंने पिछले साल माननीय स्वास्थ्य मन्त्री से निवेदन किया था और महिला सचिव, श्रीमती लता सिंह से भी निवेदन किया था। मान्यवर, हमारे यहां शोहरतगढ़ (बस्ती) में एक मात्र महिला चिकित्सालय है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि 2 साल से निर्मित भवन में कुत्ते और गधे घूम रहे हैं किन्तु वहां कोई महिला डाक्टर नहीं है। इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि शोहरतगढ़ महिला चिकित्सालय में एक महिला डाक्टर की नियुक्ति कर दें।

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। नियम 286 में लिखा है कि कोई सदस्य ऐसी पुस्तक, समाचार-पत्र या पत्र नहीं पढ़ेंगे और न उस कार्य के अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य करेंगे, जिसका सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध न हो। मान्यवर, गृह मन्त्री ऐसा विषय और पत्र पढ़ रही हैं जिसका सदन की कार्यवाही से कोई मतलब नहीं है।

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मैं बजट देख रही हूं।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, लगता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में काफी लोग उदासीन हैं, इसलिये वह व्यवधान पैदा कर रहे हैं ।

मान्यवर, शोहरतगढ़ महिला चिकित्सालय में महिला डाक्टर की नियुक्ति के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मन्त्री से निवेदन किया था तो उन्होंने मुझे यह बतलाया था कि कोई भी महिला डाक्टर देहात में जाना स्वीकार नहीं करती है लेकिन मैं कोशिश करूंगा । इस संदर्भ में मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि जबकि 85 प्रतिशत जनता देहातों में बस्ती है और हजारों की संख्या में लड़के और लड़कियां एम० बी० बी० एस० करके निकलते हैं तो उनके साथ यह शर्त रख दी जाय कि उनको देहात में सेवा निश्चित तौर पर करना पड़ेगा जिससे यह समस्या हल हो सके ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि थाने और चौकियां बिका करती थीं लेकिन आज कल 3 सालों से यह बीमारी शुरू हो गयी है कि चिकित्सालय बिकने लगे हैं । वहां ऐसे डाक्टरों की नियुक्ति होती है जो कमा करके, गरीबों को दवा न देकर गड़बड़ घोटाला करके पैसा देते हैं । इस सम्बन्ध में मैं पहले भी कह चुकी हूं ।

मान्यवर, अब मैं मलेरिया विभाग के बारे में कहना चाहती हूं कि मैंने अपने क्षेत्र के बारे में कई कर्मचारियों के सम्बन्ध में मन्त्री जी से शिकायत किया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है । लेकिन ऐसी कई जगहे हैं जहां मलेरिया विभाग के कर्मचारी अपना काम न करके ठेकेदारी का काम करते हैं और मलेरिया उन्मूलन के बारे में ध्यान नहीं देते हैं । इसलिये मन्त्री जी इस सम्बन्ध में ध्यान दें ।

मान्यवर, मेडिकल कालेज के बारे में एक चीज मैं कहना चाहती हूं कि अब मेडिकल कालेज का अधिग्रहण तो हो ही चुका है लेकिन वहां आज भी अधिकारी और कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं । वह नियुक्ति कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं । मैंने इस बारे में माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया था और मैं पुनः निवेदन करती हूं कि आप सख्ती से नियमों का पालन कराइये और उन पर अंकुश रखें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ । मैं चाहूंगा कि आप भी नियमों का पालन करें ।

श्रीमती कमला साहनी—

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, हमारे कटौती के प्रस्ताव पर सदन के तमाम माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं । मान्यवर, यह बात पूरी बहस के दौरान साबित हो गयी कि जो बात माननीय मन्त्री जी ने रखी हैं और जो साहित्य मन्त्री जी ने वितरित कराया है उनमें आंकड़ों का एक जाल जैसा फैलाया गया है । मैं आपका ध्यान स्वास्थ्य समीक्षा के पृष्ठ 15 पर ले जाना चाहता हूं इसमें लैब टेक्नीशियन्स के प्रशिक्षण की बात

कही गयी है। 5 केन्द्र स्थापित हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 200 है। अगर स्वास्थ्य मन्त्री जी को जानकारी हो तो बता दें कि लैब टेक्नीशियन्स का सेलेक्शन हुआ है या नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है गत 4-5 वर्षों से इनका सेलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन प्रशिक्षण केन्द्र कायम है।

मान्यवर, इसी तरह से फार्मेसिस्टों के बारे में पेज 16 पर बताया गया है कि मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, आगरा में इनके लिये प्रशिक्षण केन्द्र हैं। मान्यवर, मेरठ के बारे में निर्णय लिया गया था कि एक साल की मान्यता दे दी जायगी और एक साल की मान्यता शर्तों के साथ दी जायगी। वह शर्तें नहीं पूरी कर पाये लेकिन भर्ती की गयी है उनका भविष्य क्या होगा कुछ पता नहीं है। चारों प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये एक लाख रुपये का बजट प्राविधान किया गया है। इसी तरह से बर्थ-डेथ रजिस्टर गांवों में नहीं दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होती है लेकिन कई साल बीत गये हैं बर्थ और डेथ रजिस्टर मेनटेन करने के लिये कोई कार्यवाही विभाग की तरफ से नहीं की गयी है। अगर जन्म-मृत्यु के आंकड़े नहीं हों तो किसी तरह की प्लानिंग होगी या नहीं इसका निर्णय मंत्री जी स्वयं करें। दूसरी बात, मंत्री जी ने किंग जार्ज मेडिकल कालेज, संजय गांधी इंस्टटीट्यूट के सिलसिले में अनुभव बटोरने के बारे में कहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस सिलसिले में दूसरों के अनुभव बटोरने के लिये जब हमारे प्रदेश के जिम्मेदार उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में प्रतिनिधि जाते हैं, मान्यवर, अखबारों में खबर छपती है कि पंचतारा होटलों में पिकनिक मनायी जा रही है या रिपोर्ट इकट्ठी की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जो 6 लाख रुपये का खर्च किया गया है उसकी छानबीन करायें ताकि जनता की गाढ़ी कमायी का दुरुपयोग पिकनिक मनाने पर न खर्च किया जाय। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान हरदोई जनपद की समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। हरदोई जिले में एक नेत्र चिकित्सालय है, जिसको गन्ना समिति की ओर से चलाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप उत्तर दे रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

सुझाव दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

सुझाव आप पहले दे चुके हैं, अब आप उत्तर दे रहे हैं।

श्री भोला पाण्डेय--

मान्यवर, विदेश दौरे में मा0 मन्त्री जी तो गये नहीं थे, कौन गया था, उसका स्पष्टीकरण करवा दें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं उसे बताना ठीक नहीं समझता हूं। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि उस नेत्र चिकित्सालय में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। हरदोई के नेत्र चिकित्सालय के बारे में भी एक बार विचार कर लें। मल्लावां कस्बा है, वहां पर एक अस्पताल जिला परिषद् की तरफ से चलाया जा रहा है, उसका भी प्रान्तीयकरण करने के बारे में मा0 स्वास्थ्य मन्त्री जी विचार कर लें। वहां पर एक महिला चिकित्सालय भी है, जहां पर उचित व्यवस्था नहीं है।

गोरखपुर में भी इसी तरह से एक अस्पताल है--बिभुनीपुरा राजकीय चिकित्सालय, जहां पर कोई डाक्टर नहीं है। अस्पताल हेतु उपलब्ध भूमि पर अस्पताल व निवास भवन अब तक नहीं बनवाया गया है। जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के ग्राम परसाराजा के 36 ग्रामवासियों को एक पागल कुत्ते ने माह मई/जून, 1981 में एक ही रात में काटा, इनमें से अधिकांश जिला चिकित्सालय गोरखपुर में भर्ती हुए। मात्र दो दिन दवा चली और इन लोगों को जबरन घर भेज दिया गया कि अस्पताल में दवा नहीं है। दो महिलाएं घर जाकर चिल्ला-चिल्लाकर मर गईं। पुनः अस्पताल नहीं बुलाया गया। क्षेत्रीय विधायक श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने तार द्वारा मन्त्री जी को सूचना दिया था एवं पत्र भी लिखा था लेकिन कुछ किया नहीं गया।

अन्त में, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में जो विचार प्रस्तुत हुए हैं, उससे यह भावना और दृढ़ हो जाती है कि हमारी कटौती का प्रस्ताव ठीक है और माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी इस पर फिर विचार कर लें।

परिवार कल्याण पर 8 करोड़ रुपये का खर्चा है, 5 करोड़ रु0 से ज्यादा भवन निर्माण पर पूंजीगत व्यय कर रहे हैं। पूंजीगत व्यय विकास कार्यों में होता है, पूंजीगत व्यय में इसको नहीं दिखाया जाना चाहिये था। 5 करोड़ रु0 अगर 8 करोड़ में से खर्च कर देंगे तो परिवार कल्याण के लिये क्या रह जायगा। इस धारणा को दृढ़ मानता हूं कि यह कटौती का प्रस्ताव समयोचित है, उचित है और मा0 सदस्यों की भावनाओं के अनुकूल है। पुनः सदन से और मा0 स्वास्थ्य मन्त्री जी से अपेक्षा करूंगा कि कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

श्री लोकपति--

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं मा0 वर्मा जी का जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत कर चर्चा करने का एक मौका दिया और इस कटौती के प्रस्ताव में कितना दम है, प्रजातांत्रिक पद्धति के अन्दर तो आवश्यक है मगर उसमें दम कितना है, वह आखिर में जब मा0 वर्मा जी अपने भाषण का समापन कर रहे थे तो आ गया कि हरदोई में एक अस्पताल है उसका प्रान्तीयकरण कर दीजिये। कुछ बिन्दु उठाये गये, उन बिन्दुओं की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आगरा मेडीकल कालेज की दुर्व्यवस्था की चर्चा हमारे मा0 सदस्य डा0 कौशल ने की। पारसाल उस पर कुछ कार्यवाही की गयी थी और न्यायालय द्वारा जिनके ऊपर कार्यवाही की गयी थी, वह फिर कालेज में आ गये। मुझे कोई शिकायत नहीं है, न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य है लेकिन फिर वहां पर शिकायतें शुरू हो गयी हैं और वहां पर सी0 आई0 डी0 इनक्वायरी के आदेश दे दिये गये हैं।

परिवार कल्याण के बारे में मैं सदन का आभारी हूं। हमारे विरोधी पक्ष से भी और शासक दल की ओर से भी परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रगति देने के लिये, इसको बढ़ाने के लिये जो भावनायें यहां पर प्रकट की गयी हैं, उससे मैं सहमत हूं। एक चीज हो गयी मान्यवर, कि एक गाड़ी जो बहुत तेज रफ्तार से चली जा रही है तो उसे एकाएक ब्रेक लगा देने से गाड़ी गिर जाने का खतरा रहता है और वही हुआ कि गाड़ी गिर कर चूर-चूर हो गयी। हमारे देश की और प्रदेश की ऐसी ही स्थिति है। आज एक माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र का हवाला दिया। मुझे खुशी है कि पुनः परिवार कल्याण की कमी को हमारे प्रदेश के लोग महसूस कर रहे हैं, यह शुभ लक्षण है। मैं कोई दलगत भावना से यह बात नहीं कर रहा हूं परन्तु जिन प्रदेशों में परिवार कल्याण में रोक नहीं लगी उसमें महाराष्ट्र नम्बर 1 पर है और हमारे उत्तर प्रदेश का नम्बर 18 पर आता है। इसका कारण क्या है? परिवार नियोजन इस राज्य का एक अंग बन गया था और इसका अंजाम हुआ कि परिवार नियोजन जो कि मृतप्राय हो गया था उसे परिवार कल्याण के नाम से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज बड़े गर्व की बात है कि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा सवा लाख के करीब परिवार कल्याण के अन्तर्गत नसबन्दी के आपरेशन हो चुके हैं।

अनेक सदस्य--

कोई मंत्री भी कराये है या नहीं?

श्री लोकपति--

मैंने 1969 में ही करा लिया था। अपना ही नहीं अपनी पत्नी का भी करा दिया था।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी, आप यह एक्सप्लेनेशन उनको अकेले में दे सकते हैं।

श्री लोकपति--

मान्यवर, आज स्थिति यह हो गयी है कि प्रदेश के जन मानस में यह भावना जगी है कि परिवार कल्याण आवश्यक है, उस आकांक्षा की पूर्ति करने में इस समय तक और आज तक हम असफल रहे। हमारे यहां लोग आ रहे हैं और वापस चले जाते हैं जिनका आपरेशन नहीं हो पा रहा है। श्रीमन्, मेरा विश्वास है कि 31 मार्च, 1982 तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिनका एक माननीय सदस्य ने स्टेपथी के नाम से संज्ञा दी। यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है।

हमारे यहां आज महिला वर्ग इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है लेकिन हमारा पुरुष का पुरुष के रूप में पीछे भाग रहा है। सवा लाख महिलाओं के आपरेशन हो चुके हैं परन्तु पुरुषों के 9 हजार हुए हैं। यह निहायत शर्म की बात है। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम से अन्तर्गत पुरुष की नसबन्दी होने से कोई पुरुष बधिया नहीं हो जाता है।

कई सदस्य—

फिर आपने अपनी पत्नी का आपरेशन क्यों कराया ?

श्री लोक पति—

इन्सान हूं । भूल-चूक तो हो ही जाती है ।

(व्यवधान)

श्रीमान्, यह भी सही है कि पुरुष संवर्गों में पिछले सालों के अनुपात में देखें तो उसमें जागृति आ रही है और लगभग वर्ष 1980-81 की तुलना में 1981-82 में दुगने पुरुष आपरेश हुए हैं । शत-प्रतिशत वृद्धि हुई है । आज प्रथम बार प्रदेश का यह महान सदन परिवार कल्याण कार्यक्रम को सर्वसम्मति से मान्यता दे रहा है इसके लिए मैं इस सदन का, उत्तर प्रदेश के निवासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं ।

मैंने बात चलायी थी और समय की कमी से खतम करना पड़ा था, दो बातें थीं---एक जितने मेडिकल कालेज हैं उत्तर प्रदेश में, प्रत्येक में स्थाई रूप से विकलांगों के लिए एक सीट आरक्षित कर दी गई है और आयुर्वेद और यूनानी कालेज 10 हैं और होमियोपैथिक के 9 हैं, में भी एक-एक सीट विकलांगों के लिए आरक्षित है । उनका चयन एक मेडिकल बोर्ड करेगा कि किस प्रकार के विकलांगों मेडिकल शिक्षा के लिए उपयुक्त पाये जायेंगे । ग्रामीण सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत अच्छी सेवा उपलब्ध हो, इसके लिए मेडिकल कलेजों देहाती क्षेत्रों से सम्बद्ध दिया गया है और मेडिकल कालेज के उन प्रोफेसरों को विदेश में अपने पत्र पढ़ने के लिए, थीसिस पर विचार करने के लिए, जाने के लिए सुविधा रहेगी शासकीय खर्चे पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेंगे । और तीसरी बात है पोस्ट ग्रेजुएशन की ह फण्ड के बारे में । जो पोस्ट ग्रेजुएशन....

श्री चेत राम गंगवार—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सभी डिवीजनल हेडक्वार्टर पर एक मेडिकल कालेज है तो मुरादाबाद और बरेली में क्यों नहीं खोलते हैं ?

श्री लोकपति—

यह सम्भव नहीं है अभी । मान्यवर, 1982-83 में प्रारम्भ कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन । इसमें भर्ती उन बालकों की होगी जिनके नम्बर कम से कम 55 प्रतिशत रहेंगे और इनकी सीधी भर्ती नहीं होगी । पहले आब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सी0 पी0 एम0 टी0 के पैटर्न पर और उस पर जो चयन होगा उसमें वही छात्र जायेंगे और इसमें जो छात्र रहेंगे उन को इस समय 450 दिया जाता है जिसे बढ़ा कर 6 सौ रुपया कर दिया जायेगा । उत्तर प्रदेश के जिलों में कार्यरत डाक्टर जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेंगे उनके लिए यह आवश्यक होगा, चाहे महिला संवर्गों में से हों चाहे पुरुष, दो साल पहाड़ पर और तीन साल देहाती क्षेत्र में, इस प्रकार 5 वर्ष जो डाक्टर काम करेगा, उसी को पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने की अनुमति दी जायेगी और स्टडी लीव दी जायेगी तथा उनके वेतन का आधा भाग पढ़ने के लिए दिया जायेगा । सीट आरक्षित रहेगा ।

बुन्देलखण्ड में नर्सेज की कमी, हमारे नर्सिंग स्कूल से जो निकलती हैं वे बुन्देलखण्ड जाने से कतराती हैं। तो यह निर्णय लिया गया कि झांसी मेडिकल कालेज में एक नर्सिंग स्कूल की स्थापना की जाये और यह भी निर्णय लिया गया है कि झांसी मेडिकल कालेज में 1982-83 के दौरान डाइलिसिस की स्थापना की जाय। माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि कैंसर के लिए क्या रहा, तो कैंसर के लिए कोबाल्ट ट्रीटमेन्ट है। झांसी मेडिकल कालेज में कैंसर के इलाज के लिये कोबाल्ट ट्रीटमेंट का इन्तजाम किया गया है। वेतन आयोग के बारे में कुछ सुझाव जो कुछ संवर्ग के लिये दिये गये हैं उस ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वर्मा जी को फार्मेसिस्ट के लिये बड़ा दर्द है। 30 परसेंट सेलेक्शन ग्रेड इनके लिये रखा गया है। नान प्रेक्टिसिंग एलाऊंस, जैसा कि डाक्टरों के लिए चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। श्रीमन्, डाक्टरों को 1800-2400 रु0 का स्केल दिया गया है, इसमें नान प्रैक्टिसिंग भत्ता नहीं जोड़ा जायेगा। डाक्टरों को जो विशेष वेतन दिया जाता है उसी विशेष वेतन को जोड़ कर ज्वायंट डाइरेक्टर का स्केल बना दिया गया है 2050-2600 रु0। का। प्रधानाचार्य नर्सिग कालेज कानपुर का वेतन क्रम 1800-2400 रु0 कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में यह अकेला पद है। आयुर्वेदिक कालेज के प्रधानाचार्य का वेतन क्रम 1840-2400 रु0 कर दिया गया है। आयुर्वेदिक निदेशक का वेतन क्रम 2400-2800 सृजित करने का विचार शासन कर रहा है। साधारण तौर पर डेन्टल डाक्टरो का वेतन क्रम 1300-1900 रु0 और सेलेक्शन ग्रेड 1250-2050 रु0 दिया गया है। आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी का पद सृजित हुआ है जो उप डाइरेक्टर के पद पर चला जायेगा, अपग्रेड हो जायेगा। चीफ फार्मेसिस्ट के पद सर्जन का जहां तक सवाल है, जिन चिकित्सालय में सुपरिटेंडेंट कार्य करते हैं उन चिकित्सालयों में चीफ फार्मेसिस्ट का पद सृजित होगा। लैब टेक्निशियन को उनके वेतन क्रम में 30 प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड का होगा।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

इसके पहले आपने समान कार्य के लिये समान वेतन देने की बात मानी है या नही ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजें।

श्री लोकपति--

लैब टेक्निशियन के लिये मैं कह रहा था कि इसमें दो संवर्ग हैं एक मेडिकल का है और एक हेल्थ का है। दोनों संवर्ग चलते रहेंगे और दोनों में सेलेक्शन ग्रेड समान रहेंगे। अब फार्मेसिस्टों की बात उठी थी, नई नियुक्तियां फार्मेसिस्टों की ढाई साल के डिप्लोमा कोर्स की बात कि ये नई नियुक्तियां होंगी इन का क्या वेतनमान रहेगा। यह शासन के विचाराधीन है।

श्रीमन्, अंत में मैं माननीय वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि जो वह जानकारी चाहते थे, जो शासन की उद्देश्य नीति चाहते थे, शासन की दिशा चाहते थे, उस की जानकारी सम्मानित सदन को हो गई। अब वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और इस को स्वीकृति प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष—

बर्मा जी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा—

सरकार दिशाहीन खुद है और उसकी दिशा कैसे साफ कर दी सदन के सामने, प्रस्ताव वापस लेने का सवाल ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,01,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20—चकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,81,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,18,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1981-82 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आप की अनुमति से वित्तीय वर्ष 1981-82 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

(अनुदान की कापियां बांटी गयीं ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

[समय 4 बजकर 59 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज आठ सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मोहन सिंह, श्री हरिवंश सहाय, श्री नंदकिशोर सिंह, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री प्रदीप कुमार यादव, डा० शिवानन्द नौटियाल की सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की गई है । इसका विषय है--दिनांक 12-2-82 को हल्द्वानी में एक हरिजन बस्ती पर हमला करके बस्ती को तहस-नहस करने के सम्बन्ध में ।...

माननीय गृह मन्त्री जी, आप कब वक्तव्य दे देंगी ?

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

श्रीमन्, 23 तारीख को हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

23 तारीख को और वक्तव्य लगे हुये हैं। इसलिये आप 24 या 25 फरवरी को रख दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, 25 तारीख को ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है । शेष सूचनाएं अस्वीकृत की गयी हैं ।

बस्ती से चल कर लखनऊ आने वाली बस के लूटे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 5-2-82 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस नं० यू० आर० ओ० 2353 गोरखपुर से आकर फैजाबाद बस स्टेशन से लगभग 18-10 बजे कानपुर के लिये रवाना हुई । लगभग 25 कि० मी० चलने के बाद बस में यात्रियों में बैठे हुए 5 व्यक्तियों ने बस ड्राइवर को देसी तमंचों एवं रिवाल्वर की मदद से रोका तथा लूटपाट प्रारम्भ की । लूट के क्रम में प्रतिरोध करने वाले श्री कल्पनाथ सोनकर, संसद सदस्य के अंग रक्षक कान्स्टेबिल जंगीदास एवं एक यात्री, जिसका नाम व पता बाद में ब्रज मोहन सिंह,

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

निवासी जनपद बाराबंकी ज्ञात हुआ, को मौके पर ही गोली मार कर हत्या कर दी गई एवं अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश के निरीक्षक श्री गुरुशरन लाल श्रीवास्तव को भी बदमाशों की गोली से काफी गम्भीर चोटें आई। लूट के दौरान शैडों कान्स्टेबिल जंगीदास की गोली से एक बदमाश भी घायल हुआ। समस्त बदमाश बस से उतर कर ड्राइवर को बस भगा ले जाने को कहते हुए भाग गए। लुटेरे अपने साथ बस में बैठे हुए यात्रियों से लूटा हुआ सामान, कम्बल, घड़ियां, अंगूठी तथा नकदी के अतिरिक्त कारतूसों सहित अपराध शाखा के निरीक्षक श्री गुरु शरन लाल श्रीवास्तव एवं शैडों कान्स्टेबिल जंगीदास के रिवाल्वर भी लेते गए। घायल श्री गुरु शरन लाल श्रीवास्तव की गम्भीर अवस्था होने के कारण एक प्राइवेट कार से उन्हें अस्पताल लाया गया तथा उक्त रोडवेज बस द्वारा मृतक कान्स्टेबिल श्री जंगीदास तथा श्री ब्रज मोहन के शव सभी यात्रियों के साथ अस्पताल पहुंचाये गये। इस बस में श्री कल्पनाथ सोनकर, सांसद जनपद बस्ती, उनके अंगरक्षक श्री जंगीदास के अतिरिक्त 31 यात्री बैठे थे।

घटना की सूचना मिलते ही जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा घायलों एवं पीड़ितों के उपचार हेतु अस्पताल में समुचित व्यवस्था कराई। मृतक का पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम कराया गया। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक की देख-रेख में मामले की विवेचना तत्परता से प्रारम्भ की गयी जिसके फलस्वरूप कान्स्टेबिल जंगीदास की रिवाल्वर से घायल अभियुक्त घटना स्थल से कुछ दूर ग्राम सैदपुर, थाना रौनाही, के जंगल में एक रिवाल्वर के खोल, बस कन्डक्टर के कुछ कागजात (वे बिल) एक देशी तमन्चा तथा दो कारतूस सहित बन्दी बनाया गया। उसने अपना नाम चन्द्र प्रकाश दुबे पुत्र छोटे लाल, निवासी ग्राम कटिया भिखारीपुर, थाना मल्लावां, जिला हरदोई तथा वहीं से आये अपने साथियों के विषय में बताया। उसे भी चिकित्सा हेतु अस्पताल भेजा गया जहां दिनांक 6-2-82 की शाम लगभग 8.30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। विवेचना से अभियुक्त द्वारा इंगित मार्ग पर कुछ करेन्सी नोट तथा कागजात, एक चांदी की अंगूठी आदि भी मिले हैं। जांच के दौरान लूट से सम्बन्धित उक्त बस में कारतूस का खोखा एवं एल सीट के नीचे मृतक श्री ब्रज मोहन सिंह के शव के पास सं0 5730 के सौ-सौ तथा 10-10 के नोट, एक रिवाल्वर के कारतूस के आगे का हिस्सा, कुछ सिक्के, टिकट तथा मृतक शैडों का थैला भी बरामद हुआ है।

इस घटना से प्रभावित सांसद श्री कल्पनाथ सोनकर, जिनको कोई शारीरिक चोट नहीं थी परन्तु मानसिक रूप से काफी परेशान थे, को अस्पताल में विश्राम एवं घबराहट दूर करने के उपचार हेतु रखा गया। सदर अस्पताल में भर्ती होकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के पश्चात् वे दिनांक 7-2-82 को बस्ती चले गये। घायल श्री गुरु शरन लाल श्रीवास्तव को मेडिकल कालेज, लखनऊ स्थानान्तरित किया गया जहां दिनांक 11/12 फरवरी की रात लगभग 2 बजे उनकी मृत्यु हो गई।

उपर्युक्त घटना की राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त बस के परिचालक श्री अमर नाथ सिंह की लिखित सूचना पर थाना कोतवाली में अपराध धारा 396 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत लिखा गया लेकिन घटनास्थल थाना रौनाड़ी, जनपद फैजाबाद में होने के कारण इसे उक्त थाने को हस्तान्तरित कर दिया गया जहां उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध संख्या 53/82 धारा 396 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ है। विवेचना तत्परता से की जा रही है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीया गृह मन्त्री से जानना चाहता हूं सम्भवतः उन्हें स्मरण होगा कि श्री कल्पनाथ सोनकर, सांसद जब एक बार दिल्ली-लखनऊ मेल से जा रहे थे, तो इसी तरह की घटना उनके साथ हरदोई में हुई थी और कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसकी खबर समाचार-पत्रों में भी आई थी कि वह डाकू बिहार के रहने वाले हैं। तो उन्हीं सांसद के साथ बस में भी यह घटना हुई और अभियुक्त का जो नाम बताया है वह संयोग से हरदोई का है। उस अभियुक्त से इन्टरोगेशन किया होगा उसके पश्चात् इस बात के सूत्र मिले होंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह घटना जो रेल में हुई और फिर बस में हुई तो क्या इसमें यह तथ्य सामने आये हैं कि वही तत्व इसमें भी थे, क्या कोई इस तरह के तथ्य इन्टरोगेशन के जरिये आये हैं ?

दूसरा आपने कहा कि 5 हजार रु0 से अधिक की रकम बरामद हुई तो जिन लोगों ने अपनी रिपोर्ट लिखवाई जिसमें 31 पैसेंजर्स का सामान लूटा गया तो उन्होंने कितने सामान छीने जाने की रिपोर्ट लिखाई है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, विवेचना तत्परता से हो रही है और जो 29 अप में दुर्घटना हुई जिसमें माननीय कल्पनाथ सोनकर थे उस पर फौरन कार्यवाही हुई और आपको मालूम होगा कि एक तरह से रिकार्ड है कि 6 घंटे के अन्दर डकैत पकड़े गये और माल बरामद हुआ। अब यह जो घटना हुई है, इसकी विवेचना जारी है। इस घटना का उस घटना से क्या इन्टरलिंक है इस विषय में जो भी जानकारी होगी माननीय सदस्यों के सम्मुख पेश कर दी जायेगी। अभी तो विवेचना हो रही है जो कि कांफिडेंशियल है।

श्री मोहन सिंह--

रिपोर्ट के बारे में पूछा था कि जो पेसेंजर्स ने चोरी के बारे में लिखाई वह क्या थी ? कितने सामान की थी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जो रिपोर्ट लिखाई गयी वह परिचालक ने लिखाई है यह घटना 7 बजे लगभग शाम को हुई।

श्री उपाध्यक्ष--

यह पूछ रहे हैं जो सामान की रिपोर्ट लिखाई वह क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बता रही हूं।

श्री मोहन सिंह--

इसमें भी कन्ट्राडिक्शन दिया गया है।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं बता रही हूं जो यात्री ट्रेवल कर रहे थे उनके सामान के बारे में जो कि लूटा गया है---2,660 रुपया नकद था, एक बैंक ड्राफ्ट 7 हजार रुपये का था, एक घड़ी आई0 एस0 टी0 कम्पनी की, सफेद केस, कीमत 200 रुपया। एक घड़ी एच0 एम0 टी0, एक घड़ी कोहेनूर, एक सोने की अंगूठी, एक अदद कम्बल, एक रिवाल्वर 455 बोर, एक रिवाल्वर नं0 570463, 30 राउन्ड कारतूस की, आदि। यह सामान वहां पर लूटा गया है।

श्री भीखालाल--

मन्त्री जी ने अभी बताया कि जो घायल बदमाश बाद में मर गया था, उसने अपने चार साथियों के बाबत बताया था, जो हरदोई का था और हरदोई के साथियों के बारे में उसने बताया था, तो करीब 10 दिन हुए, उन चार में से अब तक कितने आदमी पकड़े गये हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

पूरा प्रयास हो रहा है। एक डकैत जो जंगल म घायल पड़ा था, उसकी छानबीन करके फौरन पकड़ा गया और मैं सदन को यह विश्वास दिलाती हूं कि जो बाकी डाकू हैं वह भी तुरन्त पकड़े जायेंगे और यह भी मेरा पूरा विश्वास है कि हम तुरन्त उनको पकड़ कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

अभी तो मैं पुराना एरियर साफ कर रही हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या वह यह बताने की कृपा करेंगी कि जो आदमी पकड़ने को शेष हैं यानी फरार हैं, उनके खिलाफ उनकी सम्पत्ति की कुर्की के लिए क्या दफा 82 व 83 की कार्यवाही की गई है ? यदि की गई है, तो कब की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहती हूं कि माननीय विधायक जो वाकई में इतने चिंतित हैं, मुझे खुशी हुई कि आप इस डकैती के मामले में इतने चिंतित हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि शीघ्र ही इन लोगों को पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने में हम किसी तरह से पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती कि यदि माननीय सदस्य प्रश्न पूछने से पहले दो शब्द आंसू मिश्रित यहां पर कह देते जिसने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी से डाकुओं का सामना किया है अपने यात्रियों की रक्षा करने के लिए····

(व्यवधान)

मैं तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, मां होने के नाते····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप भी बिना बुलायें बोलने लगते हैं।

श्री भीखालाल—

गत तीन वर्षों में जो रात्रि सेवा की बसें हैं, उनमें डकैतियों की बहुत वारदातें हो रही हैं उनको देखते हुए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है यात्रियों की सुरक्षा के लिए ? क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने की सोचेगी जिससे बसों में डकैतियां पड़नी बंद हों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं माननीय सदस्य एवं अन्य साथियों की बहुत कृतज्ञ हूं कि शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, मैं उनको विश्वास दिलाती हूं कि इन डकैतियों को कम करने में यह शासन पूरा प्रयास करेगा । जो गत 3 वर्षों में यहां पर अराजकता फैली थी उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद—

मान्यवर, यह घटना मेरे क्षेत्र से 3 किलोमीटर की दूरी पर घटित हुई थी। इस वक्तव्य में कहा गया है कि "ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक की देख-रेख में मामले की विवेचना तत्परता से प्रारम्भ की गयी जिसके फलस्वरूप कान्सटेबिल जंगीदास की रिवाल्वर से घायल अभियुक्त घटना स्थल से कुछ दूर ग्राम सैदपुर, थाना रोनाही के जंगल में एक रिवाल्वर के खोल, बस कंडक्टर के कुछ कागजात (वे-बि) एक देशी तमन्चा तथा दो कारतूस सहित बन्दी बनाया गया ।" यह सरासर झूठ है ।

(व्यवधान)

हुआ यह था कि जब शंडो ने उसे गोली से मार दिया तो डकैत उसे पकड़ कर ले जा रहे थे तो यह समझकर कि वह मर गया उसको कुछ दूरी पर अरहर के खेत में छोड़ गये लेकिन चूंकि वह जिन्दा रहा तो तलाश करने पर गांव वाले उसको वहां पर ले गये और 4 घंटे बाद वहां पर पुलिस भेजी गयी । मुझे अफसोस है कि गृह मंत्री जी ने यह वक्तव्य दिया ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह तो मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं जो वे अब बता रहे हैं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

उस मृतक डाकू ने सारे मुल्जिमों के नाम बता दिए तो क्या कारण है कि अभी तक उन लोगों को, जिनके नाम पुलिस डायरी में हैं, उनको नहीं पकड़ा गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

पहले प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया कि पुलिस के आदमी ने गोली मारी थी। मैं कब कह रही हूं कि····

(व्यवधान)

श्री राम कुमार भार्गव--

श्री कल्पनाथ सोनकर जो संसद सदस्य हैं, वे एक थानेदार को स्थानान्तरित कराने के सम्बन्ध में अनशन पर बैठे थे और स्थानान्तरण शहर के किसी थाने या कोतवाली में कर दिया गया था तो उसने धमकी दी थी कि तुम्हें देख लेंगे। तो लोगों की भावना है कि इस मामले में उनकी साजिश हो सकती है। तो क्या इस बिन्दु पर भी विवेचना हो रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो जांच में बिन्दु सामने आयेंगे और जो दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(श्री प्रदीप कुमार यादव को पुकारे जाने पर)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मेरा और विरोध पक्ष में कोई मतभेद नहीं है, वे भी चाहते हैं दंडित हों डाकू लोग, हम भी यही चाहते हैं, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, आखिर अब यह झगड़ा किस बात का है ?

(हंसी)

श्री मोती लाल देहलवी--

(व्यवधान)

यह इस प्रदेश का सौभाग्य है कि यह गृह मंत्री हैं....

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह मां और बेटे का झगड़ा हो सकता है, मियां बीबी का नहीं....

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन शैडो और सी० आई० डी० इन्सपेक्टर ने अपने कर्तव्य का पालन किया और अपनी बलि दे दी, उनके दुखी परिवार वालों को कोई आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

देर आये दुरुस्त आये, आपको उनका ख्याल तो आया। मैं मान्यवर, विश्वास दिलाती हूं कि उनके परिवार वालों को हम अधिक से अधिक संरक्षण देंगे, उनको फैमिली पेंशन मिलेगी, उनकी विधवाओं को, और उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का प्रबन्ध होगा तथा उन्हें नौकरी भी दिलाने की व्यवस्था की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो और चार अपराधी बैठे थे बस में, वह कहां से बैठे थे और बैरियर पर क्या उनके सामान की चेकिंग आदि हुई थी जैसी कि होती है यात्रियों के सामान की ? पुलिस वालों ने वह की थी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

विवेचना अभी जारी है । बहुत सी बातें कान्फीडेन्शियल होती हैं, आपके पास अगर कोई सूचना हो तो आप बता दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायं ।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस प्रश्न पर एक वक्तव्य माननीया गृह मंत्री जी ने दे दिया और इतने प्रश्न भी हो चुके हैं, आखिर अब कितनी देर तक यह चलता रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसके लिए आप कोई रोक नहीं लगा सकते हैं, व्यवस्था यही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, एक यात्री जिनका नाम व पता बाद में मालूम हुआ कि वह ब्रज मोहन सिंह, निवासी जनपद बाराबंकी था, मौके पर हत्या कर दी गयी और अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश के निरीक्षक श्री गुरुशरन लाल श्रीवास्तव को भी बदमाशों की गोली से गम्भीर चोटें आई । लूट के समय शैडो कांस्टेबिल जंगीदास की गोली से बदमाश भी घायल हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न क्या करना चाहते हैं ?

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मेरा यह प्रश्न है कि जो सरकारी लोग थे, उनको तो सुरक्षा दी जाने की बात माननीया मंत्री जी ने कही, लेकिन जो ग्रामीण यात्री का शव पाया गया, जिसके बारे में बाद में शिनाख्त होने पर पता चला, वह व्यक्ति जो अपने परिवार को छोड़कर दिवंगत हो गया, उसके परिवार की सुरक्षा की भी तो सरकार की जिम्मेदारी है । उसके बारे में शासन ने कुछ नहीं कहा, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह यह जानना चाहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, उसके लिए शासन क्या सोच रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, उसके ऊपर हम विचार करेंगे कि उसकी विधवा को हम किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। इसके बारे में अवश्य हम विचार करेंगे, मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री हरदेव--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है मेरा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने भी उठाया है। आप व्यवस्था पर व्यवस्था उठा रहे हैं? आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण वक्तव्य पर जो प्रश्नोत्तर हुए हैं, हमारे नियमों में व्यवस्था यह है कि संगत प्रश्नों का संगत उत्तर दिलाने की व्यवस्था मान्यवर, करेंगे। अब मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि कुर्की हुई कि नहीं? माननीय भीखा लाल जी ने पूछा कि रात्रिकालीन सेवाओं में असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है, क्या सरकार ने उसकी रोक-थाम के लिए कोई प्रयास किया? उत्तर माननीया मंत्री का हो रहा है कि भविष्य में ऐसा करूंगी। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि हम लोगों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर संगत हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मैंने जो प्रश्न किया, उनका उत्तर आश्वासनों में दिया गया। मान्यवर, मैंने प्रश्न किया कि कुर्की हुई कि नहीं और माननीय भीखा लाल ने प्रश्न किया कि बसों में कोई सुरक्षा का नया प्रयास किया गया कि नहीं। मान्यवर, किसी के प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं दिया गया।

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

श्रीमन्, यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, सवाल जो आया था, जिसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया। दिनांक 4-5 फरवरी की रात में बस्ती से चल कर लखनऊ आने वाली बस के लूटे जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य श्रीमन्, जो सूचना मिली, इसके बारे में उत्तर दिया गया। अब श्रीमन्, आप पूछते हैं कि उस मुलजिमान के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, कब गिरफ्तारी हुई? इसके बारे में उसके आगे क्या उत्तर दें।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, नियम 3 देखें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिराजें। आप बिना इजाजत बोल रहे हैं।

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये ।)

(व्यवधान)

(श्री मित्रसेन के खड़े होने पर)

माननीय मित्रसेन, आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

मैं न्याय मंत्री के कथन के विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मित्रसेन ने वक्तव्य की प्रति फाड़ी और सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो प्रश्न उठाया व्यवस्था का वह ठीक है अपनी जगह पर । यह बात सही है कि प्रश्नों के उत्तर ठीक नहीं आये और जब न्याय मंत्री ने इन्टरवीन किया तो मैंने समझा कि कुछ सामने आयेगा । जब अध्यक्ष पीठ से कोई प्रश्न स्वीकार किया जाय तो उसका उत्तर सही आना चाहिये और ऐसा उत्तर आना चाहिये कि प्रश्नकर्त्ता सन्तुष्ट हो । मैं समझता हूं कि गुप्त जी द्वारा जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, वह ठीक है और उनके प्रश्नों का उत्तर ही सामने नहीं आया । श्री भीखालाल के प्रश्न का उत्तर नहीं आया । भविष्य में शासन इस बात पर ध्यान दे कि जब भी ऐसे बयान आवें, उन बयानों से सम्बन्धित प्रश्न जब हों तो उनका समुचित उत्तर आना चाहिये ।

विधान सभा सदस्य, श्री अकबाल हुसैन की रिहाई की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

एक सूचना सदन को देनी है । पुलिस अधीक्षक, गोण्डा ने अपने वायरलेस सन्देश, दिनांक 12 फरवरी, 1982, जो 15 फरवरी, 1982 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री अकबाल हुसैन, सदस्य, विधान सभा (गोंडा) की जमानत हो गयी और वे दिनांक 12 फरवरी, 1982 को जेल से रिहा कर दिये गये ।

अधीक्षक, जिला कारागार, गोण्डा ने भी उक्त माननीय सदस्य को 12 फरवरी, 1982 को 6-50 बजे अपराह्न रिहा किये जाने की सूचना भेजी है ।

श्री अकबाल हुसैन, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी तथा उन्हें कारावासित किये जाने की सूचना सदन में दिनांक 15 जनवरी, 1982 के उपवेशन में दी जा चुकी है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981

[समय 5 बजकर 33 मिनट]

श्री गौरी शंकर भैय्या--

श्रीमन्, मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 का अननुमोदन करता है ।

[श्री गौरीशंकर भैय्या--]

श्रीमन्, जब से विधान सभा का सत्र शुरू हुआ है आप देख रहे हैं, एक श्रृंखला चल रही है अध्यादेश के लाने की। यह बात बहुत ही गलत है जब हाऊस होने वाला हो, विधान मंडल का सत्र प्रारम्भ होने वाला हो तो इस प्रकार अध्यादेश जारी करना नितान्त आपत्तिजनक बात है।

श्री उपाध्यक्ष--

गौरी शंकर भैय्या, मैं सुन नहीं पा रहा हूं।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

यह तो इतनी ही आवाज कर रही है। मान्यवर, मैं कह रहा था जब विधान सभा का सत्र आहूत कर लिया गया हो उस समय अध्यादेश का जारी करना नितान्त आपत्तिजनक बात है। मान्यवर, यह लोकतन्त्र के विपरीत बात है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 20 में कुलाधिपति को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित चार व्यक्तियों को कार्य-परिषद् का सदस्य नाम निर्दिष्ट करने की व्यवस्था है। ऐसे नाम निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष था। कार्य परिषद् के ऐसे चार नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय के विकास में किये गये योगदान का पुनर्विलोकन पहले करना आवश्यक समझा गया और इसलिये ऐसे नाम निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष से घटा कर दो वर्ष करना वांछनीय समझा गया। तो मान्यवर, 1973 के अधिनियम के अनुसार 3 साल के लिये लोगों को नामजद जनता सरकार के समय में किया था जिसको हटाने के लिये आप अध्यादेश लाना चाहते हैं। इसलिये मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक वर्ष का इंतजार कर सकते थे और कार्यकाल पूरा होने पर आप अपने लोगों को नामजद कर सकते थे अब 6 महीने का समय बचा है और उनको हटाकर आप लोगों को नामजद करना चाहते हैं, इसलिये मैं मान्यवर, आपसे मांग करता हूं कि माननीय सदन इस अध्यादेश को रखने की इजाजत न दे।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसमें 1973 का जो विश्वविद्यालय अधिनियम था उसमें प्राविधान था कि कुलाधिपति द्वारा 4 व्यक्तियों को नामित किया जायेगा, उनकी अवधि 3 साल होगी, इस संशोधन से 2 वर्ष कर दी गयी है। इससे जिनका नामिनेशन होता है उनको देखने में कि विश्वविद्यालय में किस प्रकार कार्यकलाप रहे हैं और उनका क्या कांट्रीब्यूशन रहा है उसका मूल्यांकन करने में आसानी होती है। इसलिये यह बहुत छोटा सा संशोधन है जो पेश किया गया है।

मान्यवर, जो श्री गौरी शंकर भैय्या ने कहा कि इसमें हटाने की बात है तो ऐसी बात नहीं है बल्कि केवल यह बात है कि जो नामिनेटेड हैं उनका समय 3 साल के बजाय 2 साल कर दिया जाय, यह प्रजातांत्रिक कदम है जिसका स्वागत करना चाहिये। मान्यवर, विरोधी दल के माननीय सदस्यों से और सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें और इसको स्वीकार करें।

श्री गौरी शंकर भैया--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि यह लोकतांत्रिक कदम है तो मैं इसको नहीं समझ पाया कि नामजद करना भी लोकतन्त्र के अन्दर आता है। मान्यवर, नामजद करने की परम्परा यह डाल रहे हैं कि जो कि लोकतंत्र के विपरीत है। 3 साल उनको काम करने का मौका आप देंगे तो उनके बारे में अधिक पता चलेगा। अब उनको एक साल जो बचा था लेकिन उससे पहले ही उनको आप हटाना चाहते हैं। हटाने के लिये कोई दूसरा तरीका नहीं था, इसलिये आप अध्यादेश के जरिये कर दिये कि उनसे छुटकारा मिल जाय। यह गलत बात है। इसलिये मैं अपने संशोधन पर जोर देता हूं।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं निवेदन करता हूं कि जो अधिनियम है वह विधान परिषद् के सामने रखा गया। वहां पारित हुआ। वहां आप जानते हैं कि शिक्षा के मामले में बड़ा सूझबूझ का काम होता है और इसमें राजनैतिक कोई बात नहीं है। केवल इसमें समय कम किया गया है ताकि शिक्षा में सुदृढ़ीकरण किया जा सके और विश्वविद्यालय सम्बन्धी जो फैसले हैं उनका निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाय। केवल यही बात है इसलिये माननीय सदस्यों को इसको स्वीकार करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2 व 3

2--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 20 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(2) उपधारा (1) के--

(एक) खण्ड (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी;

(दो) खंड (च) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी; और

(तीन) खंड (छ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1974 द्वारा यथा-संशोधित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973 की धारा 20 का संशोधन

वर्तमान सदस्यों पर यथासंशोधित धारा 20 की उपधारा (2) का लागू होना

3--जहां कार्य परिषद् के किसी सदस्य को, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी समय मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट किया गया हो और--

(क) ऐसे सदस्य ने अपने नाम निर्देशन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो, वहां वह ऐसे प्रारम्भ के दिनांक पर उक्त परिषद् का सदस्य न रह जायगा;

(ख) ऐसे सदस्य ने अपने नाम निर्देशन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि पूरी न की हो, वहां वह उक्त दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर उक्त परिषद् का सदस्य न रह जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 और खंड 3 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 4

निरसन और अपवाद

4--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, सन् 1981

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 के वर्तमान खंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय--

निरसन और अपवाद

"4--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20, सन्, 1981

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या उक्त अध्यादेश के किसी उपबन्ध के अनुसरण में, कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस

अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

श्री अम्मार रिजवी--

यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय--

"4--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश, सं० 20, सन् 1981

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, या उक्त अध्यादेश के किसी उपबन्ध के अनुसरण में, कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।" — निरसन और अपवाद

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

(2) यह 8 जुलाई, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खंड 1 के उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा दिय जाय।

"(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।"

श्री अम्मार रिजवी--

जो संशोधन श्याम लाल वाजपेयी जी ने प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड 1 के उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय --

"(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इस के बाद सदन 5 बजकर 46 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
15 फरवरी, 1982।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1379 पर)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, देवरिया के उप मण्डी स्थल, भाटपार रानी एवं भटनी में विभिन्न व्यापारियों पर मण्डी शुल्क की वसूली/अवशेष की स्थिति का विवरण :

क्रम संख्या	फर्म का नाम	दिनांक 31-12-81 तक लगाये गये मण्डी शुल्क की धनराशि	दिनांक 31-12-81 तक वसूल की गयी मण्डी शुल्क की धनराशि	
1	2	3	4	
	भाटपार रानी			
1	मे0 संगम राम शारदा प्रसाद	52,378·84	1,472·49	भाटपार रानी की 7 फर्मों के विरुद्ध वसूली जिलाधिकारी को वसूली प्रमाणपत्र भेजकर बकाया लगान की वसूली की प्रक्रिया के अन्तर्गत करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त एक फर्म का चालान किया गया है और 7अन्य मामलों में मण्डी समिति द्वारा नोटिस दी गयी है
2	मे0 कन्हैया लाल जैसवाल	30,893·58	6,883·58	
3	मे0 अशोक कुमार संजय कुमार	14,812·79	660·29	
4	मे0 जायसवाल ग्रेन एजेन्सी	28,615·22	5,674·07	
5	मे0 विभूति प्रसाद जायसवाल	39,448·28	11,498·64	
6	मे0 गुलाब चन्द्र राजेश कुमार	14,196·43	3,515·88	
7	मे0 प्रभुशंकर गुप्त	16,042·71	4,478·11	
8	मे0 हरिहर प्रसाद गनेश प्रसाद	35,560·12	30,966·37	
9	मे0 जग्गीलाल गुप्ता	1,713·64	191·64	
10	मे0 ज्वाला प्रसाद राजकुमार	10,963·81	10,963·81	

1	2	3	4	
11	मै0 पृथ्वी चन्द्र कन्हैयालाल	1,553·61	1,553·61	
12	मै0 गोपीनाथ मारवाडी	7,203·65	7,203·65	
13	मै0 रामनाथ प्रसाद जायसवाल	8,556·39	8,556·39	
14	मै0 झब्बूलाल विश्वनाथ प्रसाद	12,070·45	12,070·45	
15	मै0 लल्लन प्रसाद गुप्ता	31,344·46	29,670·96	
16	मै0 बल्देव प्रसाद	968·86	969·86	
17	मै0 जगदीश प्रसाद दीपक कुमार	7,704·51	7,704·51	
18	मै0 आसुतोष कुमार अखिलेश कुमार	795·00	630·26	भाटपार रानी की 7 फर्मों के विरुद्ध वसूली जिलाधिकारी को वसूली प्रमाणपत्र भेजकर बकाया लगान की वसूली की प्रक्रिया के अन्तर्गत करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त एक फर्म का चालान किया गया है और 7 अन्य मामलों में मण्डी समिति द्वारा नोटिस दी गयी है।
19	मै0 विजय कुमार राम कुमार	713·75	713·75	
20	मै0 गोबरधन प्रसाद मुरलीधर	987·67	987·67	
21	मै0 गोरखनाथ कृपाशंकर	543·81	543·81	
22	मै0 इन्द्र कुमार कोंडिया	1,719·42	1,719·42	
23	मै0 शारदा प्रसाद बच्चा प्रसाद	7,929·49	7,693·49	
4	मै0 बीरेन्द्र कुमार अशोक कुमार	6,124·41	5,464·41	
25	मै0 भारत ट्रेडिंग कं0	311·70	311·70	
26	मै0 विजय कुमार	256·00	..	
	योग ..	3,41,409·60	1,62,098·	

1	2	3	4
	भटनी		
27	मै0 सुकुन्दीलाल	1,053·29	1,053·29
28	मै0 भेसराम	1,308·39	1,308·39
29	मै0 बाबूराम मोहनलाल	4,165·36	4,165·36
30	मै0 नरायन प्रसाद गुप्ता	1,282·52	1,282·52
	योग ..	7,809·56	7,809·56
	कुल योग ..	3,49,219·16	1,69,907·98

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1388 पर ।)

सूची—1

भंडरा तालाब ग्राम भंडरा, थाना श्रीनगर, जिला हमीरपुर में वर्ष 1977–78, 78–79 तथा 79–80 में सिंघाड़े की फसल लगाने के लिये दिये गये पट्टों का विवरण :—

पट्टेदारों का नाम ग्राम व वर्ष

पट्टेदारों का नाम	ग्राम	वर्ष
1—श्री ढड़कोला	भण्डरा	1977–78
2—श्री लाल दिवान	,,	,,
3—श्री भगवान दास	,,	,,
4—श्री छिम्मा	,,	,,
5—श्री चिन्तामणि	,,	,,
6—श्री रामदास	,,	,,
7—श्री किशोरी	,,	,,
8—श्री बाबूलाल	,,	,,
9—श्री नाथू	,,	1978–79 से 1982–83
10—श्री भगवानदीन	,,	,,
11—श्री मनुवा	,,	,,
12—श्री मतैया	,,	,,
13—श्री गोला	,,	,,
14—श्री तुलसिया	,,	,,
15—श्री नत्थू	,,	,,
16—श्री तुलैया	,,	,,
17—श्री गनपत	,,	,,
18—श्री भौवा	,,	,,
19—श्री विलिया	,,	,,
20—श्री मछुवा	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पट्टेदारों का नाम	ग्राम	वर्ष
21—श्री मैया	,,	1978-79 से 1982-83
22—श्री रामदीन	,,	,,
23—श्री कुढरा	,,	,,
24—श्री छिम्मा	,,	,,
25—श्री तेजवा	,,	,,
26—श्री धुरका	,,	,,
27—श्री बाबूलाल	,,	,,
28—श्री भगवान दास	,,	,,
29—श्री काशी प्रसाद	,,	,,
30—श्री जलमा	,,	,,
31—श्री हरदयाल	,,	,,
32—श्री जलमा	,,	,,

सूची—2

पसवारा तालाब, ग्राम पसवारा, थाना महोबा, जिला हमीरपुर में वर्ष 1977-78, 78-79 तथा 79-80 में सिंघाड़े की फसल लगाने के लिये दिये गये पट्टे का विवरण

पट्टेदारों का नाम, ग्राम व वर्ष

पट्टेदारों का नाम	ग्राम	पट्टे का वर्ष
1—श्री राम चरन	पसवारा	1977-78-79
2—श्री बंशी	,,	1977-78-79
3—श्री अर्जुन	,,	1976-77-78
4—श्री जगोला	,,	1977-78-79
5—श्री महादेव	,,	1977-78-79
6—श्री देवीदीन	,,	1976-77-78-79
7—श्री हलुवा	,,	1977-78-79

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पट्टेदारों का नाम	ग्राम	वर्ष
8--हमुवा	,,	1977-78-79
9--श्री बैजनाथ	डरहट	1977-78-79
10--श्री तेजवा	पसवारा	1977-78-79
11--श्री कन्ना	,,	1977-78-79
12--श्री कल्ले	,,	1977-78-79
13--श्री गंगादीन	,,	1977-78-79
14--श्री भुलुआ	,,	1977-78
15--श्री दुर्जन	थाना	1977-78
16--श्री ज्योतिस्वरूप	डरहर	1977-78
17--श्री राम सहाय	,,	1977-78
18--श्री कन्हैया	,,	1977-78-79

उदय प्रतिष्ठान मुख्य

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1392 पर)

श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1977–78, 78–79 एवं 79-80 में ली गई पूर्ण तथा अर्ध निर्मित सड़कों की सूची

विकास खंड खोराबार	पूर्ण अथवा अपूर्ण
1––मोतीराम अड्डा से परेन नाला मार्ग	पूर्ण
2––जंगल गौरी नं0 1 से सुगहा मार्ग	,,
3––महादेव झारखंडी से पोखरा तक	,,
4––जंगल सिकरी से पोखरा तक	,,
5––आयरन स्टील फैक्ट्री से वन पोखर	,,
6––ललाइन टोला से जंगल अयोध्या प्रसाद	,,
7––तीरथ मास्टर टोला से वान पोखर	,,
8––नउवा डुमरी से बरगद के पेड़ ढोलबजवा	,,
9––दुनियारी पुल से गहिरा केन सड़क तक	,,
10––रूपनारायण सिंह के घर नई आबादी होते हुये मुख्य सड़क तक	,,
11––शास्त्री माध्यमिक स्कूल से शीतलापुर हरिजन बस्ती तक	,,
12––रायगंज से अकोलही मार्ग से हरिजन बस्ती अकोलही,	,,
13––देवरिया मुख्य सड़क से मोतीराम हरिजन बस्ती	,,
14––झंगहा मुख्य सड़क से लक्ष्मीपुर	,,
15––रामपुर से रामपुर डाड़ी	,,
16––जंगल गौरी नं0 में अहिरयाती टोला	,,
17––वरुस्पती रायगंज से गौर बरसाइत मार्ग	अपूर्ण
18––खोराबारी से सनहा मार्ग	,,
19––चिलमापुर से गायघाट मार्ग	,,
20––रानीडीहा से मिर्जापुर मार्ग	,,

विकास खण्ड खोराबार	पूर्ण अथवा अपूर्ण
21—रायगंज से अकौलही मार्ग	अपूर्ण
22—कड़जहा से रायगंज मार्ग	,,
23—सिक्टौर से डागीपार मार्ग	,,
24—झगंहा मुख्य सड़क से फैलहाघाट	,,
25—बनसप्ती रायगंज मार्ग से रायगांव के बीच	,,
26—सुगहा टोला से महुआरी टोला	,,

विकास खंड पिपरौली बाजार	पूर्ण अथवा अपूर्ण
1—तेजपुर से अमटौर मार्ग	पूर्ण
2—कालेसर शिवमंदिर से खरैला मार्ग	,,
3—सरया से छपिया मार्ग	,,
4—नरकटहा से भखरा मार्ग	,,
5—चपरहट से मिझौलिया मार्ग	,,
6—बरवार से गेवास मार्ग	,,
7—मडवरिया कुआं से हरादिया पिछौरा मार्ग	,,
8—पक्की सड़क से जगलदीर्धन मार्ग	,,
9—श्रीपुरा से जुडापुर मार्ग	,,
10—खरैला से खरैला मार्ग	,,
11—बथौडा बरवल से खोरहा मार्ग	अपूर्ण
12—जैतपुर से भगवानपुर भीटी, सीयर मार्ग	,,
13—खरैला से गड़र मार्ग	,,
14—साथीपार से बरहुआ मार्ग	,,
15—एकला से भोटी मार्ग	,,
16—ऊचंगांव से चकटेल्हना मार्ग	,,
17—चपरहट से महुआड़ाड मार्ग	,,
18—खानीपुर भठठा से तेनुआ मार्ग	,,
19—पिपरौली से अमटौरा, गाडर मार्ग	,,
20—श्रीपुरा से गडवा मार्ग	,,

अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खंड कोड़ीराम	पूर्ण अथवा अपूर्ण
1—कोटा से गम्भीरपुर तक	पूर्ण
2—बनकटी से बेलकुर मार्ग	,,
3—गोला रोड से धस्की तक	,,
4—डढिया खुर्द से गोला रोड तक	,,
5—डबरपार से कतरारी बंधे तक	अपूर्ण
6—डवरपार से चन्दौली नाउरदेउर तक	,,
7—चवरिया से गोला रोड तक	,,

उपरोक्त सड़कों में से निम्नलिखित सड़कों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा कराने का निर्णय लिया गया है :

सड़क का नाम	विकास खंड
1—चिलमापुर से गायघाट	खोराबार
2—झगंहा मुख्य सड़क से फैलहाघाट तक	,,
3—सुगहा टोली से महुआरी तक	,,
4—खौरठा से बरवल मार्ग तक	पिपरौली बाजार
5—श्रीपुरा से गड़वा मार्ग में	,,
6—डवरपारा से कतरारी	कौडीराम
7—डवरपार से नाउरदेउर मार्ग	,,
8—चवरिया से गोला मार्ग	,,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत नए प्रस्तावित मार्ग :

सड़क का नाम	विकास खंड
1—भोटी से भगवानपुर	पिपरौली
2—ऊंचगांव से व्यवहरिया मार्ग	,,
3—सिघड़िया से शिवपुर	,,

उपरोक्त मार्गों के निर्माण हेतु धन का आवंटन करते हुए कार्य तत्काल प्रारम्भ करने का निर्देश दे दिय गया है ।

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-62 का उत्तर पीछे पृष्ट 1393 पर।)

कार्य का नाम	वर्ष
तहसील—घोषी	
1—लखनीमलेरी कोटमार्ग	1978-79
2—घोषी तहसील में चहारदीवारी का निर्माण	1978-79
3—अभिलेखागार का विस्तार	1978-79
4—नायब तहसीलदार के आवास एवं रसोई गृह का निर्माण	1978-79
5—जूनियर हाई स्कूल मूंगमास	1979-80
6—जूनियर हाई स्कूल कारीसाथ	1979-80
7—खाद्यान्न योजनान्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्ग घोषी से सीमारीडीह मार्ग पर सीलिंग एवं पुलिया कार्य	1980-81
8—जूनियर हाई स्कूल लखनीमुबारकपुर	1980-81
9—बाढ़ शरणालय घोषी	1981-82
10—अभिलेखागार का विस्तार	1981-82
विकास खंड कोपागंज	
1—प्राथमिक पाठशाला कुतुबपुर	19777 8
2—जूनियर हाई स्कूल इन्दारा	1979-80
3—जूनियर हाई स्कूल लैरोबेनवार	1980-8 1
4—जूनियर हाई स्कूल अल्लीपुर	1980-81
5—खाद्यान्न योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्ग कोपागंज से सहरोज	1980-81
6—पहशा से शाहपुर इन्दारा	1980-81
7—मण्डी समिति कोपागंज में पुलिया कार्य	1980-81

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–75 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1398 पर ।)

अतारांकित प्रश्न 75 के उत्तर का संलग्नक

जिला का नाम	विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम से उठाया गया खाद्यान्न	अवशेष खाद्यान्न (मी0 टन)	खाद्यान्न अवशेष होने का कारण
1—देवरिया	1—विकास खंड–8485–867–800 मे0 टन 2—भूमि संरक्षण–460–000–000 3—जिला परिषद्–1674–132–200	53—290–415	देवरिया जनपद में विकास खंडों के अभिलेखों की सील कराकर जांच कराया जा रहा है । जैसे–जैसे आख्या प्राप्त हो रही है । अवशेष खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है ।
2—आजमगढ़	1—ग्राम्य विकास–4797–000–000	4.225	सूखा सहायता समिति के पास 4.225 मे0 टन खाद्यान्न अवशेष होने का कारण ज्ञात किया जा रहा है ।
	2—सार्वजनिक–1121–1159–000 निर्माण विभाग	1.3527	सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि यह खाद्यान्न वितरण योग्य नहीं है ।
3—बस्ती	1—ग्राम्य विकास–800–000–000	—	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

[देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 81 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1400 पर।]

विकास खंड-बड़ोखर खुर्द

1--बांदा कर्वी राजापुर मार्ग

2--राजघाट से निम्नीपार सम्पर्क मार्ग

3--माधवपुर बबापुरवा मार्ग

4--गंछा नाला सम्पर्क मार्ग

5--बांदा से गंछा लिंक रोड

6--बांदा नरैनी तिन्दवारा रोड

7--करबई से छनरहा सम्पर्क मार्ग

8--करबेई से पक्का रोड बबेरू

9--करबई तिन्दवारा रजबहा छनेहरा मार्ग

10--अरबई भरखरी सम्पर्क मार्ग

11--छनेहरा लालपुर से नहर तक मार्ग

12--छनेहरा नाले से माइनर की ओर मार्ग

13--छनेहरा से सहेवा मार्ग

14--कुलकुम्हारी से राजापुर मार्ग

15--कुरीली से राजापुर मार्ग

16--कुरौली से नहर तक मार्ग

17--बक्छा से राजापुर मार्ग

18--चिल्ली से पक्की सड़क राजापुर

19--डिंगवाही से निवादा मार्ग

20--हरिजन बस्ती से कर्वी बांदा रोड

21--छनेहरा से राजापुर मार्ग

22--जारी से कुरसेजा लिंक रोड

23--जौरही लिंक रोड

24--विजयबहादुर सिंह लिंक रोड

25--महोखर से मवई सम्पर्क मार्ग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

26- कलेक्टरपुरवर जारी सम्पर्क मार्ग

27—लकतरा चटगन सम्पर्क मार्ग

28—बांदा कनवारा अछरोड़ा सम्पर्क मा

29—बांदा चटगन लिंक रोड

30—कुरसेंजा महुई लिंक रोड

31—बांदा तिन्दवारी से बरगहनी रोड

32—बरगहनी जारी सम्पर्क मार्ग

33—सेमरी से जारी सम्पर्क मार्ग

34—अछोड सम्पर्क मार्ग

35—मरौली कपसा लिंक रोड

36—खैराडा बांदा झांसी लिंक रोड

37—क्यों टमपुरवा से ममई मार्ग

38—परमपुरवा से रेलवे स्टेशन मार्ग

39—काशीपुर द्वरेडो सम्पर्क मार्ग

40—बसहरी हरदौनी लिंक रोड

41—आलमखेड़ा गोरिहार मार्ग

42—चमरहा गोरिहार मार्ग

43—भुरेड़ी से द्वरेड़ी सम्पर्क मार्ग

44—पर्चल्ला छहरांव सम्पर्क मार्ग

45—पथरी लोकतरा सम्पर्क मार्ग

46—कतरावल महुआ सम्पर्क मार्ग

47—विकास खंड महुआ

48—खरहंड मार्ग

49—जखनी मार्ग केनाल

क0 म0 (सम्पर्क मार्ग का नाम)

50—वंशखा मार्ग

51—जमरेही मार्ग

52—खरौच नरैनी

53—छिबांव नाई मकरी मार्ग

54—बरई माधपुर से केन नदी मार्ग

55—खम्हौरा अबर्रारा मार्ग

56—नगनेदी से बछेही मार्ग

57—वस्तम से डगरा नाला

58—अधरैरी ते हस्तमभार्ग

59—अनथुआ देवरार मार्ग

60—गोखिया पचोखर मार्ग

61—गुमाई देवीरार मार्ग

62—बांसी नरैनी मार्ग

63—हसनपुर मार्ग

64—तेरा महुआ मार्ग

65—बड़ोखरखुर्द मनोपुर मार्ग

66—निवादा डिगवाहो मार्ग

67—माधोपुर बडेहा मार्ग

68—ननवाय केन नदी मार्ग

69—बहेरी मार्ग

विकास खंड बिसन्डा

70—घूरी से बांदा पहाड़ी मार्ग

71—सया से बबेरू सम्पर्क मार्ग

72—पवई से घूरी सम्पर्क मार्ग

73—पवई उमरेहडा मार्ग

74—कैरी से बछौहा मार्ग

75—लौली टीका मऊ से विसन्छा मेलाथू मार्ग

76—इटरा मरौली से पहाड़ी बांदा मार्ग

77—कुवमा पिडखर मार्ग

78—सिकलौढ़ी से पिडखर मार्ग

79—सिकलौढ़ी से घूरी मार्ग

80—तेन्दुरा से औनर माइनर मार्ग

81—तेन्दुरा से चोमढ़ माइनर मार्ग

विधान सभा

82--बादिन मऊ से ओरन माइनर

83--बल्लान से अतर्रा आन मार्ग

84--लमेहटा से ओरन अतर्रा मार्ग

85--कछिया पुरवा से डमनी मार्ग

86--अमवार से पहाड़ी मार्ग

87--अमवार कुरहा ब्रांच तक

88--नाहर पुरवा से कुर्रही ब्रांच तक

89--पारा से कुर्रही ब्रांच तक

90--पारा से डमनी मार्ग

91--बाघा से नगला पुरवा मार्ग

92--सिंहपुर रानीपुर मार्ग

93--उतरवां से पहाड़ी बांदा मार्ग

94--ओरन से मझीवा कमासिन स0 नि0 वि0 मार्ग

95--भदेदू से अतर्रा बबेरू मार्ग

96--दफरता से बबेरू अतर्रा मार्ग

97--पवैया से बबेरू अतर्रा मार्ग

98--पिपरी खेडा से ओरन बबेरू मार्ग

99--कुल्लूखंड़ा से शाहपुर मार्ग

100--अरोहरा कतासिन मार्ग

101--सोथो संस्कृत पाठशाला से अतर्रा मार्ग

102--कैरी जू0 हाई स्कूल से सम्पर्क मार्ग तक

पी0 एस0 यू0 पी0--4 विधान सभा--12-5-83 (पी0 डी0) ।

विधान सभा